संपदा विभाग / Estate Department
भारतीय रिजर्व बैंक / Reserve Bank of India
तिरुवनंतपुरम / Thiruvananthapuram

ई-टेंडर आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी)

कार्य का नाम: बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर, तिरुवनंतपुरम में भवनों की सामान्य मरम्मत और बाहरी पुनः पेंटिंग

भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम, उपर्युक्त कार्य के लिए **दो भागों** में **सीमित** ई-निविदा आमंत्रित करता है। कार्य की अनुमानित लागत **₹49.75 लाख** है और कार्य आदेश के 10 वें दिन से **3 महीने** के भीतर पूरा किया जाना है।

2. पात्रता मानदंड: श्रेणी V के तहत बोलीदाता ₹25लाख से ₹50 लाख के तहत आरबीआई तिरुवनंतपुरम के साथ सूचीबद्ध है।

3. ई-निविदा केंद्रीय **सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी)** द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से तीसरे पक्ष के रूप https://etenders.gov.in/eprocure/app की जाएगी। इसलिए, इच्छुक फर्मों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है। सीपीपीपी पर पंजीकरण और ई-निविदा की प्रक्रिया के बारे में विवरण **अनुबंध II में** संलग्न किया गया है। ई-निविदा दो भागों में ऑनलाइन जमा की जाएगी। ई-निविदा के भाग I में प्रस्तावित कार्य के लिए मानक तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तें होंगी और ई-निविदा के भाग II में मूल्य बोली शामिल होगी। दस्तावेजी प्रमाणों के साथ सभी आवश्यक अनुलग्नक भी निविदा के भाग I के साथ अपलोड किए जाएंगे। यह एक ई-निविदा बोली है और बोलीदाताओं को खोलने के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

4. बैंक सबसे कम बोली स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक अपने विवेकाधिकार पर बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

5. बैंक परिशिष्ट/शुद्धिपत्र/कार्यवृत्त/बोली-पूर्व बैठक जारी करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसे केवल आरबीआई और सीपीपीपी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। इस तरह के अपडेट निविदा दस्तावेज के अभिन्न अंग होंगे और व्यक्तिगत बोलीदाताओं को कोई अलग अधिसूचना नहीं भेजी जाएगी। किसी भी संशोधन के लिए इन पोर्टलों की निगरानी करना बोलीदाता की एकमात्र जिम्मेदारी है।

6. निविदा (एसओटी) का कार्यक्रम इस प्रकार है

	ई-निविदा सं.	2026_RBI_296857
i.	निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली (ऑनलाइन भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - सीपीपी पोर्टल के माध्यम से मूल्य बोली https://etenders.gov.in/eprocure/app
ii.	अनुमानित लागत	**₹49.75 लाख जीएसटी सहित**
iii.	कार्य पूरा करने की समय अवधि	**कारी आदेश के 10वें दिन से तीन महीने**

iv.	बयाना जमाराशि (केवल एनईएफटी/डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के माध्यम से)	**₹99,500/-** **a) एनईएफटी/आरटीजीएस** लाभार्थी का नाम: **ESTATE** लाभार्थी खाता नंबर: **8614038** आईएफएससी: **RBIS0THPA01 (पांचवां और दसवां वर्ण शून्य है)** **b) डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक/बैंक गारंटी:** भारतीय रिजर्व बैंक के पक्ष में भारतीय रिजर्व बैंक, तिरुवनंतपुरम में भौतिक रूप में सुपुर्दगी की जाएगी - 695033
v.	सीपीपी पोर्टल/आरबीआई वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए ई-निविदा दस्तावेज़ की उपलब्धता की तिथि	4 नवंबर, 2026 अपराह्न 06:00 बजे से
vi.	सीपीपी पोर्टल पर भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) और भाग II (मूल्य बोली) जमा करने के लिए ई-निविदा खोलने की तिथि	27 नवंबर, 2026 अपराह्न 05:00 बजे से
vii.	बोली पूर्व बैठक की तिथि और समय	26 नवंबर, 2026 पूर्वाह्न 11: 00 AM को स्थान: संपदा विभाग, आरबीआई, तिरुवनंतपुरम - 695033
viii.	आरबीआई की वेबसाइट/सीपीपीपी पर पूर्व-बोली बैठक के कार्यवृत्त प्रकाशित करने की तिथि	26 नवंबर, 2026
ix.	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि और समय	7 दिसंबर, 2026 से अपराह्न 02:00 बजे तक (हमारे खाते में परिलक्षित होना चाहिए)
x.	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और समय	7 दिसंबर, 2026 से अपराह्न 03:00 बजे तक
xi.	a. भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) के खुलने की तिथि और समय b. भाग II खोलने की तिथि (मूल्य बोली)	8 दिसंबर, 2026 अपराह्न 03: 00PM को
xii.	इस निविदा पर किसी भी स्पष्टीकरण के संबंध में अधिकारियों का नाम/ईएमडी आदि का विवरण अग्रेषित करना।	नाम: श्री. संतोषकुमार पीएस एजीएम (टेक-सिविल) ईमेल: estatethiro@rbi.org.in लैंडलाइन नंबर: 0471 - 2783048 नाम: श्री जितिन फिलिप, स.प्र ईमेल: estatethiro@rbi.org.in लैंडलाइन नंबर: 0471 - 2783042

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
तिरुवनंतपुरम – 695033

भारतीय रिज़र्व बैंक

संपदा विभाग

तिरुवनंतपुरम

बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर, तिरुवनंतपुरम में भवनों की सामान्य मरम्मत और बाहरी पुनःपेंटिंग हेतु

ई-निविदा/बोली

भाग – I

(तकनीकी वाणिज्यिक बोली)

क्षेत्रीय निदेशक/ Regional Director
भारतीय रिज़र्व बैंक/ Reserve Bank of India,
तिरुवनंतपुरम/ Thiruvananthapuram – 695033

सूची

क्र सं	ब्यौरा		
1.	खंड I	**निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी)**	
2.	खंड II	**निविदा का रूप**	
3.	खंड III	**बोलीदाताओं को अनुदेश**	
	उपखंड	1.	कार्य का नाम
		2.	कार्य का संक्षिप्त दायरा
		3.	केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) पर ई-निविदा
		4.	पात्रता मानदंड
		5.	निविदा प्रक्रिया
		6.	बयाना जमा राशि (ईएमडी)
		7.	बोलीपूर्व मीटिंग
		8.	विचलन
		9.	वैधता
		10.	भाषा
		11.	मूल्य-बोली में दरें (भाग II)
		12.	सफल बोलीदाता
		13.	करार की शर्तें
		14.	साइट की स्थिति
		15.	प्रतिबंध/अदालती मामला
		16.	भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश
	खंड III (A)	**मूल्यांकन मानदंड**	
4.	खंड IV	**संविदा की सामान्य शर्तें**	
	उपखंड	1.	व्याख्या खंड
		2.	संविदा का दायरा
		3.	बैंक द्वारा अनुमोदित की जाने वाली विविधताएं
		4.	आहरण, मात्रा और समझौते का बिल
		5.	ठेकेदार को अपनी लागत पर आवश्यक सभी चीजें प्रदान करने के लिए
		6.	प्राधिकरण, नोटिस और पेटेंट
		7.	काम को निर्धारित करना
		8.	विवरण के अनुरूप सामग्री और कारीगरी
		9.	ठेकेदार का अधीक्षण और कार्यों पर प्रतिनिधित्व
		10.	कामगारों की बर्खास्तगी
		11.	कार्यों तक पहुँच

क्र सं	ब्यौरा		
		12.	बैंक का प्रतिनिधि
		13.	असाइनमेंट और सब-लेटिंग
		14.	परिवर्तन, परिवर्धन, चूक आदि
		15.	मात्रा का बिल
		16.	मात्रा के बिल की पर्याप्तता
		17.	कार्यों का मापन
		18.	माप पुस्तक
		19.	अतिरिक्त वस्तुओं के मूल्य आदि का पता लगाना
		20.	अनिश्चित सामग्री
		21.	अनुचित कार्य को हटाना
		22.	आभासी समापन के बाद दोष
		23.	आभासी पूर्णता का प्रमाण पत्र
		24.	नामित उप-ठेकेदार
		25.	बैंक द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति
		26.	व्यक्ति और संपत्ति को नुकसान के संबंध में बीमा
		27.	प्रारंभ और समापन की तिथि
		28.	परिसमापन नुकसान
		29.	देरी और समय का विस्तार
		30.	बैंक के निर्देशों का पालन करने में ठेकेदार द्वारा विफलता
		31.	बैंक द्वारा संविदा की समाप्ति
		32.	ठेकेदार द्वारा संविदा की समाप्ति
		33.	प्रमाण पत्र और भुगतान
		34.	विलंबित भुगतान
		35.	मध्यस्थता द्वारा विवाद का निपटान
		36.	अंतिम विधेयक की तकनीकी जांच का अधिकार
		37.	बैंक कामगारों को दिए गए मुआवजे की वसूली करने का हकदार है
		38.	कार्यों का परित्याग
		39.	अधिशेष सामग्री की वापसी
		40.	ठेकेदार की मृत्यु की स्थिति में संविदा समाप्त करने का बैंक का अधिकार
		41.	दुर्घटना की रिपोर्ट
		42.	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम
		43.	गैर - प्रकटीकरण खंड
		44.	कार्यक्रम चार्ट/प्रगति रिपोर्ट

क्र सं	ब्यौरा		
		45.	वैधानिक अनुमोदन
		46.	प्रतिबंध/अयोग्यता
		47.	पैकिंग और प्रेषण
		48.	पुलिस सत्यापन
5	खंड V	**संविदा की विशेष शर्तें**	
		1.	पूरा होने का समय
		2.	सुरक्षा जमा राशि (एसडीएम)
		3.	भुगतान की शर्तें
6	खंड VI	**परिशिष्ट यहां पहले संदर्भित किया गया है**	
7	खंड VII	**सुरक्षा कोड**	
		A. सामान्य सुरक्षा	
		B. आग और विद्युत सुरक्षा	
8	खंड VIII	**काम का दायरा**	
9	खंड IX	**निविदा के भाग II की मात्रा का बिना मूल्य बिल/छवि**	
	अनुबंध		
1.	अनुबंध I	प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए मुख्तारनामा का प्रारूप	
2.	अनुबंध II	सीपीपीपी पर ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया	
3.	अनुबंध III	बयाना राशि जमा के बदले बैंक गारंटी का प्रोफार्मा	
4.	अनुबंध IV	तकनीकी-वाणिज्यिक स्थितियों में विचलन	
5.	अनुबंध V	करार की शर्तों का प्रारूप	
6.	अनुबंध VI	प्रदर्शन बैंक गारंटी/प्रतिधारित जमाराशि का प्रोफार्मा	
7.	अनुबंध VII	भारत के साथ देश की भूमि सीमा साझा करने के संबंध में बोलीदाता द्वारा उपक्रम / घोषणा / प्रमाण पत्र के लिए प्रोफार्मा	
8.	अनुबंध VIII	बोलीदाता द्वारा कानूनी कार्रवाई/सिविल मुकदम/मुकदमेबाजी/मध्यस्थता पर उपक्रम	
9.	अनुबंध IX	सार्वजनिक संस्थानों द्वारा प्रतिबंध की घोषणा	

खंड-I

ई-टेंडर आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी)

कार्य का नाम: बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर, तिरुवनंतपुरम में भवनों की सामान्य मरम्मत और बाहरी पुनः पेंटिंग

भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम, उपर्युक्त कार्य के लिए **दो भागों** में **सीमित** ई-निविदा आमंत्रित करता है। कार्य की अनुमानित लागत **₹ 49.75 लाख** है और कार्य आदेश के 10 वें दिन से **3 महीने** के भीतर पूरा किया जाना है।

2. पात्रता मानदंड: श्रेणी V के तहत बोलीदाता ₹25लाख से ₹50 लाख के तहत आरबीआई तिरुवनंतपुरम के साथ सूचीबद्ध है ।

3. ई-निविदा केंद्रीय **सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी)** द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से तीसरे पक्ष के रूप https://etenders.gov.in/eprocure/app की जाएगी। इसलिए, इच्छुक फर्मों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है। सीपीपीपी पर पंजीकरण और ई-निविदा की प्रक्रिया के बारे में विवरण **अनुबंध II में** संलग्न किया गया है। ई-निविदा दो भागों में ऑनलाइन जमा की जाएगी। ई-निविदा के भाग I में प्रस्तावित कार्य के लिए मानक तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तें होंगी और ई-निविदा के भाग II में मूल्य बोली शामिल होगी। दस्तावेजी प्रमाणों के साथ सभी आवश्यक अनुलग्नक भी निविदा के भाग I के साथ अपलोड किए जाएंगे। यह एक ई-निविदा बोली है और बोलीदाताओं को खोलने के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

4. बैंक सबसे कम बोली स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक अपने विवेकाधिकार पर बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

5. बैंक परिशिष्ट/शुद्धिपत्र/कार्यवृत्त/बोली-पूर्व बैठक जारी करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसे केवल आरबीआई और सीपीपीपी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। इस तरह के अपडेट निविदा दस्तावेज के अभिन्न अंग होंगे और व्यक्तिगत बोलीदाताओं को कोई अलग अधिसूचना नहीं भेजी जाएगी। किसी भी संशोधन के लिए इन पोर्टलों की निगरानी करना बोलीदाता की एकमात्र जिम्मेदारी है।

6. निविदा (एसओटी) का कार्यक्रम इस प्रकार है

	ई-निविदा सं.	2026_RBI_296857
i.	निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली (ऑनलाइन भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - सीपीपी पोर्टल के माध्यम से मूल्य बोली https://etenders.gov.in/eprocure/app
ii.	अनुमानित लागत	**₹ 49.75 लाख जीएसटी सहित**
iii.	कार्य पूरा करने की समय अवधि	**कारी आदेश के 10वें दिन से तीन महीने**

iv.	बयाना जमाराशि (Only through NEFT/Demand Draft/Bank Guarantee)	**₹ 99,500/-** **a) एनईएफटी/आरटीजीएस** लाभार्थी का नाम: **ESTATE** लाभार्थी खाता नंबर: **8614038** आईएफएससी: **RBIS0THPA01 (पांचवां और दसवां वर्ण शून्य है)** **b) डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक/बैंक गारंटी:** भारतीय रिजर्व बैंक के पक्ष में भारतीय रिजर्व बैंक, तिरुवनंतपुरम में भौतिक रूप में सुपुर्दगी की जाएगी - 695033
v.	सीपीपी पोर्टल/आरबीआई वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए ई-निविदा दस्तावेज़ की उपलब्धता की तिथि	4 नवंबर, 2026 अपराह्न 06:00 बजे से
vi.	सीपीपी पोर्टल पर भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) और भाग II (मूल्य बोली) जमा करने के लिए ई-निविदा खोलने की तिथि	27 नवंबर, 2026 अपराह्न 05:00 बजे से
vii.	बोली पूर्व बैठक की तिथि और समय	26 नवंबर, 2026 पूर्वाह्न 11: 00 AM को स्थान: संपदा विभाग, आरबीआई, तिरुवनंतपुरम - 695033
viii.	आरबीआई की वेबसाइट/सीपीपीपी पर पूर्व-बोली बैठक के कार्यवृत्त प्रकाशित करने की तिथि	26 नवंबर, 2026
ix.	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि और समय	7 दिसंबर, 2026 से अपराह्न 02:00 बजे तक (हमारे खाते में परिलक्षित होना चाहिए)
x.	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और समय	7 दिसंबर, 2026 से अपराह्न 03:00 बजे तक
xi.	a. भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) के खुलने की तिथि और समय b. भाग II खोलने की तिथि (मूल्य बोली)	8 दिसंबर, 2026 अपराह्न 03: 00PM को
xii.	इस निविदा पर किसी भी स्पष्टीकरण के संबंध में अधिकारियों का नाम/ईएमडी आदि का विवरण अग्रेषित करना।	नाम: श्री. संतोषकुमार पीएस एजीएम (टेक-सिविल) ईमेल: estatethiro@rbi.org.in लैंडलाइन नंबर: 0471 - 2783048 नाम: श्री जितिन फिलिप, स.प्र ईमेल: estatethiro@rbi.org.in लैंडलाइन नंबर: 0471 - 2783042

क्षेत्रीय निदेशक/ Regional Director
भारतीय रिज़र्व बैंक/ Reserve Bank of India,
तिरुवनंतपुरम/ Thiruvananthapuram – 695033

खंड II

<u>निविदा का प्रपत्र</u>

श्री प्रवीण कुमार वसंता रामचन्द्रन/ Shri Praveen Kumar Vasantha Ramachandran
क्षेत्रीय निदेशक/ Regional Director
भारतीय रिज़र्व बैंक/ Reserve Bank of India,
तिरुवनंतपुरम/ Thiruvananthapuram – 695033

महोदया/ महोदय,

इसके बाद ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित ड्राइंग, विनिर्देशों, डिजाइनों और मात्रा के बिल की जांच करने और उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों के स्थल का दौरा करने और जांच करने और निविदा को प्रभावित करने के रूप में उससे संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद, मैं/हम एतद्द्वारा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को संलग्न मात्रा के बिल में उल्लिखित दरों पर और बोलीदाताओं को सामान्य निर्देशों में निर्दिष्ट विनिर्देशों, डिजाइनों, रेखाचित्रों और लिखित रूप में निर्देशों के अनुसार सभी मामलों के अनुसार, बोलीदाताओं को सामान्य निर्देशों, समझौते के लेखों, संविदा की विशेष शर्त, यहां से पहले संदर्भित संविदा की सामान्य स्थिति, विनिर्देशों, डेटा शीट और मात्रा के बिल और ऐसी सामग्रियों के साथ जो प्रदान की जाती हैं, ऐसी शर्तों के अनुसार, जहां तक वे लागू हो सकते हैं।

<u>ज्ञापन</u>

i.	काम का नाम	बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर, तिरुवनंतपुरम में भवनों की सामान्य मरम्मत और बाहरी पुनःपेंटिंग हेतु
ii.	अनुमानित लागत	₹ 49.75 लाख (जीएसटी सहित)
iii.	भुगतान की शर्तें	निविदा के खंड V भाग I के उपखंड 3 के अनुसार
iv.	बयाना जमा राशि	₹ 99,500/-
v.	प्रदर्शन बैंक गारंटी	निविदा के खंड V भाग I के उपखंड 2 के अनुसार
vi.	पूरा होने का समय	निविदा के खंड V भाग I के उपखंड 1 के अनुसार
vii.	प्रत्येक बिल से काटी जाने वाली राशि	@ 5% प्रत्येक ऑन-अकाउंट बिल से तब तक वसूल किया जाना है जब तक कि कुल वसूली निविदा दस्तावेज में निर्धारित संविदा मूल्य का 5% नहीं हो जाती है या संविदा मूल्य का @ 5% का बीजी जमा नहीं कर देती।

2. हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारी निविदा निविदा के भाग I के खुलने की तारीख से **90 दिनों** के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी और वैधता की इस अवधि को ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जो बैंक और हमारे बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमत हो सकती है। हम संलग्न प्रोफार्मा **(अनुबंध VII)** के अनुसार निविदा की वैधता की पूरी अवधि और विस्तारित अवधि, यदि कोई हो**,** के दौरान **बयाना जमाराशि (ईएमडी) <u>के लिए बैंक गारंटी</u>** को वैध रखने के लिए भी सहमत हैं।

3. यदि हमारी निविदा स्वीकार की जाती है; हम इसके द्वारा संविदा के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं। हमारी ओर से किसी भी चूक की स्थिति में, हम बैंक के अपने बयाना धन जमा [ईएमडी] को जब्त करने के अधिकार को स्वीकार करते हैं और बैंक या उसके उत्तराधिकारियों, या समनुदेशितकर्ताओं या नामांकित व्यक्तियों को भुगतान करने के लिए सहमत होते हैं, ऐसी किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए सहमत होते हैं, जो उक्त शर्तों में निर्धारित हैं।
4. यदि हमारी निविदा स्वीकार की जाती है; हम इसके द्वारा निविदा के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं। इसके किसी भी चूक की स्थिति में, हम बैंक के अधिकार को जब्त करने के अधिकार को स्वीकार करते और बैंक या उसके उत्तराधिकारियों, या समनुदेशिती या नामांकित व्यक्तियों को ऐसी रकम का भुगतान करने के लिए सहमत होते हैं जो संविदा की लिखित स्वीकृति के साथ निविदा में निहित शर्तों में निर्धारित हैं।
5. हम स्वीकार करते हैं कि आप किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, या तो पूर्ण या आंशिक रूप से, बिना कोई कारण बताए। यदि हम ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर संविदा को निष्पादित करने में विफल रहते हैं, तो हम एतद्द्वारा सहमत हैं कि जमा ईएमडी को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जब्त कर लिया जाएगा।
6. हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि हम निविदा दस्तावेजों और कार्य से जुड़े अन्य अभिलेखों को गुप्त/गोपनीय दस्तावेजों के रूप में मानेंगे। हम किसी भी व्यक्ति को किसी भी जानकारी/उससे प्राप्त किसी भी व्यक्ति को संप्रेषित नहीं करने का वचन देते हैं, जिसे मैं/हम इसे संप्रेषित करने के लिए अधिकृत हैं, न ही हम किसी भी तरह से जानकारी का उपयोग करेंगे जो भारतीय रिज़र्व बैंक की सुरक्षा, सुरक्षा या हितों के लिए हानिकारक हो सकता है।

_____ 2026 केदिन

मैसर्स के लिए और की ओर से

(मुहर के साथ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम _____

पदनाम _____

स्थान _____

दिनांक _____

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता के बोर्ड संकल्प या जनादेश या मुख्तारनामा की प्रमाणित सच्ची प्रति प्रारूप अनुलग्नक । के अनुसार संलग्न की जानी चाहिए।

खंड III
बोलीदाताओं के लिए सामान्य अनुदेश

यह दो भागों यानी भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक) और भाग II (मूल्य बोली) में एक सीमित ई-निविदा है। केवल वे बोलीदाता जो निविदा में निर्धारित पूर्व-योग्यता/पात्रता मानदंड के अनुसार कार्य के लिए योग्य हैं, इस निविदा में भाग लेने के पात्र हैं।

2. **कार्य का संक्षिप्त दायरा**: कार्य का संक्षिप्त दायरा नीचे दिया गया है

कार्य के दायरे में **मात्रा की अनुसूची (भाग II), तकनीकी विनिर्देशों और निविदा दस्तावेजों के अन्य नियमों और शर्तों के अनुसार** "बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर, तिरुवनंतपुरम में भवनों की सामान्य मरम्मत और बाहरी पुनःपेंटिंग" शामिल हैं। हालांकि, इस निविदा की **खंड VIII** में कार्य के विस्तृत दायरे का उल्लेख किया गया है।

3. **सीपीपीपी पर ई-निविदा**: ई-निविदा की प्रक्रिया अनुलग्नक II में विस्तृत की गई है। पूरा होने की अवधि के साथ कार्य की अनुमानित लागत का उल्लेख खंड I में किया गया है।

4. **पात्रता मानदंड**: वे बोलीदाता/विक्रेता जो "श्रेणी V ₹25-50 लाख सिविल कार्य" के तहत नीचे दिए गए ऐसे कार्यों के लिए आरबीआई, तिरुवनंतपुरम के साथ विक्रेताओं के रूप में सूचीबद्ध हैं, इस निविदा में भाग लेने के पात्र हैं।

5. **निविदा प्रक्रिया:**

a. उपरोक्त कार्य के लिए निविदाएं दो भागों में हैं, अर्थात, भाग I जिसमें उपर्युक्त निविदा की वाणिज्यिक-तकनीकी बोली शामिल है, और नियम और शर्तें (दरें और वस्तुओं की मात्रा इस भाग में कहीं भी दिखाई नहीं देगी) और भाग II जिसमें केवल दरें शामिल हैं, को एनआईटी के अनुसार सीपीपी पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता है।

b. निविदा का भाग I एनआईटी में उल्लिखित तिथि और समय पर खोला जाएगा।

c. पात्र बोलीदाताओं का भाग II सभी बोलीदाताओं को सूचित करते हुए बाद की तारीख को खोला जाएगा। विस्तृत मूल्यांकन मानदंड का उल्लेख खंड III (A) में किया गया है।

नोट: मांगी गई सभी जानकारी/संविदा सभी प्रकार से पूर्ण होंगे और सहायक दस्तावेजों के साथ सीपीपी पोर्टल में अपलोड किए जाएंगे। आपूर्ति की गई जानकारी के अलावा अन्य शीटों पर दी गई जानकारी पर विचार नहीं किया जा सकता है। हालांकि, बोलीदाता पेश किए गए उपकरणों के निर्माताओं के केवल प्रासंगिक कैटलॉग/लीफलेट/ब्रोशर अपलोड कर सकते हैं।

6. **बयाना जमा राशि (ईएमडी)**: इच्छुक बोलीदाता एनआईटी की खंड I में उल्लिखित राशि की बयाना राशि का भुगतान एनईएफटी के माध्यम से बैंक को या तिरुवनंतपुरम में भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक पर आहरित डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर के चेक द्वारा करेंगे। वैकल्पिक रूप से, बोलीदाता किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से एक अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी/ईबीजी (इलेक्ट्रॉनिक बीजी) भी प्रस्तुत कर सकता है, जो संलग्न प्रोफार्मा (अनुलग्नक - III) में ईएमडी के लिए एक समान राशि के लिए है। ईएमडी के लिए प्रस्तुत बैंक गारंटी निविदाओं को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से कम से कम 90 दिनों तक (खंड III के उपखंड 9 में निविदा वैधता अवधि से मेल खाती है) तक वैध रहेगी। एनईएफटी/डीडी/बैंक गारंटी विवरण का प्रमाण तकनीकी बोली/भाग I के साथ अपलोड किया जाना चाहिए और एनआईटी में उल्लिखित ईमेल द्वारा भी

भेजा जाना चाहिए। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। एक निविदा, जो ऊपर उल्लिखित फॉर्म में ईएमडी के साथ नहीं है, को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा और बैंक द्वारा सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

i. असफल बोलीदाताओं का ईएमडी सफल बोलीदाता को काम सौंपने के बाद वापस कर दिया जाएगा। सफल बोलीदाता का ईएमडी सुरक्षा जमा के लिए अपेक्षित बैंक गारंटी जमा करने के बाद वापस कर दिया जाएगा (खंड V के उपखंड 2 का संदर्भ लें)।

ii. ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा यदि बोलीदाता:

a. प्रस्तुत किए गए प्रपत्रों, बयानों और अनुचलों में भ्रामक या गलत अभ्यावेदन करता है, किसी भी भौतिक जानकारी, अदालत में लंबित किसी भी कानूनी कार्यवाही के विवरण को दबा देता है जो अन्यथा पात्रता मानदंड पर कोई प्रभाव डाल सकता था; या

b. बोली वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोली वापस ले लेता है; या संविदा के पुरस्कार के बाद संविदा पर हस्ताक्षर नहीं करता है।

c. सरकार ने किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा काली सूची में डाले जाने का आदेश दिया है और निविदा आमंत्रित करने की सूचना की तारीख के अनुसार काली सूची में डालना लागू है।

d. मूल्य बोली खोलने के बाद बोली वापस ले लेता है।

e. निर्धारित समय-सीमा के भीतर सौंपे गए कार्य को शुरू करने में विफल रहता है।

f. कार्य आदेश जारी होने के 14 दिनों के भीतर करार के अनुच्छेद पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है।

7. **बोली पूर्व बैठक:** बोलीदाताओं की एक प्री-टेंडर ब्रीफिंग बैठक 26 नवंबर 2026 को पूर्वाह्न 11 बजे संपदा विभाग, दूसरी मंजिल, आरबीआई, बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम 695033- एनआईटी के अनुसार आयोजित की जाएगी, ताकि निविदा के संबंध में उनके द्वारा उठाए गए किसी भी बिंदु/संदेह को स्पष्ट किया जा सके। इस बैठक के लिए अलग से कोई संचार नहीं भेजा जाएगा। बोली-पूर्व बैठक में गैर-उपस्थिति बोलीदाता की अयोग्यता का कारण नहीं होगी।

i. स्पष्टीकरण की आवश्यकता वाले बिंदुओं के संबंध में सभी संचार उक्त बैठक से एक दिन पहले पात्र बोलीदाताओं द्वारा एनआईटी में उल्लिखित पते पर लिखित/ईमेल में दिए जाएंगे।

ii. बोलीदाताओं को बैंक से निविदा से संबंधित किसी भी मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए बोली-पूर्व बैठक में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके बाद पूर्व-बोली बैठक की तारीख में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि कोई फर्म बोली पूर्व बैठक में भाग नहीं लेती है, तो भविष्य में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाएगा और बोली पूर्व बैठक का कार्यवृत्त उन पर बाध्यकारी होगा।

iii. पूर्व-बोली बैठक के बाद निविदा के भाग। में निविदा शर्तों में किसी भी विचलन को शामिल करना/प्रस्तुत करना अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हो सकता है।

iv. बोली पूर्व बैठक का कार्यवृत्त और बोली प्रक्रिया के संबंध में जारी किए गए शुद्धिपत्र/संशोधन/परिशिष्ट, यदि कोई हो, केवल बैंक की वेबसाइट और सीपीपीपी में होस्ट किए जाएंगे और किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किए जाएंगे ।

8. विचलन: बैंक बोलीदाता द्वारा किसी भी अतिरिक्त शर्तों को प्रोत्साहित नहीं करता है। हालांकि, यदि इच्छुक बोलीदाताओं को लगता है कि निविदा दस्तावेजों (तकनीकी-वाणिज्यिक) के किसी भी नियम और शर्तों में से कोई भी उन्हें स्वीकार्य नहीं है या उन्हें लगता है कि अतिरिक्त नियमों और शर्तों को शामिल करने की आवश्यकता है, तो वे इन शर्तों या अनुबंध ।V के अनुसार प्रारूप में अपलोड की गई अतिरिक्त या संशोधित शर्तों का संकेत दे सकते हैं**।** प्रस्तुत विचलन की जांच की जाएगी और सभी बोलीदाताओं के साथ चर्चा के बाद,

बैंक को स्वीकार की जाने वाली शर्तों को बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा। यदि स्वीकृत शर्तें कीमत को प्रभावित करती हैं, तो सभी बोलीदाताओं को सलाह दी जाएगी कि वे भाग II में पहले से ही प्रस्तुत अपनी निविदा राशि से ऊपर या उससे कम प्रतिशत उद्धृत करें। उनकी निविदा राशि से ऊपर या नीचे के प्रतिशत के रूप में इस तरह के उद्धरण का उस शर्त पर एक निश्चित प्रभाव पड़ेगा जिसे बोलीदाताओं को वापस लेना होगा या बैंक द्वारा स्वीकार की गई शर्त के अनुसार प्राप्त होने वाला अतिरिक्त लाभ होगा। बोलीदाता के उद्धृत प्रतिशत को उनकी उद्धृत निविदा राशि से ऊपर या नीचे वाले पत्र को बाद में विभाग द्वारा निर्धारित तारीख को या उससे पहले सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और बोलीदाताओं को सलाह दी जानी चाहिए। यह पत्र, पहले से जमा की गई निविदा दर के साथ, भाग II कहा जाएगा और सलाह दी गई नियत तारीख पर फर्मों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा। अन्य सभी नियम और शर्तें जिन पर इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा कोई अवलोकन नहीं किया गया है, उनका निर्माण बोलीदाता को स्वीकार्य के रूप में किया जाएगा।

9. वैधता: निविदा के भाग। खोलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए बैंक द्वारा निविदाएं स्वीकृति के लिए खुली रहेंगी। इस अवधि को लिखित रूप में आपसी समझौते द्वारा बढ़ाया जा सकता है और बोलीदाता इस अवधि के दौरान निविदा को रद्द या वापस नहीं लेगा।

10. भाषा: निविदा फॉर्म अंग्रेजी या हिंदी में भरा जाएगा। दस्तावेजों के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच किसी भी विसंगति या अस्पष्टता की स्थिति में, व्याख्या के मामलों में अंग्रेजी संस्करण प्रबल होगा।

11. मूल्य बोली में दरें (भाग II): सभी भुगतान भारतीय रुपए में किए जाएंगे

i. दरों को पूर्ण कार्य के लिए उद्धृत किया जाएगा, अर्थात, सभी करों, मचान, उपभोग्य सामग्रियों, श्रम, परिवहन, बीमा, भंडारण, कामगार मुआवजा और तृतीय-पक्ष देयता नीतियों आदि के लिए शुल्क शामिल होंगे, जब तक कि काम अंतिम रूप से बैंक को सौंप नहीं दिया जाता है। बैंक द्वारा किसी भी कर, शुल्क और लेवी के लिए कोई रियायती फॉर्म जारी नहीं किया जाएगा। उपकरण, यदि आयात करने की आवश्यकता होती है, तो बोलीदाता के स्वयं के आयात लाइसेंस के खिलाफ आयात करने की व्यवस्था की जाएगी।

ii. ऐसी दरें जिनमें बीमा कवर शामिल है जैसा कि संविदा की विशेष शर्तों में उल्लिखित है।

12. सफल बोलीदाता: खंड III (ए) में उल्लिखित मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार।

13. करार की शर्तें: बैंक से अपनी निविदा की स्वीकृति की औपचारिक सूचना/पुरस्कार पत्र/कार्य आदेश प्राप्त होने पर, सफल बोलीदाता संविदा के आदेश जारी होने की तारीख से 14 दिनों के भीतर समझौते के एक लेख (प्रारूप **अनुबंध V के अनुसार**) **पर हस्ताक्षर करने/निष्पादित** करने के लिए अनुबंधित होगा। समझौते को लागू स्टाम्प अधिनियम के अनुसार आवश्यक मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाना चाहिए और इसके लिए लागत पूरी तरह से बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।

यदि सफल बोलीदाता कार्य आदेश/पुरस्कार पत्र जारी करने की तारीख से 14 दिनों के **भीतर औपचारिक संविदा के अनुच्छेद पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने में विफल रहता है** , तो ऐसी विफलता निविदा शर्तों का उल्लंघन होगी। ऐसी स्थिति में, बैंक निम्नलिखित का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखता है:

i. संविदा का पुरस्कार रद्द करें।

ii. बोलीदाता को बिना किसी सूचना या वित्तीय दायित्व के बयाना धन जमा (ईएमडी) को पूरी तरह से जब्त कर लें।

iii. बोलीदाता को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए बैंक की भावी निविदाओं में भाग लेने से काली सूची में डालना या प्रतिबंधित करना।

14. साइट की स्थिति: काम को एक कब्जे वाले कार्यालय भवन में किया जाना है, जो काम के घंटों के दौरान काम के मोर्चों की उपलब्धता को प्रतिबंधित कर सकता है। इसलिए बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे साइट की उपलब्धता के अधीन शनिवार/रविवार/बैंक की छुट्टियों के दौरान बैंक के सामान्य कामकाजी घंटों और पूरे दिन के काम के निष्पादन की योजना बनाएं। निविदाएं जमा करते समय उपरोक्त पहलू को ध्यान में रखा जा सकता है।

i. यह आवश्यक है कि बोलीदाता सुरक्षा, धूल और ढीली सामग्री से सुरक्षा, शोर के स्तर में कमी, भवन में पानी और हवा की घुसपैठ से सुरक्षा, और भवन के अंदर और बाहर कार्य क्षेत्रों में और उसके आसपास साफ-सुथरी और व्यवस्थित स्थितियों के रखरखाव से संबंधित सभी मामलों पर विशेष ध्यान और प्राथमिकता दे। पैकेजिंग, स्क्रैप सामग्री और विध्वंस मलबे को दैनिक आधार पर भवन और साइट से तुरंत हटा दिया जाएगा।

ii. यदि संविदा में ऐसे कार्य शामिल हैं जो सामान्य व्यवसाय संचालन के दौरान विघटनकारी होंगे, या भवन में रहने वालों के लिए खतरनाक होंगे, तो उक्त कार्य घंटों के दौरान किए जाएंगे जैसा कि बैंक निर्देशित करता है। बोलीदाता बैंक-निर्धारित घंटों के दौरान ऐसा कार्य करेगा और अपनी निविदा में सभी लागतों को शामिल करेगा।

15. प्रतिबंध/अदालती मामला: i. यदि बोलीदाता को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है- (ए) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत; या (बी) भारतीय दंड संहिता या उस समय लागू कोई अन्य कानून, सार्वजनिक खरीद संविदा के निष्पादन के हिस्से के रूप में जीवन या संपत्ति के किसी भी नुकसान या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने के लिए। इस संबंध में, बोलीदाता अपने लेटरहेड पर अंडरटेकिंग/घोषणा/प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करेगा, जिसे विधिवत सील किया गया हो और अनुबंध VIII में दिए गए प्रारूप में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो।

ii. बोलीदाता किसी भी सार्वजनिक संस्थान द्वारा प्रतिबंध की घोषणा अनुबंध IX में दिए गए प्रारूप में प्रस्तुत करेगा।

16. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के ठेकेदारों पर नियमों के अनुरूप: सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले बोलीदाता देशों के संबंध में कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ. संख्या 6/18/2019-पीपीडी दिनांक 23 जुलाई 2020 के माध्यम से जारी किए गए निर्देश/नियम अनिवार्य होंगे। इस संबंध में, बोलीदाता अपने लेटरहेड पर अनुबंध VII में दिए गए प्रारूप में विधिवत मुहरबंद और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित उपक्रम / घोषणा/प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करेगा।

----------x----------

खंड III (ए) मूल्यांकन मानदंड

निविदाओं का मूल्यांकन: L1 आधार

1. निविदाओं का मूल्यांकन केवल उन बोलीदाताओं के पहले ई-कवर यानी भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) को खोलने के बाद खंड III (ए) में उल्लिखित पात्रता मानदंडों के आधार पर किया जाएगा, जिन्होंने नियत तारीख को या उससे पहले ईएमडी जमा किया है। ईएमडी जमा करने का प्रमाण पहले ई-कवर में अपलोड किया जाना चाहिए।

2. बोलीदाताओं को निविदा दस्तावेज भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) में निर्धारित सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यदि अपलोड की गई निविदा में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है या नकली पाया जाता है, तो बैंक को अनुपलब्ध दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों का अनुरोध करने और इन प्रमाणपत्रों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने का अधिकार होगा। बोलीदाताओं को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अपलोड की गई सभी फाइलें पठनीय और अदूषित हैं। यदि कोई अपलोड किया गया दस्तावेज अपठनीय, दूषित या अन्यथा बैंक के लिए पहुंच योग्य नहीं है, तो बैंक कोई दायित्व या जिम्मेदारी वहन नहीं करेगा और बिना किसी विचार के बोलीदाता की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3. सभी पात्र बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत मूल्य बोलियां खोली जाएंगी। उनकी अयोग्यता की अधिसूचना, यदि कोई हो, उन्हें सूचित की जाएगी।

4. सबसे कम कीमत (एल 1) के साथ बोली लगाने वाले को संविदा के पुरस्कार के लिए माना जाएगा और सफल बोलीदाता कहा जाएगा। यदि दो या दो से अधिक बोलीदाताओं की सबसे कम निविदा राशि समान है, तो ऐसे सबसे कम बोलीदाताओं को एक सीलबंद लिफाफे में पहले से उद्धृत निविदा राशि पर छूट का हवाला देते हुए एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है। इसके अलावा, यदि कोई भी सबसे कम बोली लगाने वाला अपनी बोली को निचले हिस्से में संशोधित नहीं करता है, तो उसकी मूल बोली आगे की प्रक्रिया के लिए मान्य रहेगी। सबसे कम निविदा संशोधित प्रस्ताव के आधार पर तय की जाएगी। यदि संशोधित प्रस्तावों में प्राप्त दो या दो से अधिक बोलीदाताओं की संशोधित निविदा राशि फिर से बराबर पाई जाती है, तो आम तौर पर, यह पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए उच्चतम औसत कारोबार वाली फर्म है, तो संविदा के पुरस्कार के लिए विचार किया जाएगा।

धारा IV
संविदा की सामान्य शर्तें

व्याख्या खंड

इन शर्तों को मानने में, काम का दायरा, विनिर्देशों, मात्रा का बिल और संविदा करार, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ यहां उन्हें सौंपे गए होंगे, सिवाय इसके कि जहां विषय या संदर्भ अन्यथा आवश्यक हो।

i.	"आरबीआई"	इसका अर्थ होगा भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय शाहिद भगत सिंह रोड, मुंबई-400001 में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय विभिन्न स्थानों पर हैं।
ii.	"बैंक"	इसका अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक से होगा और इसमें इसके समनुदेशित और उत्तराधिकारी शामिल होंगे।
iii.	"निविदा दस्तावेज"	इसका अर्थ होगा बैंक द्वारा परियोजना के लिए बोलियां आमंत्रित करने के लिए ठेकेदारों को जारी किए गए इस तरह के दस्तावेज ।
iv.	"बोली लगाने वाला"	जो बोलियां/निविदाएं जमा करता है। यह साझेदारी फर्म, व्यक्तिगत फर्म और एक कंपनी हो सकती है। मृत भागीदार के कानूनी प्रतिनिधि।
v.	"ठेकेदार "	ठेकेदार सफल ठेकेदार है जिसे आधिकारिक तौर पर काम करने के लिए सम्मानित किया गया है। यह साझेदारी फर्म, व्यक्तिगत फर्म और एक कंपनी हो सकती है। एक मृत भागीदार के कानूनी प्रतिनिधि।
vi.	"साइट"	इसका अर्थ होगा संविदा कार्यों की साइट जिसमें कोई भी भवन और उस पर निर्माण और किसी भी अन्य भूमि (समावेशी) शामिल है, जैसा कि ठेकेदार के काम के लिए बैंक द्वारा आवंटित किया गया है।
vii.	"संविदा"	इसका मतलब होगा और इसमें निविदा दस्तावेज के सभी अनुभाग, संबंधित पत्र, कार्य आदेश, करार के लेख, सीएएमसी समझौते और पूर्व-बोली के कार्यवृत्त आदि शामिल होंगे और इसमें विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं।
viii.	"लिखित रूप में सूचना"	या लिखित नोटिस का मतलब होगा कि लिखित रूप से भेजे गए या मुद्रित वर्णों में एक नोटिस (जब तक कि व्यक्तिगत रूप से वितरित नहीं किया गया हो या अन्यथा प्राप्त किया गया है) पंजीकृत डाक द्वारा अंतिम ज्ञात निजी या व्यावसायिक पते पर प्राप्त किया गया है, जब पोस्ट के सामान्य पाठ्यक्रम में, यह वितरित किया गया होगा। किसी भी स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिए गए संचार को भी लिखित सूचना माना जाएगा।
ix.	"दिवाला अधिनियम"	इसका मतलब **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 या** इस तरह के मूल में संशोधन करने वाले किसी भी अधिनियम द्वारा परिभाषित दिवाला अधिनियम से होगा।
x.	"शुद्ध मूल्य"	सीपीपीपी में निविदा के भाग II में उल्लिखित वस्तु का मूल्य।
xi.	"बाजार दर"	उस स्थान पर सामग्री और श्रम की लागत के आधार पर बैंक द्वारा तय की गई दर होगी जहां कार्य निष्पादित किया जाना है, साथ ही खंड 19 (ई) में उल्लिखित प्रतिशत सभी ओवरहेड्स और मुनाफे को कवर करने के लिए।
xii.	"काम"	एनआईटी में उल्लिखित निविदा का नाम होगा
xiii.	दिन/माह/वर्ष	इसका मतलब होगा कैलेंडर दिन/महीना/वर्ष

xiv.	कार्य दिवस	इसका अर्थ उन दिनों से होगा जब बैंक का कार्यालय काम कर रहा है अर्थात, सार्वजनिक अवकाशों, शनिवार और रविवार को छोड़कर
xv.	इंजीनियर-इन-चार्ज/बैंक के इंजीनियर/बैंक के प्रतिनिधि	इसका अर्थ है बैंक द्वारा नियोजित और भुगतान किया गया अधिकारी और बैंक के आदेशों के तहत कार्य करना जो कार्य की निगरानी करेगा और कार्य का प्रभारी होगा। संविदा के तहत निष्पादित किए जाने वाले सभी कार्यों को अनुदेश के तहत निष्पादित किया जाएगा और सभी मामलों में बैंक के प्रतिनिधि के अनुमोदन के अधीन किया जाएगा।
xvi.	निर्माता	एक ऐसे व्यक्ति या फर्म को संदर्भित करता है जो सामग्री का निर्माता और प्रस्तुत करने वाला या उपकरण का डिजाइनर और फैब्रिकेटर है
xvii.	ठेकेदार के कार्य या निर्माता के कार्य	इसका मतलब भूमि और अन्य स्थान शामिल होंगे जिनका उपयोग ठेकेदार/फैब्रिकेटर या उप-ठेकेदार/उप-फैब्रिकेटर द्वारा "उपकरण" के निर्माण या "कार्य" करने के लिए किया जाता है।
xviii.	संविदा मूल्य या संविदा	राशि का अर्थ होगा सफल ठेकेदार द्वारा उद्धृत इकाई दरों से गणना की गई कुल राशि और मात्रा के बिल (मूल्य बोली) में उल्लिखित मात्रा और बैंक द्वारा स्वीकार की गई और कार्य के पुरस्कार पत्र में दर्शाई गई है।
xix.	संविदा की अवधि	इसका अर्थ होगा संविदा के निष्पादन/कार्य को पूरा करने के लिए निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट अवधि, जिसमें बैंक द्वारा कोई प्राधिकृत विस्तारित अवधि भी शामिल है
xx.	संविदा करार	इसका अर्थ होगा परियोजना के निष्पादन के लिए ठेकेदार और बैंक के बीच हस्ताक्षरित समझौता।

2. **<u>संविदा का दायरा:</u>**

ठेकेदार इस संविदा के अनुसार और बैंक के निर्देशों के साथ और उसकी संतुष्टि के लिए हर तरह से उक्त कार्य को पूरा करेगा और पूरा करेगा। बैंक अपने पूर्ण विवेक से और समय-समय पर आगे के चित्र और/या लिखित अनुदेश, विवरण, अनुदेश और स्पष्टीकरण जारी कर सकता है, जिन्हें इसके बाद सामूहिक रूप से "बैंक के अनुदेश" के रूप में संदर्भित किया जाता है:

i. डिजाइन, गुणवत्ता या कार्यों की मात्रा में भिन्नता या संशोधन या किसी भी कार्य का जोड़ या चूक या प्रतिस्थापन।
ii. ड्राइंग में या मात्रा और/या चित्र और/या विनिर्देशों के बिल के बीच कोई विसंगति।
iii. ठेकेदार द्वारा उस पर लाई गई किसी भी सामग्री को साइट से हटाना और उसके लिए किसी अन्य सामग्री का प्रतिस्थापन।
iv. ठेकेदार द्वारा निष्पादित किसी भी कार्य को हटाना और/या पुन: निष्पादन।
v. ठेकेदार द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति के कार्यों से बर्खास्तगी।
vi. किसी भी कार्य के निरीक्षण के लिए खुलने को कवर किया गया।
vii. इसके उपखंड 21 के तहत किसी भी दोष को संशोधित करना और उसे ठीक करना।

ठेकेदार ऐसे बैंक के निर्देशों में शामिल किसी भी कार्य का तुरंत पालन करेगा और विधिवत निष्पादित करेगा। बैंक द्वारा किए गए कार्यों पर ठेकेदार या उसके प्रतिनिधियों को दिए गए मौखिक अनुदेश, अनुदेश और स्पष्टीकरण, यदि कोई भिन्नता शामिल है, तो ठेकेदार द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित रूप में पुष्टि की जानी चाहिए, और यदि बैंक द्वारा अगले सात दिनों के भीतर लिखित रूप में असहमति नहीं व्यक्त की जाती है, तो ऐसे संविदा के दायरे में बैंक के अनुदेश माने जाएंगे। जहां संदर्भ की आवश्यकता होती है, एकवचन प्रदान करने वाले शब्दों में केवल बहुवचन और इसके विपरीत भी शामिल होते हैं। जब भी आवश्यक हो, मर्दाना लिंग के किसी भी संदर्भ में स्त्री लिंग और इसके विपरीत शामिल होगा।

आवश्यक "**साइट अनुदेश पुस्तिका, बाधा रजिस्टर, श्रम रजिस्टर**" को ठेकेदार द्वारा दैनिक आधार पर सख्ती से बनाए रखा जाता है और बैंक से विधिवत प्रमाणित किया जाता है।

3. **<u>बैंक द्वारा अनुमोदित की जाने वाली विविधताएं</u>**

कार्य के दायरे में सभी भिन्नताओं को बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। ठेकेदार दरों, वाउचर आदि के विश्लेषण द्वारा विधिवत समर्थित मात्रा और दरों को देते हुए भिन्नता का एक विवरण प्रस्तुत करेगा। बैंक द्वारा जांच और अंतिम स्वीकृति पर दरें एक पूरक निविदा बनाएंगी। बैंक इस तरह के परिवर्तनों के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि इन विवरणों को बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है।

4. **<u>आहरण, मात्रा का बिल और करार</u>**

संविदा को डुप्लिकेट में निष्पादित किया जाएगा, और ठेकेदार अपने उपयोग के लिए एक निष्पादित प्रति का हकदार होगा। ठेकेदार समझौते पर लागू स्टांप शुल्क का भुगतान करेगा। ठेकेदार को अंतिम प्रमाण पत्र जारी करने से पहले, वह तुरंत बैंक को सभी चित्र और विनिर्देश वापस कर देगा।

5. **<u>ठेकेदार को अपनी लागत पर आवश्यक सभी चीजें प्रदान करने के लिए</u>**

ठेकेदार अपनी लागत पर, ड्राइंग के इरादे और अर्थ के अनुसार कार्यों के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक सब कुछ प्रदान करेगा, मात्रा का बिल और विनिर्देश एक साथ लिया गया है, चाहे वह विशेष रूप से दिखाया या वर्णित नहीं किया जा सकता है, बशर्ते कि इससे यथोचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है, और यदि ठेकेदार को ड्राइंग में या ड्राइंग, बिल ऑफ क्वांटिटी और विनिर्देशों के बीच कोई विसंगति मिलती है, तो वह तुरंत और लिखित रूप में बैंक को संदर्भित करेगा जो यह तय करेगा कि किसका पालन किया जाना है। ठेकेदार इस विनिर्देश के तहत सभी कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा विनियमों के अनुसार पूर्ण रूप से प्रदान करेगा।

6. **<u>प्राधिकरण, नोटिस और पेटेंट</u>**

ठेकेदार कार्यों से संबंधित विधानमंडल के किसी भी अधिनियम के प्रावधानों और उसके किसी भी अन्य पहलू जैसे कि विभिन्न श्रम संहिताओं का अनुपालन, और किसी भी प्राधिकरण के विनियमों और उप-नियमों के अनुरूप, और विद्युत आपूर्ति और अन्य कंपनियों और/या प्राधिकरणों के साथ, जिनके सिस्टम के साथ, स्थापना को जोड़ने का प्रस्ताव है और इस तरह के अनुरूप आवश्यक होने वाले आहरण या विनिर्देशों से कोई भी बदलाव करने से पहले, बैंक को लिखित नोटिस देगा, जिसमें प्रस्तावित भिन्नता और इसे बनाने का कारण निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर निर्देशों के लिए आवेदन किया जाएगा। यदि ठेकेदार को **दस दिनों के भीतर** ऐसे अनुदेश प्राप्त नहीं होते हैं, तो वह प्रश्नगत प्रावधानों, विनियमों या उपनियमों के अनुरूप कार्य को आगे बढ़ाएगा, और इस प्रकार आवश्यक किसी भी भिन्नता को उसके खंड संख्या 14 के तहत निपटाया जाएगा।

ठेकेदार बैंक के ध्यान में उक्त अधिनियमों, विनियमों या उप-नियमों द्वारा अपेक्षित सभी नोटिसों को किसी भी प्राधिकरण को देगा और ऐसे प्राधिकारी, या किसी सार्वजनिक कार्यालय को भुगतान करेगा, सभी शुल्क जो कार्यों के संबंध में उचित रूप से प्रभार्य हो सकते हैं, और भुगतान के लिए बैंक के साथ रसीदें दर्ज करें।

ठेकेदार अधिकारों के संबंध में सभी दावों के खिलाफ बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा, और दावों से उत्पन्न होने वाली सभी कार्रवाइयों का बचाव करेगा, और स्वयं सभी रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क, क्षति, लागत और सभी और हर प्रकार के शुल्क का भुगतान करेगा जो कानूनी रूप से उसके संबंध में किए जा सकते हैं।

7. **<u>काम को निर्धारित करना</u>**

ठेकेदार कार्यों को निर्धारित करेगा और उसी से सही और सही सेटिंग के लिए और उसके सभी भागों की स्थिति, स्तर, आयाम और संरेखण की शुद्धता के लिए उचित होगा। यदि किसी भी समय कार्यों के पूरा होने से एक वर्ष की अवधि के भीतर कार्यों की प्रगति के दौरान इस संबंध में कोई त्रुटि दिखाई देगी, तो ठेकेदार, यदि आवश्यक हो, तो बैंक की संतुष्टि के लिए ऐसी त्रुटि को सुधारेगा।

8. **विवरण के अनुरूप सामग्री और कारीगरी**

सभी सामग्री और कारीगरी जहां तक खरीद योग्य होगी, मात्रा और/या विनिर्देशों के बिल में वर्णित संबंधित प्रकार की होगी और बैंक के निर्देशों के अनुसार, और ठेकेदार बैंक के अनुरोध पर उसे सभी चालान, खाते रसीदें और अन्य वाउचर प्रस्तुत करेगा ताकि यह साबित हो सके कि सामग्री उसका अनुपालन करती है। ठेकेदार अपनी लागत पर किसी भी सामग्री की व्यवस्था करेगा और/या किसी भी सामग्री का परीक्षण करेगा जिसकी बैंक को आवश्यकता हो सकती है।

9. **ठेकेदार का अधीक्षण और कार्यों पर प्रतिनिधि**

ठेकेदार कार्यों के निष्पादन के दौरान सभी आवश्यक व्यक्तिगत अधीक्षण प्रदान करेगा, और उसके बाद जब तक बैंक परिशिष्ट में उल्लिखित "**दोष देयता अवधि"** की समाप्ति तक आवश्यक समझ सकता है। ठेकेदार पूरे समय के दौरान भी कार्य प्रगति पर रहेगा, एक सक्षम प्रतिनिधि को नियुक्त करेगा जो काम पर रहने के दौरान लगातार काम पर रहेगा। बैंक द्वारा ऐसे प्रतिनिधि को दिए गए किसी भी अनुदेश, स्पष्टीकरण, अनुदेश या नोटिस को ठेकेदार को दिया जाएगा।

10. **कामगारों की बर्खास्तगी**

ठेकेदार बैंक के अनुरोध पर, अपने द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति को तुरंत कार्यों से बर्खास्त कर देगा, जो बैंक की राय में, अक्षम है या स्वयं कोई कदाचार कर सकता है और ऐसे व्यक्तियों को बैंक की अनुमति के बिना कार्यों पर फिर से नियोजित नहीं किया जाएगा।

11. **कार्यों तक पहुंच**

बैंक और उनके संबंधित प्रतिनिधियों को सभी उचित समय पर कार्यों और/या कार्यशालाओं, कारखानों या अन्य स्थानों तक मुफ्त पहुंच होगी, जहां सामग्री पड़ी है या जहां से वे प्राप्त किए जा रहे हैं और ठेकेदार बैंक और उनके प्रतिनिधियों को सामग्री और कारीगरी के निरीक्षण और परीक्षण के लिए आवश्यक हर सुविधा देगा। सार्वजनिक प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को छोड़कर बैंक द्वारा अधिकृत नहीं किए गए किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय कार्यों पर अनुमति नहीं दी जाएगी।

12. **बैंक के प्रतिनिधि: सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी)/एजीएम (तकनीकी)**

शब्द " सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी)/एजीएम (तकनीकी)" का अर्थ होगा बैंक द्वारा नियुक्त और भुगतान किया गया व्यक्ति कार्यों का निरीक्षण करने के लिए, ठेकेदार सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी)/एजीएम (तकनीकी), कार्यों और सामग्रियों का निरीक्षण करने और समय और सामग्री की जांच और मापने के लिए हर सुविधा और सहायता का खर्च उठाएगा। सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी)/एजीएम (तकनीकी) के पास कार्यों को निर्धारित करने या संविदा की किसी भी आवश्यकता को रद्द करने, बदलने, विस्तार करने या शिथिल करने या किसी भी काम, परिवर्धन, परिवर्तन, विचलन या चूक या किसी भी अतिरिक्त कार्य को मंजूरी देने की शक्ति होगी, सिवाय इसके कि इस तरह के प्राधिकरण को विशेष रूप से बैंक की लिखित सहमति के साथ एक लिखित आदेश द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी)/एजीएम (तकनीकी) या बैंक के किसी भी प्रतिनिधि को किसी भी कार्य या सामग्री के गैर-अनुमोदन के ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को नोटिस देने की शक्ति होगी और इस

तरह के कार्य को निलंबित कर दिया जाएगा या ऐसी सामग्री का उपयोग सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी)/एजीएम (तकनीकी) द्वारा बंद कर दिया जाएगा, लेकिन इस तरह की परीक्षा किसी भी तरह से ठेकेदार को किसी भी दोष को दूर करने के दायित्व से मुक्त नहीं करेगी जो कार्यों के किसी भी चरण में या उसके पूरा होने के बाद मौजूद हो सकती है।

13. **असाइनमेंट और सब-लेटिंग**

संविदा में शामिल सभी कार्यों को ठेकेदार द्वारा निष्पादित किया जाएगा और ठेकेदार बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना संविदा या उसके किसी भी हिस्से या उसके किसी भी हिस्से को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित नहीं करेगा, असाइन नहीं करेगा या कम नहीं करेगा, और कोई भी उपक्रम ठेकेदार को संविदा की पूर्ण और पूरी जिम्मेदारी से या उनकी प्रगति के दौरान कार्यों के सक्रिय अधीक्षण से राहत नहीं देगा।

14. **परिवर्तन, परिवर्धन, चूक आदि**

कोई भी परिवर्तन, चूक या भिन्नता इस संविदा को दूषित नहीं करेगी, लेकिन यदि बैंक कार्यों की प्रगति के दौरान किसी भी समय कार्यों में कोई परिवर्तन या परिवर्धन या चूक करने या उसमें उपयोग की जाने वाली सामग्री के प्रकार या गुणवत्ता में कोई परिवर्तन करने के लिए उचित समझता है और ठेकेदार को अपने हाथ के तहत लिखित रूप में इसकी सूचना देगा, ठेकेदार इस तरह के नोटिस के अनुसार, जैसा भी मामला हो, बदलेगा, जोड़ेगा या छोड़ देगा, लेकिन ठेकेदार बैंक की लिखित में पूर्व सहमति और ऐसे अतिरिक्त के मूल्य के बिना संविदा के किसी भी प्रावधान, शर्त, विनिर्देशों या संविदा के आहरण के किसी भी प्रावधान से कोई अतिरिक्त काम नहीं करेगा या कार्यों में कोई परिवर्तन या परिवर्धन या चूक नहीं करेगा। परिवर्तन, परिवर्धन या चूक सभी मामलों में खंड 19 के प्रावधानों के अनुसार बैंक के लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन के साथ निर्धारित की जाएगी , और इसे संविदा मूल्य जोड़ा या घटाया जाएगा, जैसा भी मामला हो, तदनुसार।

15. **मात्रा का बिल**

मात्रा का बिल, जब तक अन्यथा न कहा गया हो, माप की मानक विधि के अनुसार तैयार किया गया माना जाएगा। मात्रा के बिल से विवरण या मात्रा में या वस्तुओं की चूक में कोई भी त्रुटि इस संविदा को खराब नहीं करेगी, लेकिन इसे ठीक किया जाएगा और इसके उपखंड 18 के तहत पता लगाया गया है, संविदा राशि (जैसा भी मामला हो) से जोड़ा या घटाया जाएगा, बशर्ते कि ठेकेदार की दरों की अनुसूची में त्रुटियों के सुधार, यदि कोई हो, की अनुमति नहीं दी जाएगी।

16. **मात्रा के बिल की पर्याप्तता**

ठेकेदार को निविदा देने से पहले कार्यों के लिए अपनी निविदा की शुद्धता और पर्याप्तता के बारे में संतुष्ट माना जाएगा और मात्रा के बिल और/या दरों और कीमतों की अनुसूची में बताई गई कीमतों के बारे में जो दरें और कीमतें संविदा के तहत उसके सभी दायित्वों को कवर करेंगी, और सभी मामलों और चीजों को उचित रूप से पूरा करने के लिए आवश्यक हैं।

17. **कार्यों का मापन**

सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी)/एजीएम (तकनीकी) समय-समय पर ठेकेदार और बैंक को सूचित कर सकता है कि उसे कार्यों को मापने की आवश्यकता है, और ठेकेदार इस तरह के माप और गणना करने में सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी)/एजीएम (तकनीकी) की सहायता करने के लिए एक योग्य एजेंट को तुरंत उपस्थित करेगा या भेजेगा।

यदि ठेकेदार ऐसे एजेंट को भेजने के लिए उपस्थित नहीं होता है या उपेक्षा नहीं करता है या छोड़ता है, तो सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी)/एजीएम (तकनीकी) द्वारा लिए गए माप को कार्यों का सही माप माना जाएगा। इस तरह के माप विनिर्देशों में विस्तृत माप के तरीके के अनुसार लिए जाएंगे।

ठेकेदार या उसका एजेंट माप के समय ऐसे नोट्स और माप ले सकता है जिसकी उसे आवश्यकता हो सकती है।

सभी प्राधिकृत अतिरिक्त कार्यों, चूक और बैंक के लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन के साथ किए गए सभी परिवर्तनों को ऐसे मापों में शामिल किया जाएगा।

18. **माप पुस्तक**

(क) बैंक, अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, माप द्वारा किए गए कार्य के संविदा के अनुसार मूल्य का पता लगाएगा और निर्धारित करेगा। आंतरिक ठेकेदार, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के, माप और रिकॉर्डिंग स्तरों के लिए आवश्यक प्रत्येक उपकरण, श्रम और अन्य चीजों के साथ सभी सहायता प्रदान करेगा।

(ख) वित्तीय मूल्य वाली सभी वस्तुओं का मापन कम्प्यूटरीकृत मापन पुस्तिका (सीएमबी) में दर्ज किया जाएगा ताकि बैंक और ठेकेदार के अधिकृत प्रतिनिधि के संयुक्त माप के बाद संविदा के तहत किए गए सभी कार्यों का पूरा रिकॉर्ड प्राप्त किया जा सके। सभी बिल (रनिंग अकाउंट (आरए) और अंतिम बिल) ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कम्प्यूटरीकृत माप (ए 4 आकार) की बाध्य मात्रा में होना चाहिए, पृष्ठों के लिए विधिवत मशीन क्रमांकित होना चाहिए, और बैंक द्वारा दिए जाने वाले एमबी नंबर के साथ। - बैंक द्वारा प्रदान किए गए माप और सार पुस्तक का प्रारूप।

(ग) बैंक इंजीनियर एमबी की शीट में आवश्यक सुधार शामिल करेगा। सुधारों को शामिल करने के बाद, ठेकेदार संशोधित प्रतियां प्रस्तुत करेगा। अंतिम रूप से, कम्प्यूटरीकृत एमबी शीट के सभी पृष्ठों, उचित जांच / परीक्षण जांच माप के बाद ठेकेदार के अधिकृत अधिकारी की तारीख के साथ पूर्ण हस्ताक्षर होंगे।

19. **<u>अतिरिक्त के लिए कीमतों का पता लगाना</u>**

ठेकेदार, जब बैंक द्वारा प्राधिकृत किया जाता है, तो ड्राइंग पर दिखाए गए कार्यों को जोड़ सकता है, छोड़ सकता है, या बदल सकता है, या विनिर्देश में वर्णित है, या मात्रा के बिल में शामिल किया गया है, लेकिन ठेकेदार इस तरह के प्राधिकरण या अनुदेश के बिना कोई जोड़, चूक या भिन्नता नहीं करेगा। बैंक द्वारा जारी किए गए मौखिक अधिकार या अनुदेश को लिखित रूप में दिया गया माना जाएगा, बशर्ते कि इस तरह के अनुदेश/अनुदेश जारी करने के सात (7) दिनों के भीतर बैंक द्वारा लिखित रूप में इसकी पुष्टि की गई हो।

किसी भी अतिरिक्त कार्य के लिए किसी भी दावे की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि इसे बैंक की सहमति के साथ इसके खंड 2 के प्रावधानों के तहत निष्पादित नहीं किया गया हो, जैसा कि यहां उल्लेख किया गया है। इस तरह के किसी भी अतिरिक्त कार्य को यहां प्राधिकृत अतिरिक्त के रूप में संदर्भित किया गया है और निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

i. a. मूल निविदा में शुद्ध दरें या कीमतें अतिरिक्त कार्य के मूल्यांकन का निर्धारण करेंगी जहां इस तरह के अतिरिक्त कार्य समान चरित्र के हैं और समान परिस्थितियों में निष्पादित किए गए हैं, जिसमें कार्य की कीमत में मात्रा की 25% तक की वृद्धि हुई है।
 b. सभी मदों के लिए दरें, जहां भी संभव हो, मात्रा के मूल्य बिल में दी गई दरों से प्राप्त की जानी चाहिए।

ii. मूल निविदा की शुद्ध कीमतें छोड़ी गई वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण करेंगी, बशर्ते कि यदि चूक उन शर्तों में भिन्न होती है जिनके तहत कार्यों की कोई शेष वस्तु की जाती है, तो उसी के लिए कीमतों का मूल्य इसके उप-खंड (सी) के तहत किया जाएगा।

iii. जहां अतिरिक्त कार्य समान चरित्र के नहीं हैं और/या पूर्वोक्त के समान परिस्थितियों में निष्पादित किए जाते हैं या जहां चूक उन शर्तों में भिन्न होती है जिनके तहत कार्यों की कोई शेष वस्तु की जाती है या यदि किसी चूक या परिवर्धन की राशि होती है। पूरे संविदा कार्यों की राशि या उसके किसी भी हिस्से के सापेक्ष ऐसा होगा कि बैंक की राय में मात्रा या निविदा के मूल्य बिल में निहित शुद्ध दर या मूल्य या कार्यों की किसी भी वस्तु के लिए ठेकेदार द्वारा यथोचित रूप से विचार किए गए नुकसान या व्यय से अधिक नुकसान या व्यय शामिल है या इस तरह की चूक या जोड़ के कारण अनुचित या अनुपयुक्त हो गया है, बैंक ऐसी अन्य दर या मूल्य निर्धारित करेगा जैसा कि परिस्थितियों में वह उचित और सही समझेगा।

iv. जहां अतिरिक्त काम को ठीक से मापा या मूल्यवान नहीं किया जा सकता है, ठेकेदार को जिले के लिए स्थानीय दिन के काम की दरों और मजदूरी के अनुसार शुद्ध दरों पर दिन के काम की कीमतों की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि किसी भी मामले में दैनिक समय और नियोजित सामग्री को निर्दिष्ट करने वाले वाउचर को बैंक को सत्यापन के लिए वितरित किया जाए, जिसके बाद सप्ताह के अंत में या उससे पहले जिसमें काम निष्पादित किया गया है।

v. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी सभी प्राधिकृत अतिरिक्त वस्तुओं के लिए जहां दरें निविदा से प्राप्त नहीं की जा सकती हैं या किसी भी निविदा मदों की मात्रा मात्रा के बिल से 25% अधिक हो जाती है, ठेकेदार "वास्तविक लागत के आधार पर" काम किए गए दर विश्लेषण द्वारा समर्थित दरों को पूरा करेंगे और स्थापना शुल्क, ठेकेदार के ओवरहेड और मुनाफे के लिए 15% का भुगतान करेंगे। ऐसी वस्तु वृद्धि के लिए पात्र नहीं होगी।

संविदा के संबंध में माप और मूल्यांकन परिशिष्ट में बताए गए "अंतिम माप की अवधि" के भीतर पूरा किया जाएगा, या यदि नहीं कहा गया है तो संविदा कार्यों के पूरा होने के छह महीने के भीतर जैसा कि खंड 23 में परिभाषित किया गया है।

20. **<u>अनिश्चित सामग्री को बैंक की संपत्ति के रूप में ध्यान में रखा जाता है</u>**

एक प्रमाण पत्र के पूर्ण भुगतान पर जिसमें कार्यस्थल पर या उसके आस-पास रखी गई अनिश्चित सामग्री की लागत शामिल है, उन सामग्रियों का स्वामित्व पूरी तरह से बैंक के पास निहित है। ठेकेदार इन सामग्रियों को कार्यों में सीधे आवेदन को छोड़कर साइट से नहीं हटाएगा, जब तक कि बैंक द्वारा लिखित रूप में अनुमति न दी जाए। ठेकेदार किसी भी कारण से ऐसी सामग्रियों के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए कानूनी और वित्तीय रूप से उत्तरदायी होगा।

21. **<u>अनुचित कार्य को हटाना</u>**

बैंक, कार्यों की प्रगति के दौरान, समय-समय पर ऐसे उचित समय या समय के भीतर कार्यों से हटाने का आदेश देने की शक्ति होगी, जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है, किसी भी सामग्री के जो बैंक की राय में विनिर्देशों या निर्देशों के अनुसार नहीं है, उचित सामग्री का प्रतिस्थापन, और सामग्री या कारीगरी के साथ निष्पादित किसी भी कार्य को हटाने और उचित पुन: निष्पादन के लिए जो ड्राइंग और विनिर्देशों या अनुदेश के अनुसार नहीं है, और ठेकेदार तुरंत अपनी लागत पर इस तरह के आदेश को पूरा करेगा। इस तरह के आदेश को पूरा करने के लिए ठेकेदार की ओर से चूक के मामले में, बैंक के पास इसे पूरा करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियोजित करने और भुगतान करने की शक्ति होगी, और उसके परिणामस्वरूप होने वाले सभी खर्च, या उसके आनुषंगिक ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे, या बैंक द्वारा किसी भी देय धन से कटौती की जा सकती है, या जो ठेकेदार को देय हो सकती है।

22. **<u>आभासी समापन के बाद दोष</u>**

कोई भी दोष, संकोचन, निपटान या अन्य दोष जो परिशिष्ट में बताए गए "दोष देयता अवधि" के भीतर प्रकट हो सकते हैं, यदि कोई नहीं कहा गया है, तो कार्यों के आभासी समापन के **12 महीने के भीतर**, संविदा के अनुसार नहीं सामग्री या कारीगरी से बैंक की राय में उत्पन्न होने वाले कार्यों के आभासी समापन के बाद, बैंक के लिखित निर्देशों पर, और ऐसे उचित समय के भीतर जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया जाएगा, ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर संशोधित और अच्छा किया जाएगा।

चूक के मामले में, बैंक ऐसे दोषों, अन्य दोषों और उसके परिणामस्वरूप होने वाले सभी नुकसान, हानि और व्यय को संशोधित करने और सुधारने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त और भुगतान कर सकता है और इसके परिणामस्वरूप या उसके आकस्मिक रूप से ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा और इस तरह की क्षति, हानि और व्यय बैंक द्वारा उससे वसूल किए जा सकते हैं या बैंक द्वारा किसी भी देय धन से कटौती की जा सकती है या जो ठेकेदार के कारण हो सकती है, या बैंक इस तरह के संशोधन और ठेकेदार द्वारा अच्छा करने के बदले में ठेकेदार के कारण किसी भी धन से कटौती कर सकता है, जो बैंक द्वारा इस तरह के कार्य में संशोधन की लागत के बराबर राशि निर्धारित की जानी चाहिए और सुरक्षा जमा के रूप में रखी गई राशि के अपर्याप्त होने की स्थिति में, ठेकेदार से शेष राशि की वसूली कर सकता है, साथ ही बैंक ने उसके संबंध में खर्च किया होगा। यदि कोई दोषपूर्ण कार्य किया गया है या किसी भी उप-ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की गई है, जिसे बैंक द्वारा नामित या अनुमोदित किया गया है, जैसा कि खंड 13 और 24 में प्रदान किया गया है, ठेकेदार उसी तरह से अच्छा करने के लिए उत्तरदायी होगा जैसे कि ऐसा काम या सामग्री ठेकेदार द्वारा की गई थी या आपूर्ति की गई थी और इस खंड और इसके खंड 2 के प्रावधानों के अधीन थी। बैंक द्वारा किसी भी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने या किसी भी खाते के पारित होने के बावजूद, ठेकेदार इस खंड के प्रावधान के तहत उत्तरदायी रहेगा।

23. **<u>आभासी पूर्णता का प्रमाण पत्र और दोष देयता अवधि</u>**

कार्यों को तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक कि बैंक लिखित रूप में प्रमाणित नहीं कर देता कि वे वस्तुतः पूरे हो गए हैं। दोष देयता अवधि ऐसे प्रमाण पत्र की तारीख/कार्य पूरा होने की तारीख से शुरू होगी।

24. **<u>नामित उप-ठेकेदार</u>**

सभी विशेषज्ञों, व्यापारियों, कारीगरों और किसी भी माल की आपूर्ति और फिक्सिंग के किसी भी कार्य को निष्पादित करने वाले अन्य, जिसके लिए प्रमुख लागत मूल्य या अनंतिम राशि मात्रा और / या विनिर्देशों के बिल में शामिल हैं, जिन्हें बैंक द्वारा नामित या चुना जा सकता है, इसके द्वारा ठेकेदार द्वारा नियोजित उप-ठेकेदार घोषित किया जाता है और यहां नामित उप-ठेकेदार के रूप में संदर्भित किया जाता है।

किसी भी नामित उप-ठेकेदार को उन कार्यों पर या उनके संबंध में नियोजित नहीं किया जाएगा जिनके खिलाफ ठेकेदार उचित आपत्ति करेगा या (जहां बैंक और ठेकेदार अन्यथा सहमत होंगे) जो प्रदान किए गए संविदा में प्रवेश नहीं करेंगे

i. कि नामित उप-ठेकेदार, उप-ठेकेदार के संबंध में दायित्व के खिलाफ ठेकेदार को क्षतिपूर्ति करेंगे जैसा कि ठेकेदार इस संविदा के संबंध में है।
ii. नामित उप-ठेकेदार, उप-ठेकेदार, उसके सेवकों या एजेंटों द्वारा किसी भी लापरवाही या उसके द्वारा किसी भी मचान या अन्य संयंत्र, ठेकेदार की संपत्ति या लागू किसी कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के तहत किसी भी दुरुपयोग के संबंध में दावों के खिलाफ ठेकेदार को क्षतिपूर्ति करेगा।
iii. नामित उप-ठेकेदार को चौदह दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा, बशर्ते कि पिछले प्रमाणपत्रों में शामिल सभी नामित उप-ठेकेदार के खातों को विधिवत निर्वहन कर दिया गया हो, जिसमें से चूक में, बैंक उसी का भुगतान कर सकता है और ठेकेदार को देय किसी भी रकम से उसकी राशि काट सकता है। इस शक्ति के प्रयोग से बैंक और उप-ठेकेदार के बीच संविदा की गोपनीयता पैदा नहीं होगी।

25. **<u>बैंक द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति</u>**

बैंक इस संविदा में शामिल नहीं किए गए किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए संपत्ति और साइट के किसी भी हिस्से का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसे वह अन्य व्यक्तियों द्वारा करने की इच्छा कर सकता है, और ठेकेदार इस तरह के कार्य के निष्पादन के लिए सभी उचित सुविधाओं की अनुमति देगा लेकिन इस तरह के कार्य के निष्पादन के लिए कोई संयंत्र या सामग्री प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह के कार्य को इस तरह से किया जाएगा कि संविदा में शामिल कार्यों की प्रगति में बाधा न आए और ठेकेदार किसी भी क्षति या देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो इस तरह के काम के साथ हो सकता है या कभी-कभी हो सकता है।

26. **<u>व्यक्ति और संपत्ति को नुकसान के संबंध में बीमा</u>**

ठेकेदार, अपने स्वयं के खर्च पर, इस संविदा के तहत पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से लेकर एक अनुमोदित बीमा कंपनी के साथ, बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नामों में भूकंप जोखिम सहित संविदा की राशि के बराबर राशि के लिए बीमा के लिए सभी जोखिम पॉलिसी को लागू करेगा और बनाए रखेगा (पूर्व का नाम पॉलिसी में पहले रखा जा रहा है) मानक के अनुसार सभी जोखिमों के खिलाफ ठेकेदारों के लिए सभी जोखिम नीति और ऐसी पॉलिसी या पॉलिसी को काम शुरू करने से पहले बैंक के साथ जमा करें।

ठेकेदार को व्यक्तियों, जानवरों या चीजों को सभी चोटों के लिए और संपत्ति को सभी संरचनात्मक और सजावटी क्षति के लिए यथोचित रूप से उत्तरदायी माना जाएगा, जो ठेकेदार या उसके श्रमिकों या किसी भी नामित उप-ठेकेदार या किसी भी कर्मचारी के संचालन या उपेक्षा से उत्पन्न हो सकता है, चाहे इस तरह की चोट या क्षति लापरवाही, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से उत्पन्न हो, किसी भी तरह से इस संविदा को पूरा करने से जुड़ा हो। इस खंड के तहत दायित्व को अन्य बातों के साथ-साथ भवन को किसी भी नुकसान को शामिल करने के लिए आयोजित किया जाएगा, चाहे वह तुरंत आसन्न हो या अन्यथा, और सड़कों, गलियों, फुटपाथों, पुलों या रास्तों को होने वाले नुकसान के साथ-साथ इमारत और अन्य संरचनाओं और कार्यों को होने वाले सभी नुकसान के साथ-साथ इस संविदा की विषय वस्तु बनाने वाले कार्यों को शामिल करेगा। ठेकेदार इमारत और अन्य संरचनाओं और कार्यों को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए भी जिम्मेदार होगा, जो ठंड, बारिश, आंधी या मौसम की अन्य प्रतिकूल स्थिति से इस संविदा की विषय वस्तु बनते हैं। ठेकेदार बैंक को क्षतिपूर्ति देगा और उससे किसी भी नुकसान और खर्चों के संबंध में हानिरहित ठहराएगा जैसा कि पूर्वोक्त रूप से व्यक्तियों या संपत्ति को ऐसी किसी भी चोट या क्षति से उत्पन्न होने वाला है और चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के खिलाफ भी, चाहे वह किसी भी क़ानून के तहत हो या अन्यथा और इस तरह के दावे के परिणामस्वरूप मुआवज़े या क्षति के किसी भी स्थिति के संबंध में भी क्षतिपूर्ति करेगा।

ठेकेदार इस खंड में उल्लिखित हर प्रकार के सभी नुकसान को ठीक करेगा, ताकि पूरे संविदा कार्यों की सुपुर्दगी हर तरह से पूर्ण और परिपूर्ण हो और ताकि तीसरे पक्ष की संपत्ति को नुकसान के लिए सभी दावों को अच्छा या अन्यथा पूरा किया जा सके। ठेकेदार भी बैंक को उन सभी दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करेगा जो किसी भी व्यक्ति/जनता के सदस्य या अन्य **तीसरे पक्ष** द्वारा किसी भी चीज के संबंध में बैंक के खिलाफ किए जा सकते हैं जो कार्यों के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकते हैं और अपने **स्वयं के खर्च पर लागू होने की तारीख से** संविदा **के पूरा होने तक, एक अनुमोदित बीमा कंपनी के साथ बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नामों में बीमा की एक पॉलिसी (पूर्व का नाम पॉलिसी में पहले रखा जा रहा है) को ऐसे जोखिमों के खिलाफ बैंक के साथ जमा करेगा और काम शुरू करने से पहले बैंक के साथ ऐसी पॉलिसी या पॉलिसी जमा करेगा**। पॉलिसी के तहत कवरेज की न्यूनतम सीमा संविदा की सामान्य शर्त के तहत कहीं और परिभाषित की जाएगी। ठेकेदार इसी तरह बैंक पर किए जा सकने वाले सभी दावों के खिलाफ बैंक को क्षतिपूर्ति भी करेगा, चाहे वह **कामगार मुआवजा अधिनियम** या इस संविदा की मुद्रा के दौरान लागू किसी अन्य क़ानून के तहत या ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी या किसी उप-ठेकेदार के संबंध में सामान्य कानून में हो सकता है और अपने **स्वयं के खर्चों पर संविदा के पूरा होने तक प्रभावी होगा, एक अनुमोदित बीमा कंपनी के साथ बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नामों में बीमा की एक पॉलिसी (पूर्व कथित का नाम पॉलिसी में पहले रखा जा रहा है) और संविदा के निष्पादन के दौरान समय-समय पर बैंक के साथ ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को जमा करेगा**।

जैसा कि ऊपर प्रदान किया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार की चूक में, बैंक यह सुनिश्चित कर सकता है और किसी भी देय धन से भुगतान किए गए प्रीमियम को काट सकता है या जो ठेकेदार के कारण हो सकता है।

ठेकेदार किसी भी दायित्व के लिए जिम्मेदार होगा जिसे ऊपर उल्लिखित बीमा पॉलिसियों से शामिल नहीं किया गया है और इस संविदा के लापरवाह या दोषपूर्ण संचालन के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्ति, जानवर या संपत्ति को अन्य सभी नुकसानों के लिए भी जिम्मेदार होगा, चाहे वे कारण हों जिनके कारण नुकसान हुआ हो। वह कार्यों से संबंधित किसी भी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली सभी लागत, प्रभार या व्यय के संबंध में और उससे उत्पन्न होने वाले मुआवजे या क्षति के किसी भी पुरस्कार के संबंध में बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति देगा भी। इस तरह के चूक के संबंध में ठेकेदार के खिलाफ बैंक के अन्य अधिकारों के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक ठेकेदार को देय किसी भी राशि से बैंक द्वारा भुगतान किए गए किसी भी नुकसान, मुआवजे, लागत, शुल्क और अन्य खर्चों की राशि में कटौती करने का हकदार होगा और जो इस खंड के तहत ठेकेदार द्वारा देय हैं। ठेकेदार इस खंड के तहत ली गई पॉलिसी के अनुसार बीमाकर्ता के खिलाफ किए गए किसी भी दावे के बीमाकर्ता द्वारा निपटान करने पर, नष्ट या क्षतिग्रस्त कार्यों के पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिए उचित परिश्रम के साथ आगे बढ़ेगा। इस घटना में, इस तरह के नुकसान के संबंध में बीमाकर्ता से प्राप्त सभी धन का भुगतान ठेकेदार को किया जाएगा और ठेकेदार नष्ट या क्षतिग्रस्त सामग्री या माल के निर्माण या मरम्मत के लिए किए गए व्यय के संबंध में किसी भी और भुगतान का हकदार नहीं होगा।

ठेकेदार, क्षति के बाद पुन: निर्माण या ठीक करने के मामले में पूरा होने के लिए समय के ऐसे विस्तार का हकदार होगा जैसा कि बैंक उचित समझे, लेकिन हालांकि, बैंक द्वारा किसी भी कमी या कमी की प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा, जैसा कि यहां निर्धारित किया गया है।

इस खंड के तहत अपनी देयता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, ठेकेदार सभी नामित उप-ठेकेदारों को इस खंड के प्रावधानों के अनुसार बीमा की समान नीतियों के अपने संबंधित हिस्सों के लिए प्रभावित करेगा और बैंक को ऐसी पॉलिसियाँ प्रस्तुत करेगा या प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा। ठेकेदार एक नामित उप-ठेकेदार को साइट पर काम शुरू करने की अनुमति नहीं देगा जब तक कि उक्त बीमा पॉलिसियां प्रस्तुत नहीं की जाती हैं। साइट पर काम शुरू करने से पहले बीमा की ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को लेने में उप-ठेकेदार की विफलता की स्थिति में, ठेकेदार उक्त उप-ठेकेदार के कारण किसी भी दावे या क्षति के लिए जिम्मेदार होगा।

ऊपर उल्लिखित सभी बीमा संबंधी शर्तों को पूरा करने के लिए, ठेकेदार, कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 14 दिनों के भीतर, अपनी लागत पर कार्यों का बीमा करेगा और बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नाम में एक कार्यालय के साथ आग से नुकसान या क्षति के खिलाफ कार्यों के आभासी समापन तक उनका बीमा करेगा (बैंक का नाम यानी "भारतीय रिज़र्व बैंक" पॉलिसी में पहले स्थान पर रखा जा रहा है)। यह निम्नलिखित जोखिमों को कवर करेगा।

i. **ठेकेदारों के लिए सभी जोखिम (सीएआर) पॉलिसी बीमा** जिसमें आग के जोखिम सहित पूर्ण संविदा मूल्य के लिए भंडारण, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग पॉलिसी शामिल है और निर्माता के कार्यों से साइट तक परिवहन के लिए पारगमन बीमा (हवा/समुद्र/सड़क आदि द्वारा, जैसा भी लागू हो)।
ii. **साइट पर ठेकेदार के कर्मचारियों के लिए** कामगार मुआवजा नीति।
iii. **अन्य पार्टी देयता पॉलिसी** 2 लाख रुपये प्रति दुर्घटना की सीमा के साथ अधिकतम 3 दुर्घटनाओं तक।

नोट: यदि ठेकेदार इन पॉलिसियों को प्रदान नहीं करता है, तो बैंक उपरोक्त बीमा पॉलिसियों को स्वयं लेने और ठेकेदार के बिल या किसी अन्य कार्रवाई से **जुर्माने के रूप में लागत को दोगुना वसूलने** का अधिकार सुरक्षित रखता है, जैसा कि वह उचित समझता है।

27. <u>प्रारंभ और समापन की तिथि</u>

ठेकेदार को अनुबंध में उल्लिखित "प्रारंभ की तारीख" या ऐसी बाद की तारीख पर साइट पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी जो बैंक द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है और वह उसके बाद और तुरंत काम शुरू करेगा और नियमित रूप से आगे बढ़ेगा और इसे पूरा करेगा (इस तरह की पेंटिंग या अन्य सजावटी कार्य को छोड़कर, जैसा कि बैंक देरी करना चाहता है) परिशिष्ट में बताए गए "पूरा होने की तारीख" पर या उससे पहले, इसके बाद निहित समय के विस्तार के प्रावधानों के अधीन।

28. **<u>पूरा न होने पर नुकसान</u>**

यदि ठेकेदार कार्यों की अपेक्षित प्रगति को बनाए रखने में विफल रहता है और संविदा में निर्धारित समापन समय तक या समय विस्तार खंड 29 के तहत किसी भी विस्तारित समय के भीतर कार्यों को पूरा करने में विफल रहता है और बैंक लिखित रूप में प्रमाणित करता है कि उसकी राय में इसे यथोचित रूप से पूरा किया जाना चाहिए था, तो ठेकेदार बैंक को **"परिसमापन क्षति" के लिए राशि का भुगतान करेगा @ 0.25%** संविदा मूल्य प्रति सप्ताह की देरी के अधीन संविदा मूल्य का अधिकतम 10% (संविदा मूल्य का अर्थ है कार्य की पूंजीगत लागत का कुल मूल्य) उस अवधि के लिए जिसके दौरान उक्त कार्य अधूरे रहेंगे और बैंक ठेकेदार के कारण किसी भी धन से इस तरह के नुकसान में कटौती कर सकता है। ठेकेदार एतद्द्वारा विशेष रूप से सहमत होता है और बैंक को इस तरह के परिसमापन नुकसान, यदि कोई हो, को इस संविदा के संदर्भ में ठेकेदार को देय और देय भुगतान की किसी भी किस्त से या प्रतिधारण धन से काटने के लिए अधिकृत करता है।

29. **<u>देरी और समय का विस्तार</u>**

यदि बैंक की राय में, सौंपे गए कार्यों में देरी होती है (ए) अप्रत्याशित घटना से या (बी) किसी भी असाधारण रूप से खराब मौसम के कारण या (सी) ठेकेदार के स्वयं के चूक के अलावा अन्य उत्पन्न होने वाले आसन्न या पड़ोसी मालिकों या सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ की गई कार्यवाही या विवाद के कारण या (डी) बैंक द्वारा लगे या नामांकित अन्य ठेकेदारों या व्यापारियों के कार्यों या देरी से और संदर्भित नहीं किया गया है मात्रा के बिल में, और/या विनिर्देश या (ई) इसके खंड 2 के अनुसार बैंक के निर्देशों के कारण या (च) सिविल हंगामा के कारण, श्रमिकों के कानूनी संयोजन या हड़ताल या लॉक-आउट के कारण किसी भी भवन व्यापार को प्रभावित करने या (छ) ठेकेदार को नियत समय में प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप, बैंक से आवश्यक अनुदेश जिसके लिए उसने विशेष रूप से लिखित रूप में आवेदन किया होगा या (ज) अन्य कारणों से जिसे बैंक ठेकेदार के नियंत्रण से परे के रूप में प्रमाणित कर सकता है या (i) यदि कार्य का मूल्य भिन्नता के कारण मात्रा के मूल्य से अधिक हो जाता है, तो बैंक संविदा कार्यों को पूरा करने के लिए समय का उचित और सही विस्तार कर सकता है। इस तरह की हड़ताल या तालाबंदी के मामले में, ठेकेदार फिर भी देरी को रोकने के लिए लगातार अपने प्रयासों का उपयोग करेगा और काम को आगे बढ़ाने के लिए बैंक की संतुष्टि के लिए उचित रूप से आवश्यक सभी कार्य करेगा।

यदि ठेकेदार को कार्य पूरा करने के लिए समय के विस्तार की आवश्यकता होती है या यदि संविदा में निर्धारित पूरा होने की नियत तारीख से परे किसी भी कारण से काम पूरा होने में देरी होती है, तो ठेकेदार निर्धारित समय की समाप्ति से कम से कम 7 दिन पहले लिखित रूप में समय के विस्तार के लिए बैंक को आवेदन करेगा और समय के विस्तार के लिए आवेदन करते समय, ठेकेदार देरी के लिए दस्तावेजी साक्ष्य (बाधा रजिस्टर के प्रासंगिक पृष्ठों की प्रति), यदि कोई हो, के साथ विस्तार से कारण और अपना औचित्य प्रस्तुत करेगा। केवल बैंक द्वारा प्रदान की गई समय के विस्तार की अवधि (ठेकेदार से आवेदन प्राप्त होने पर या विलंब के लिए आधार की औचित्य के रूप में ऐसे किसी भी आवेदन प्रमाणन के अभाव में) परिसमापन क्षति के अधिरोपण की छूट के लिए अर्हता प्राप्त करेगी। मूल निर्धारित अवधि से अधिक की शेष अवधि और बैंक द्वारा दिए गए समय के प्राधिकृत विस्तार के लिए, खंड 28 के तहत बताए गए परिसमापन नुकसान का प्रावधान लागू होगा।

इसके अलावा, संविदा पूरा होने की नियत तारीख से परे की अवधि के लिए भी लागू रहेगा, भले ही ठेकेदार ने आवेदन किया हो या नहीं, पूरा होने के लिए समय के विस्तार के अनुदान के लिए जब तक कि बैंक संविदा को

समाप्त करने का निर्णय नहीं लेता है। किसी भी कारण से काम पूरा होने में देरी से ठेकेदार को दरों में किसी भी संशोधन या किसी भी कारण से किसी भी अतिरिक्त मुआवजे का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। अप्रत्याशित घटना की शर्तें, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस प्रकार हैं:

i. इस दस्तावेज़ में निहित किसी भी चीज़ के बावजूद, कोई भी पक्ष इसके तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में किसी भी देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि इस तरह की देरी अपने उचित नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण होती है, जिसमें बिना किसी सीमा के सरकारों के कार्यों, ईश्वर के कार्यों, प्राकृतिक आपदाओं, हड़तालों, किसी भी क्षेत्र में दंगों, आतंकवादी हमले, युद्ध (घोषित और अघोषित) के कारण होने वाली कोई देरी शामिल है। हालांकि, देरी के कारण ऐसी किसी भी घटना के होने पर, ठेकेदार तुरंत बैंक को लिखित रूप में इसकी सूचना देगा। ठेकेदार अप्रत्याशित घटना के प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए बाध्य है।

ii. कोई भी पक्ष, इस तरह की घटना के कारण, अपने दायित्वों के इस तरह के प्रदर्शन के संबंध में संविदा को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा।

iii. संविदा के तहत दायित्वों को घटना के समाप्त होने या अस्तित्व में समाप्त होने के बाद जितनी जल्दी संभव हो फिर से शुरू किया जाएगा। यदि संविदा के तहत किसी भी दायित्व के प्रदर्शन को पारस्परिक रूप से सहमत अवधि से परे घटना के कारण रोका या देरी की जाती है, तो कोई भी पक्ष अपने विकल्प पर, संविदा को समाप्त कर सकता है।

30. **<u>बैंक के अनुदेशों का पालन करने में ठेकेदार द्वारा विफलता</u>**

यदि ठेकेदार दस दिनों के भीतर अनुपालन की आवश्यकता वाले बैंक से लिखित नोटिस प्राप्त होने के बाद इस तरह के आगे के आहरणों का पालन करने में विफल रहता है और बैंक अन्य व्यक्तियों को ऐसे किसी भी कार्य को निष्पादित करने के लिए नियोजित और भुगतान कर सकता है जो उसे प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो सकता है, और उसके संबंध में की गई सभी लागतें बैंक द्वारा ठेकेदार से ऋण के रूप में वसूल की जाएंगी या ठेकेदार के कारण किसी भी धन से उसके द्वारा कटौती की जा सकती है।

31. **<u>बैंक द्वारा संविदा की समाप्ति</u>**

यदि ठेकेदार एक व्यक्ति या फर्म होने के नाते कोई "दिवालियापन का कार्य" करता है, या दिवालिया घोषित किया जाएगा या एक निगमित कंपनी होने के नाते उसके खिलाफ अनिवार्य समापन के लिए एक आदेश होगा या स्वेच्छा से समापन के लिए एक प्रभावी संकल्प पारित करेगा या न्यायालय और आधिकारिक समनुदेशिती या परिसमापक के पर्यवेक्षण के अधीन है, दिवालियापन या समापन के ऐसे कृत्यों में, जैसा भी मामला हो, उसे ऐसा करने की आवश्यकता के नोटिस के सात दिनों के भीतर, बैंक की उचित संतुष्टि दिखाने के लिए कि वह संविदा को पूरा करने और पूरा करने में सक्षम है और उसके लिए सुरक्षा देने के लिए, यदि बैंक द्वारा आवश्यक हो।

अथवा यदि ठेकेदार (चाहे कोई व्यक्ति, फर्म या निगमित कंपनी) ठेकेदार के खिलाफ जारी की जाने वाली संपत्ति को निष्पादन या न्यायालय कुर्क करने की अन्य प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा,

अथवा इस संविदा के तहत ठेकेदार के किसी भी लेनदार द्वारा या उसकी ओर से किसी भी भुगतान को भुगतना होगा,

अथवा बैंक की लिखित सहमति के बिना इस संविदा को पहले और प्राप्त करने के बिना असाइन या सबलेट करेगा,

अथवा इस संविदा या किसी भी भुगतान को प्रभार देगा या भार देगा या जो ठेकेदार के कारण हो सकता है,

अथवा यदि बैंक यह निर्धारित करता है कि ठेकेदार

i. संविदा को छोड़ दिया है, या
ii. यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यदि कोई कार्य शुरू करने में विफल रहा है, या उन शर्तों के तहत बिना किसी वैध बहाने के कार्य कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बैंक नोटिस प्राप्त करने के बाद 14 दिनों के लिए कार्य की प्रगति को निलंबित कर दिया है, या
iii. यदि हां, तो इस प्रकार के परिश्रम के साथ कार्यों को आगे बढ़ाने में विफल रहा है और ऐसी उचित प्रगति करने में विफल रहा है जिससे कार्यों को सहमत समय के भीतर पूरा किया जा सके, या
iv. साइट से सामग्री को हटाने या नीचे खींचने में विफल रहा है, और लिखित सूचना प्राप्त करने के बाद सात दिनों के लिए काम को बदलने में विफल रहा है कि उक्त सामग्री या कार्य की निंदा की गई थी और इन शर्तों के तहत बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था या
v. ठेकेदार द्वारा देखे जाने वाले और निष्पादित किए जाने वाले सभी या किसी भी कार्यों, मामलों या चीजों को ठेकेदार द्वारा सात दिनों तक देखने और निष्पादित करने के लिए लगातार उपेक्षित या विफल रहा है, ठेकेदार को लिखित नोटिस दिया गया होगा कि ठेकेदार को उसी का निरीक्षण करने या प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी।

तब और उक्त मामलों में से किसी में, बैंक, किसी भी पूर्व छूट के बावजूद, ठेकेदार को लिखित रूप में सात दिनों का नोटिस देने के बाद, ठेकेदार के संविदा और देनदारियों का निर्धारण कर सकता है, जो पूरी तरह से लागू रहेगा जैसे कि संविदा इस तरह से निर्धारित नहीं किया गया था, और जैसे कि बाद में निष्पादित कार्य ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किए गए थे और इसके अलावा, बैंक अपने एजेंटों या सेवकों द्वारा एस्टेट या आस-पास की भूमि या सड़कों पर पड़े कार्यों और सभी संयंत्रों, उपकरणों, मचानों, मशीनरी और सामग्रियों में प्रवेश कर सकता है और उन्हें अपने कब्जे में ले सकता है, और इसे अपनी संपत्ति के रूप में उपयोग कर सकता है या कार्यों को पूरा करने और पूरा करने के लिए किसी अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को नियोजित करके अपने स्वयं के सेवकों और श्रमिकों के माध्यम से नियोजित कर सकता है, और ठेकेदार किसी भी तरह से ऐसे अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को रोकने या बाधित करने के लिए कोई भी कार्य, मामला या चीज नहीं करेगा। जब कार्य पूरा हो जाएगा या उसके बाद जितनी जल्दी सुविधाजनक हो, बैंक ठेकेदार को अपनी अधिशेष सामग्री और संयंत्र को हटाने के लिए लिखित रूप में एक नोटिस देगा, और यदि ठेकेदार उसके द्वारा प्राप्त होने के बाद चौदह दिनों की अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो बैंक इसे सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेच सकता है, और वसूली की गई शुद्ध राशि के लिए ठेकेदार को क्रेडिट दे सकता है। इसके बाद बैंक अपने हाथ से यह पता लगाएगा और प्रमाणित करेगा कि उक्त संयंत्र और बैंक द्वारा इस प्रकार कब्जा की गई सामग्री के मूल्य के लिए बैंक द्वारा क्या (यदि कुछ हो) देय या देय होगा और बैंक द्वारा इस प्रकार कब्जा किए गए कार्यों और पूरा किए जाने वाले कार्यों की खरीद में बैंक को कितना खर्च या हानि होगी, और राशि, यदि कोई हो, ठेकेदार को देय है और इस प्रकार प्रमाणित की जाने वाली राशि के बाद बैंक द्वारा ठेकेदार को या ठेकेदार द्वारा बैंक को भुगतान किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, और बैंक का निर्णय पक्षों के बीच अंतिम और निर्णायक होगा।

32. **<u>ठेकेदार द्वारा संविदा की समाप्ति</u>**

यदि बैंक के इंजीनियर के प्रमाण पत्र के तहत बैंक द्वारा देय राशि का भुगतान बकाया होगा और लिखित रूप में नोटिस के बाद तीस दिनों तक भुगतान नहीं किया जाएगा, जैसा कि पूर्वोक्त राशि का भुगतान करना होगा, ठेकेदार द्वारा बैंक को दिया गया होगा या यदि बैंक संविदा को अस्वीकार कर देगा, या यदि बैंक के आदेश के तहत या किसी भी निषेधाज्ञा या कानून के किसी भी आदेश द्वारा तीन महीने के लिए काम बंद कर दिया जाता है, तो और उक्त मामलों में से किसी में, ठेकेदार बैंक को लिखित रूप में नोटिस द्वारा संविदा का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होगा और वह बैंक से वसूली करने का हकदार होगा, निष्पादित सभी कार्यों के लिए भुगतान और किसी भी नुकसान के लिए वह किसी भी संयंत्र या सामग्री की आपूर्ति या खरीद या संविदा के उद्देश्य के लिए तैयार किया जा सकता है।

इस तरह के भुगतान की राशि पर पहुंचने पर, ठेकेदार की मूल निविदा में निहित शुद्ध दरों का पालन किया जाएगा, या जहां यह लागू नहीं हो सकता है, मूल्यांकन इसके खंड 19 के अनुसार किया जाएगा।

33. **<u>प्रमाण पत्र और भुगतान</u>**

(a) ठेकेदार को बैंक द्वारा समय-समय पर निष्पादित कार्यों के कारण बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले अंतरिम प्रमाण पत्र के तहत किश्तों द्वारा भुगतान किया जाएगा, परिशिष्ट में नामित अनुमानित मूल्य के अनुसार काम किया जाएगा "**अंतरिम प्रमाणपत्रों के लिए काम का मूल्य**" (या बैंक के उचित विवेक पर कम) इस संविदा के अनुसार निष्पादित किया गया है। बैंक, अपने विवेक पर, अंतरिम प्रमाण पत्र में ऐसी राशि शामिल कर सकता है जिसे वह कार्यों में उपयोग के लिए ठेकेदार द्वारा साइट पर वितरित सामग्री के कारण उचित समझे और जब कार्य वस्तुतः पूरा हो गया है और बैंक ने लिखित रूप में प्रमाणित किया होगा कि वे पूरे हो गए हैं, तो ठेकेदार को बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र के अनुसार बैंक द्वारा शेष राशि का भुगतान किया जाएगा। ठेकेदार परिशिष्ट में "**दोष देयता अवधि" के रूप में संदर्भित अवधि की समाप्ति पर बैंक द्वारा लिखित रूप में जारी किए जाने वाले अंतिम प्रमाण पत्र के अनुसार प्रतिभूति जमा के लिए बैंक गारंटी जारी करने का हकदार होगा**, आभासी समापन की तारीख से या ऐसी अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद जैसे ही कार्य अंतिम रूप से पूरा हो गया होगा और दोषों को इसके सही इरादे और अर्थ के अनुसार अच्छा किया जाएगा, जो भी अंतिम रूप से होगा, बशर्ते कि बैंक द्वारा किसी भी प्रमाण पत्र को उनके पूरा होने पर या उसके बाद कार्यों की प्रगति के दौरान जारी करने से ठेकेदार को खंड 2 और 22 के तहत उसके दायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा और न ही धोखाधड़ी के मामलों में ठेकेदार को उसकी अक्षमता से राहत मिलेगी, कार्यों या सामग्रियों से संबंधित बेईमानी या कपटपूर्ण छिपाव या प्रमाण पत्र के भीतर निपटाए गए किसी भी मामले से, और कार्यों या सामग्रियों में सभी दोषों और अपर्याप्तताओं के मामले में, जो एक उचित परीक्षा का खुलासा नहीं होगा। कोई भी प्रमाण पत्र अपने आप में निर्णायक प्रमाण नहीं होगा कि कोई भी कार्य या सामग्री, जिससे यह संबंधित है, संविदा के अनुसार है और न ही ठेकेदार के पास किसी भी राशि के लिए दावा होगा जिसे बैंक ने किसी भी अंतरिम बिल में प्रमाणित किया हो सकता है और बैंक द्वारा भुगतान किया हो सकता है और जिसे बाद में देय नहीं पाया जा सकता है और इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
बैंक के पास किसी भी प्रमाण पत्र को रोकने की शक्ति होगी यदि कार्य या उसके कोई भाग उसकी संतुष्टि के लिए नहीं किए जा रहे हैं।

बैंक किसी भी प्रमाण पत्र द्वारा किसी भी पिछले प्रमाण पत्र में कोई भी सुधार कर सकता है जो उसके द्वारा जारी किया गया होगा।

बैंक को ऐसे प्रमाण पत्र वितरित किए जाने के बाद "प्रमाण पत्र प्रदान करने की अवधि" के रूप में परिशिष्ट में नामित अवधि के भीतर भुगतान किया जाएगा।

सिस्टम के लिए भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाएगा और इस संविदा से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को उस कार्यालय द्वारा अधिकार क्षेत्र के भीतर हल किया जाएगा जहां से संविदा पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

34. **<u>विलंबित भुगतान</u>**

बैंक द्वारा ठेकेदार को देय कोई भी राशि यदि परिशिष्ट में नामित "प्रमाण पत्र के सम्मान की अवधि" के भीतर भुगतान नहीं की जाती है, तो परिशिष्ट में नामित दर पर "विलंबित भुगतान के लिए ब्याज दर" के रूप में ब्याज ले जाती है, जिस तारीख को भुगतान करने तक बैंक द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए था।

35. **<u>मध्यस्थता द्वारा विवाद का निपटान</u>**

किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद, जो संविदा से उत्पन्न होते हैं या उसके संबंध में या कार्यों को पूरा करने के संबंध में (चाहे कार्यों की प्रगति के दौरान या पूरा होने के बाद और चाहे संविदा के निर्धारण, परित्याग या उल्लंघन से पहले या बाद में) को बैंक द्वारा संदर्भित और निपटाया जाएगा जो लिखित रूप में अपना निर्णय बताएगा। ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाण पत्र के रूप में या अन्यथा हो सकता है। किसी भी अपवाद के मामले के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और अपील के बिना होगा। लेकिन अगर कोई भी पक्ष किसी भी मामले पर असंतुष्ट है, तो पार्टी इस तरह के निर्णय की सूचना प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर दूसरे पक्ष को एक लिखित नोटिस दे सकती है जिसमें यह आवश्यक है कि विवाद में मामलों को यहां सहमत प्रक्रिया के अनुसार मध्यस्थता के लिए भेजा जाए। इस तरह की लिखित सूचना उन मामलों को निर्दिष्ट करेगी, जो विवाद या अंतर में हैं जिनमें से ऐसा लिखित नोटिस दिया गया है। यदि दोनों पक्ष सहमत हैं तो इस उद्देश्य के लिए एक एकल मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। यदि एकल मध्यस्थ की नियुक्ति पर कोई समझौता नहीं हो सका, तो दोनों पक्ष अपनी ओर से एक-एक व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामित करेंगे। पार्टियों द्वारा नामित दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए एक और व्यक्ति को नामित करेंगे।

मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, किसी भी प्रमाण पत्र को खोलने और संशोधित करने की शक्ति होगी, राय, निर्णय, मांग या नोटिस, पिछले खंड में संदर्भित मामलों को छोड़कर, और विवाद के सभी मामलों को निर्धारित करने के लिए जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और जिनमें से नोटिस पूर्वोक्त के रूप में दिया जाएगा.

मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, एक वर्ष के भीतर अपना या अपना पुरस्कार देगा (या इस तरह के आगे विस्तारित समय के रूप में उसके द्वारा या उनके द्वारा तय किया जा सकता है, जैसा कि मामला पार्टियों की सहमति से हो सकता है) संदर्भ पर प्रवेश करने की तारीख से. मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान मामले में, पार्टियां आपसी सहमति से अपने विवाद या अंतर को सुलझाती हैं या समझौता करती हैं, निपटान या समझौते का अपना संयुक्त ज्ञापन दाखिल करने वाली पार्टियों पर, मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, इस तरह के समझौते या समझौते के संदर्भ में एक पुरस्कार देगा.

इस तरह के किसी भी संदर्भ पर, संदर्भ और पुरस्कार के लिए आकस्मिक लागत पर निर्णय क्रमशः मध्यस्थ या मध्यस्थों के विवेक में होगा, जैसा भी मामला हो, जो उसकी राशि निर्धारित कर सकता है या पार्टी और पार्टी के बीच कर लगाने के लिए निर्देशित कर सकता है, और किसके द्वारा और किसके द्वारा और किस तरीके से इसे वहन किया जाएगा और भुगतान किया जाएगा.

इस सबमिशन को भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के अर्थ के भीतर मध्यस्थता के लिए एक प्रस्तुति माना जाएगा।

मध्यस्थ या मध्यस्थों का पुरस्कार, जैसा भी मामला हो, पार्टियों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। यह सहमति है कि ठेकेदार ऐसे किसी भी मामले, प्रश्न या विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के कारण कार्यों को पूरा करने में देरी नहीं करेगा, लेकिन सभी उचित परिश्रम के साथ कार्यों को आगे बढ़ाएगा और जब तक मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय नहीं दिया जाता है, तब तक बैंक के निर्णय का पालन करेगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों का कोई भी पुरस्कार, जैसा भी मामला हो, ठेकेदार को कार्यों के वास्तविक संचालन के संबंध में बैंक के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के अपने दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा। बैंक और ठेकेदार एतद्द्वारा इस बात से भी सहमत हैं कि इस खंड के तहत मध्यस्थता संविदा के तहत कार्रवाई के किसी भी अधिकार के लिए एक शर्त होगी।
मध्यस्थता का स्थान वह केंद्र/शहर होगा जिसमें कार्य निष्पादित किया जा रहा है।

36. **<u>अंतिम विधेयक की तकनीकी जांच का अधिकार</u>**

बैंक को अंतिम बिल के भुगतान के समय किए जाने वाले सभी सहायक वाउचर, सार आदि सहित कार्यों और ठेकेदार के अंतिम बिल की तकनीकी जांच कराने का अधिकार होगा। यदि इस जांच के परिणामस्वरूप या

अन्यथा, किसी भी राशि को अधिक भुगतान या अधिक प्रमाणित किया गया पाया जाता है, तो बैंक द्वारा राशि की वसूली करना वैध होगा।

37. **<u>बैंक कामगारों को दिए गए मुआवजे की वसूली करने का हकदार है</u>**

यदि, किसी भी कारण से, बैंक कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के प्रावधान के आधार पर, या किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुन: अधिनियमन के आधार पर कार्यों के निष्पादन में ठेकेदार द्वारा नियोजित किसी कामगार को मुआवजे का भुगतान करने के लिए बाध्य है, तो बैंक ठेकेदार से इस प्रकार भुगतान किए गए मुआवजे की राशि की वसूली करने का हकदार होगा, और उक्त अधिनियम के तहत बैंक के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। बैंक ऐसी राशि या उसके किसी भी हिस्से को सुरक्षा जमा से या इस संविदा के तहत ठेकेदार को बैंक द्वारा देय किसी भी राशि से या अन्यथा वसूलने के लिए स्वतंत्र होगा। बैंक उक्त अधिनियम के तहत उसके खिलाफ किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए बाध्य नहीं होगा, ठेकेदार के लिखित अनुरोध को छोड़कर और बैंक को उन सभी लागतों के लिए बैंक की संतुष्टि के लिए पूरी सुरक्षा देने पर, जिसके लिए बैंक इस तरह के दावे का विरोध करने के परिणामस्वरूप उत्तरदायी हो सकता है।

38. **<u>कार्यों का परित्याग</u>**

यदि निविदा की स्वीकृति के बाद किसी भी समय, बैंक को, किसी भी कारण से, पूरे या किसी भी हिस्से को पूरा करने की आवश्यकता नहीं करेगा, तो बैंक ठेकेदार को लिखित रूप में नोटिस देगा, जिसके पास मुआवजे के किसी भी भुगतान का कोई दावा नहीं होगा या किसी भी लाभ या लाभ के कारण जो भी वह पूरे कार्यों के निष्पादन से प्राप्त हो सकता है।

39. **<u>अधिशेष सामग्री की वापसी</u>**

इस संविदा के किसी भी या सभी खंडों में इसके विपरीत कुछ भी निहित होने के बावजूद, जहां संविदा के निष्पादन के लिए कोई भी सामग्री बैंक की सहायता से सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या परमिट या लाइसेंस के तहत की गई खरीद द्वारा खरीदी जाती है, ठेकेदार उक्त सामग्री को आर्थिक रूप से और पूरी तरह से संविदा के उद्देश्य के लिए रखेगा और बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उनका निपटान नहीं करेगा और इसे बैंक को वापस कर देगा, यदि बैंक द्वारा आवश्यक हो, तो सामग्री की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा निर्धारित की जाने वाली कीमत पर, मूल्य बिक्री कर, माल और सेवा कर (जीएसटी), चुंगी और उसके संबंध में ठेकेदार द्वारा भुगतान किए गए अन्य ऐसे शुल्कों सहित खरीद मूल्य से अधिक नहीं होना निर्धारित किया जाना चाहिए। उपरोक्त शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, ठेकेदार, लाइसेंस या परमिट की शर्तों के उल्लंघन और/या विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के लिए कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होने के अलावा, सभी पैसे, लाभ या लाभ के परिणामस्वरूप बैंक के प्रति उत्तरदायी होगा, या जो सामान्य पाठ्यक्रमों में इस तरह के उल्लंघन के कारण उसके लिए जिम्मेदार होगा।

40. **<u>ठेकेदार की मृत्यु की स्थिति में संविदा समाप्त करने का बैंक का अधिकार, यदि व्यक्तिगत</u>**

इस संविदा के तहत किसी भी अधिकार या उपचार के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि ठेकेदार, एक व्यक्ति होने के नाते, मर जाता है, तो बैंक के पास इस तरह की समाप्ति के लिए कोई दायित्व उठाए बिना संविदा को समाप्त करने का विकल्प होगा।

41. **<u>दुर्घटना की रिपोर्ट</u>**

किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं की स्थिति में, सभी आवश्यक रिपोर्ट (आकस्मिक या अन्यथा) बिना किसी देरी के प्रस्तुत की जानी चाहिए। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि इन रिपोर्टों को बैंक के साथ साझा किया जाए, साथ ही साथ किसी अन्य बाहरी पार्टियों या हितधारकों को उनके प्रसारण के साथ।

42. **<u>कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम:</u>**

i. ठेकेदार "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत ठेकेदार/एजेंसी या स्थानीय शिकायत समिति, जैसा भी मामला हो, द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और ठेकेदार एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

ii. बैंक के किसी भी कर्मचारी या बैंक में काम करने वाली किसी अन्य फर्म के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ सेवा प्रदाता के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।

iii. ठेकेदार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे ठेकेदार के कर्मचारियों को शामिल करने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी या अन्य फर्म के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित होती है।

iv. ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

v. ठेकेदार अपने कर्मचारियों की एक पूरी और अद्यतन सूची प्रदान करेगा जो बैंक के परिसर में तैनात हैं।

43. **गैर-प्रकटीकरण खंड:**

i. ठेकेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो इस समझौते के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करने के दौरान सेवा प्रदाता और/या डीबी डेवलपर के कब्जे या ज्ञान में आ सकता है, किसी भी तीसरे पक्ष को और हर समय इसे सख्त विश्वास में रखेगा। ठेकेदार संविदा के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके कि इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक। ठेकेदार दूसरे पक्ष की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या अन्य जगहों पर कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या खुलासा नहीं करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को ठेकेदार की ओर से संविदा के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा, जैसा भी मामला हो, और दूसरा पक्ष नुकसान का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा।

ii. इस करार के अधीन गोपनीय जानकारी का प्रकटीकरण न किए जाने के दायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संविदाकार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा।

प्रकटीकरण न करने और गोपनीयता के संबंध में संविदाकार का दायित्व इस करार के समाप्त होने, पूरा होने या किसी भी कारण से समाप्त किए जाने तक बना रहेगा।

44. **<u>कार्यक्रम चार्ट/प्रगति रिपोर्ट</u>**:

ठेकेदार कार्य के विभिन्न चरणों को पूरा करने के लिए एक उपयुक्त प्रगति रिपोर्ट/चार्ट प्रस्तुत करेगा, ताकि आवंटित अवधि के भीतर कार्य पूरा करना सुनिश्चित किया जा सके। इस तरह के कार्यक्रम को कार्य प्रदान करने के 14 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बैंक द्वारा किए गए सभी उपयुक्त संशोधनों को प्रगति चार्ट में शामिल किया जाना चाहिए। यदि पूछा जाता है तो ठेकेदार वर्तमान उपकरण वितरण की तारीखों और अलग-अलग इकाइयों और इकाइयों के समूहों के लिए प्रत्याशित पूरा होने की तारीखों को दर्शाने वाली रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

45. **<u>सांविधिक अनुमोदन:</u>**

ठेकेदार द्वारा संबंधित सांविधिक प्राधिकरणों जैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी)/मुख्य विद्युत निरीक्षक (सीईआई)/स्थानीय अग्निशमन प्राधिकरण/स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरण आदि/स्थानीय सांविधिक प्राधिकरण से प्राप्त पूर्व-एनओसी और स्थानीय निकाय अनुमोदन के अनुसार कार्य निष्पादित किया जाएगा। ठेकेदार ऐसे सभी अनुमोदनों में किए गए सभी प्रावधानों को समझने के लिए जिम्मेदार होगा। किसी भी अतिरिक्त कार्य/संशोधन की किसी भी आवश्यकता के मामले में, इसे पहले से ही प्रभारी अभियंता के ध्यान में लाया जाएगा। स्थानीय निकाय प्राधिकरणों के मानदंडों का पालन करते हुए कार्य निष्पादित किया जाना है। ठेकेदार संबंधित अधिकारियों से आगे की मंजूरी और अंतिम पूर्णता और अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए काम पूरा होने के दौरान और बाद में आवश्यकतानुसार दस्तावेज, रिपोर्ट आदि तैयार करने में सहायता करेगा। ठेकेदार बैठकों में भाग लेने और संबंधित अधिकारियों के साथ सभी संपर्क कार्य करने के लिए भी जिम्मेदार होगा। इस खाते पर कोई अतिरिक्त/अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। हालांकि, स्थानीय निकायों/प्राधिकरणों को भुगतान किया गया शुल्क, यदि कोई हो, बैंक द्वारा वहन किया जाएगा।

46. **<u>प्रतिबंध/अयोग्यता:</u>**

निम्नलिखित आधारों पर बोली लगाने से ठेकेदार **प्रतिबंधित /अयोग्य होने** के लिए उत्तरदायी है:

i. यदि यह निर्धारित किया जाता है कि ठेकेदार ने अखंडता की संहिता के उल्लंघन में निम्नलिखित कार्य या चूक की है:

a.

I. खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ के बदले में या अन्यथा खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत, इनाम या उपहार या किसी भी भौतिक लाभ की पेशकश, याचना या स्वीकृति करना।

II. कोई भी चूक या गलत बयानी जो गुमराह कर सकती है या गुमराह करने का प्रयास कर सकती है ताकि वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त किया जा सके, या दायित्व से बचा जा सके।

III. कोई भी मिलीभगत, बोली में हेराफेरी या प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार जो खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित कर सकता है।

IV. खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के इरादे से या व्यक्तिगत लाभ के लिए खरीद इकाई द्वारा ठेकेदार को प्रदान की गई जानकारी का अनुचित उपयोग।

V. ठेकेदार और खरीद इकाई के किसी भी अधिकारी के बीच निविदा या संविदा की निष्पादन प्रक्रिया से संबंधित कोई भी वित्तीय या व्यावसायिक लेनदेन: जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खरीद इकाई के निर्णय को प्रभावित कर सकता है।

VI. खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी पक्ष या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी जबरदस्ती या कोई खतरा।

VII. किसी खरीद प्रक्रिया की किसी भी जांच या लेखा परीक्षा में बाधा डालना।

VIII. निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या संविदा सुरक्षित करने के लिए झूठी घोषणा करना या गलत जानकारी प्रदान करना।

b. हितों के टकराव का खुलासा करने में विफल।

c. पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/संस्था के साथ उप-खंड (i) के प्रावधानों के संबंध में किए गए किसी भी पिछले उल्लंघन का खुलासा करने या किसी भी सार्वजनिक खरीद संस्था/संस्था द्वारा प्रतिबंधित किए जाने का खुलासा करने में विफल रहा।

ii.) सत्यनिष्ठा संहिता के उल्लंघन के अलावा ठेकेदार द्वारा किसी भी कार्रवाई या चूक के लिए, जो बैंक की राय में अवमानक सामग्री की आपूर्ति, सामग्री की गैर-आपूत, कार्यों का परित्याग, कार्यों की अवमानक गुणवत्ता, निविदा की शर्तों का पालन करने में विफलता आदि जैसे कारणों से प्रतिबंधित है ।

iii.) यदि ठेकेदार को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है- (ए) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत; या (बी) भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य कानून के लिए लागू होने के लिए, सार्वजनिक

खरीद संविदा के निष्पादन के रूप में जीवन या संपत्ति के किसी भी नुकसान या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने के लिए।

47. **पैकिंग और प्रेषण**

उपकरण को भारतीय परिस्थितियों में कई हैंडलिंग और परिवहन के लिए उपयुक्त बक्से में ठीक से और सुरक्षित रूप से पैक किया जाएगा। सभी उपकरण/घटकों को बैंक के कार्यालय भवन में ड्यूटी डिलीवरी पेड (डीडीपी) के आधार पर वितरित किया जाएगा।

48. **पुलिस सत्यापन**

साइट पर नियमित आधार पर तैनात सभी श्रमिकों के लिए, ठेकेदार काम शुरू करने से पहले अपने स्वयं के खर्च पर वैध पुलिस सत्यापन रिपोर्ट (पीवीआर) की व्यवस्था करेगा, प्राप्त करेगा और जमा करेगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि प्रतिकूल पुलिस रिकॉर्ड या लंबित आपराधिक मामले वाला कोई भी कर्मचारी बैंक के परिसर में तैनात न हो।

----------x----------

खंड V
संविदा की विशेष शर्तें

1. पूरा करने का समय:

i. ज्ञापन में उल्लिखित कार्य को पूरा करने के लिए अनुमत समय का ठेकेदार द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा और कार्य शुरू करने के लिए लिखित आदेश जारी होने के 10 वें दिन से इसकी गणना की जाएगी। संविदा की निर्धारित अवधि के दौरान कार्य को सभी उचित परिश्रम के साथ आगे बढ़ाया जाएगा, और यदि ठेकेदार निर्दिष्ट अवधि के भीतर काम पूरा करने में विफल रहता है, तो वह संविदा की शर्तों के खंड 28 में परिभाषित मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। ठेकेदार कार्य शुरू करने से पहले एक विस्तृत कार्य कार्यक्रम तैयार करेगा जिसे बैंक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

ii. ठेकेदार कार्य शुरू करने या निष्पादित करने में देरी के कारण उसे हुए किसी भी नुकसान के लिए किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा, जो भी देरी का कारण हो सकता है, जिसमें उसे सौंपे गए कार्य में संशोधन से उत्पन्न होने वाली देरी या उससे जुड़े किसी भी उप-संविदा में देरी या परियोजना के अन्य ट्रेडों के लिए संविदा देने में देरी या ऐसे कार्यों के शुरू होने या पूरा होने में या सरकार द्वारा नियंत्रित या अन्य निर्माण सामग्री की खरीद में या निर्माण उद्देश्यों के लिए पानी और बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में या किसी अन्य कारण से और बैंक उसके संबंध में किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। बैंक निविदा राशि के अलावा किसी भी राशि के लिए दायित्व स्वीकार नहीं करता है, जो इस तरह के परिवर्तनों के अधीन है जैसा कि यहां प्रदान किया गया है।

2. सुरक्षा जमा का प्रकार:

i. **प्रतिधारण धन:** प्रतिधारण राशि @ 5% प्रत्येक ऑन-अकाउंट बिल से तब तक वसूल की जाएगी जब तक कि कुल वसूली निविदा दस्तावेज में निर्धारित संविदा मूल्य का 5% नहीं हो जाती। ऐसी राशि बिना किसी ब्याज के दोष देयता अवधि (डीएलपी) के पूरा होने के बाद ठेकेदार को जारी की जाएगी। सफल बोलीदाता प्रतिधारण धन के बदले बैंक गारंटी (बीजी) भी जमा कर सकता है, जो डीएलपी के एक वर्ष तक वैध है। अनुबंध VI में उल्लिखित बीजी का प्रारूप।

ii. **कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी(पीबीजी):** ऊपर निर्दिष्ट प्रतिधारण धन के अलावा, कार्य के पुरस्कार पर, सफल ठेकेदार संविदा द्वारा संविदात्मक दायित्वों की उचित पूर्ति के लिए संविदा की मुद्रा (कार्य पूर्णता) की पूरी अवधि के लिए अनुबंध VI के अनुसार किसी भी अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी (बीजी) के रूप में संविदा मूल्य के 5% (पांच प्रतिशत) के बराबर राशि प्रस्तुत करेगा। यह कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी(पीबीजी) संविदा अवधि की अवधि के लिए शुरू में वैध होगी। इस तरह की कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी(पीबीजी) कार्य आदेश जारी होने के 14 दिनों के भीतर बैंक को प्रस्तुत की जानी चाहिए। **कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी(पीबीजी) को ईपीबीजी, एक भौतिक प्रति या एनईएफटी के माध्यम से समान राशि के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।**

iii. निविदा में निर्धारित कार्यनिष्पादन बैंक गारंटीजमा करना सुनिश्चित किया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में देरी के मामले में, निष्पादन बैंक गारंटी जमा करने में देरी के लिए शुल्क बैंक दर पर ठेकेदार के बिलों से वसूला जाएगा।

iv. बैंक डीएलपी के दौरान किसी भी समय यानी काम सौंपने से एक वर्ष पहले निविदा में निर्धारित डीएलपी की शर्तों, शर्तों के असंतोषजनक प्रदर्शन के मामले में बैंक गारंटी को लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3. भुगतान की शर्तें: इस संविदा पर सांविधिक कटौतियों के अधीन, भुगतान की निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:

बैंक के इंजीनियर द्वारा सत्यापन/प्रमाणन के बाद बिलों के 75% (या बैंक द्वारा तय किए गए अनुसार कम%) का तदर्थ भुगतान किया जाएगा। हालांकि, तदर्थ भुगतान जारी करने के लिए, मद-वार माप लिया जाएगा, और भुगतान उद्धृत दर पर कार्य की विशिष्ट मद के पूरा होने के आधार पर किया जाएगा। सभी भुगतान सांविधिक अनिवार्यताओं के अनुसार प्रतिधारित धन, आईटी और टीडीएस के लिए 5% की वसूली के अधीन होंगे। ठेकेदार ध्यान देगा कि **रनिंग बिल के भुगतान के लिए किए गए कार्य का न्यूनतम मूल्य 35 लाख रुपये है**। इसके अलावा, सरकारी नियमों के अनुसार आईटी अधिभार, टीडीएस और कोई अन्य सांविधिक कर और 5% आरएमडी सभी रनिंग अकाउंट बिलों से काट लिया जाएगा।

खंड (VI) - इससे पहले संदर्भित परिशिष्ट

इससे पहले संदर्भित संविदा की सामान्य शर्तों में खंडों का संदर्भ लें

1	दोष देयता अवधि	काम पूरा होने की तारीख से बारह महीने
2	अंतिम माप की अवधि	3 महीने
3	प्रारंभ होने की तिथि	कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 10 वें दिन
4	पूरा होने का समय	तीन महीने
5	परिसमापन क्षति की दर	@ देरी के प्रत्येक सप्ताह के लिए संविदा मूल्य का 0.25%, अधिकतम संविदा मूल्य का 10% तक
6	अंतरिम प्रमाण पत्र/रनिंग अकाउंट बिल के लिए कार्यों का न्यूनतम मूल्य	35 लाख रुपये
7	भुगतान के प्रमाण पत्र को सम्मानित करने की अवधि	अंतरिम विधेयकों के लिए एक महीने और अंतिम विधेयक के लिए 3 महीने
8	विलंबित भुगतान के लिए ब्याज	बैंक दर के अनुसार

संविदा की विशेष शर्त में खंडों का संदर्भ

1	संविदा अवधि/पूरा होने का समय	कार्य आदेश के 10वें दिन से 3 महीने
2	प्रतिधारण धन	डीएलपी तक संविदा मूल्य का 5%
2	कार्य के निष्पादन के दौरान सुरक्षा जमा/पीबीजी	काम पूरा होने तक संविदा मूल्य का 5%

खंड-VII

सुरक्षा कोड (ए और बी)

A. सामान्य सुरक्षा

1. निष्फल ड्रेसिंग और रूई की पर्याप्त आपूर्ति सहित प्राथमिक चिकित्सा उपकरण आसानी से सुलभ स्थान पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
2. एक घायल व्यक्ति को बिना समय गंवाए सार्वजनिक अस्पताल ले जाया जाएगा, ऐसे मामलों में जहां चोट के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है।
3. उन सभी कार्यों के लिए श्रमिकों के लिए उपयुक्त और मजबूत मचान प्रदान किए जाने चाहिए जो जमीन से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते हैं।
4. कोई भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। साइड रेल के बीच की चौड़ाई 30 सेमी (स्पष्ट) से कम नहीं होनी चाहिए और दो आसन्न पायदानों के बीच की दूरी 30 सेमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब सीढ़ी का उपयोग किया जाता है तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त मज़दूर लगाया जाएगा।
5. खुदाई की गई सामग्री को खाई के किनारे के 1.5 मीटर या खाई की आधी गहराई के भीतर, जो भी अधिक हो, के भीतर नहीं रखा जाएगा। सभी खाइयों और खुदाई को आवश्यक बाड़ और प्रकाश व्यवस्था प्रदान की जाएगी।
6. किसी भवन के फर्श में या कार्य मंच में प्रत्येक उद्घाटन को उपयुक्त बाड़ या रेलिंग प्रदान करके व्यक्तियों या सामग्रियों के गिरने से रोकने के लिए उपयुक्त साधन प्रदान किए जाएंगे; न्यूनतम ऊंचाई एक मीटर होगी।
7. संरचना के किसी भी फर्श, छत या अन्य हिस्से को सामग्री के मलबे से इतना अधिक नहीं लगाया जाएगा कि यह असुरक्षित हो जाए।
8. डामर, सीमेंट मोर्टार या कंक्रीट और चूने के मोर्टार जैसी सामग्री के मिश्रण और हैंडलिंग पर कार्यरत श्रमिकों को सुरक्षात्मक जूते और रबर के हाथ के दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।
9. वेल्डिंग कार्यों में लगे लोगों को वेल्डर की सुरक्षात्मक आई-शील्ड और दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।
10. i) पेस्ट या रेडीमेड पेंट के रूप को छोड़कर सीसा या सीसा उत्पादों वाले किसी भी पेंट का उपयोग नहीं किया जाएगा।
 ii) श्रमिकों द्वारा उपयोग के लिए उपयुक्त फेस मास्क की आपूर्ति की जाएगी जब पेंट स्प्रे या सतह के रूप में लगाया जाता है, जिसमें लेड पेंट, सूखा, रगड़ और स्क्रैप किया जाता है।
11. बोलीदाता द्वारा चित्रकारों को चौग़ा की आपूर्ति की जाएगी और काम करने वाले पेंटरों को काम बंद होने की अवधि के दौरान धोने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
12. कार्यों में उपयोग की जाने वाली उत्थापन मशीनें और टैकल, उनके संलग्नक, लंगर और समर्थन सहित सही स्थिति में होंगे।
13. सामग्री को उत्थापित करने या कम करने या निलंबन के साधन में मुकदमा दायर करने वाली रस्सियाँ टिकाऊ गुणवत्ता और पर्याप्त ताकत की होंगी और दोषों से मुक्त होंगी।
14. बोलीदाता सांविधिक मानदंडों के अनुसार कार्य करने के लिए श्रमिकों को सभी सुरक्षा उपकरण प्रदान करेगा।
15. कार्य निष्पादन के दौरान आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपाय भी किए जाएंगे।

----------x----------

B. आग और विद्युत सुरक्षा

1. साइट पर विभिन्न सेवाओं को पूरा करने के लिए सभी अस्थायी विद्युत शक्ति जैसे कि कटिंग/ड्रिलिंग मशीन उचित रूप से रेटेड अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन डिवाइस (ईएलसीबी) के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
2. केवल आईएसआई चिह्नित 3 पिन प्लग और अन्य उपकरणों और उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। उपयोग किए गए विद्युत बिजली केबलों/तारों को ठीक से रेट किया जाना चाहिए और जोड़ों से बचना चाहिए। यदि वहां है, तो जोड़ उचित और अछूता होना चाहिए।
3. सभी विद्युत उपकरणों यानी वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग मशीन आदि को संचालन के दौरान लीकेज करंट को रोकने के लिए सुरक्षित और सुरक्षित रूप से अर्थिंग किया जाएगा। किसी भी दिन पहली बार वेल्डिंग का काम शुरू करने से पहले, फायर सेक्शन को सूचित किया जाएगा और अग्निशमन अधिकारियों/कर्मियों द्वारा साइट निरीक्षण के बाद ही काम शुरू किया जाएगा।
4. आग से निपटने के लिए उपयुक्त अग्निशामक यंत्रों के अलावा, साफ सूखी रेत से भरी और आग बुझाने के लिए तत्काल उपयोग के लिए तैयार आग की बाल्टियों को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा और सुविधाजनक स्थान पर साइट पर रखा जाएगा।
5. प्रयुक्त पेंट ड्रम को ठीक से बंद करने के बाद ही निर्दिष्ट स्टोर में संग्रहीत किया जाएगा।
6. किसी भी अग्निशामक यंत्र को उसके निर्दिष्ट स्थान से हटाया/स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
7. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे सुरक्षा जूते, हाथ दस्ताने, वेल्डर का मास्क, ईयर प्लग, आदि, जो काम की आवश्यकता के आधार पर लागू होते हैं, का उपयोग श्रमिकों द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों को रोकने के लिए किया जाएगा।
8. लिफ्ट लॉबी और सीढ़ियों के पास के किसी भी मार्ग का उपयोग किसी भी प्रकार की सामग्री/कचरे को रखने/डंप करने के लिए नहीं किया जाएगा
9. उपकरण उपयोग में न होने पर मुख्य से बिजली की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी।
10. काम से उत्पन्न लकड़ी की छीलन, आरी-धूल या किसी भी मलबे को दैनिक आधार पर एकत्र किया जाएगा, साइट से हटा दिया जाएगा और उचित तरीके से निर्दिष्ट स्थान पर संग्रहीत किया जाएगा।
11. कार्य स्थल को कार्य के दौरान ठीक से रोशन किया जाएगा।
12. सभी विद्युत कार्य लाइसेंस/अधिकृत इलेक्ट्रीशियन/वायरमैन द्वारा किए जाने चाहिए
13. रोशनी के लिए अस्थायी तार बिछाने से बचने के लिए कार्य स्थल पर पोर्टेबल बैटरी से चलने वाली रोशनी का उपयोग किया जा सकता है।
14. कार्य स्थल पर विशिष्ट स्थानों पर अच्छी गुणवत्ता के आवश्यक बैरिकेडिंग और साइनेज बोर्ड लगाए जाएंगे।
15. एल्यूमीनियम/स्टील की सीढ़ियों के आधार पर उचित रबर इन्सुलेशन होना चाहिए और जहां भी आवश्यक हो, इन सीढ़ियों को विद्युत इन्सुलेटिंग सुरक्षित रबर मैट पर रखा जाना चाहिए।
16. कार्य से उत्पन्न किसी भी मलबे को दैनिक आधार पर एकत्र किया जाएगा, साइट से हटा दिया जाएगा और उचित तरीके से निर्दिष्ट स्थान पर संग्रहीत किया जाएगा ।

----------x----------

खंड VIII

कार्य का दायरा

कार्य के दायरे में बैंक के अभियंता द्वारा तैयार किए गए विनिर्देशों के अनुसार और बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के अनुसार **बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर, तिरुवनंतपुरम में भवनों की सामान्य मरम्मत और बाहरी पुनःपेंटिंग** शामिल है।

बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर में भवनों में मुख्य रूप से शामिल हैं

1. मुख्य कार्यालय भवन (भूतल से तीसरी मंजिल तक),
2. अनुलग्नक भवन (भूतल से तीसरी मंजिल तक),
3. बैंकिंग हॉल (भूतल से पहली मंजिल तक)
4. अन्य छोटी भवनें जैसे आईएफसी, सबस्टेशन, पंप रूम आदि।

<u>तकनीकी विनिर्देश:</u>

1. गुणवत्ता: कार्य में उपयोग की जाने वाली सामग्री अनुमोदित मेक, सर्वोत्तम गुणवत्ता की होगी और निर्माताओं द्वारा इंगित किए गए अनुसार राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानक कोड (एएसटीएम, आईएस, बीएसईएन, आदि) के निर्धारित परीक्षण मापदंडों के अनुरूप होगी, जैसा कि यहां विनिर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है।

2. निरीक्षण और परीक्षण: कार्यों में उपयोग किए जाने से पहले सभी सामग्रियों को निरीक्षण और परीक्षण के अधीन किया जाएगा, यदि बैंक के इंजीनियर द्वारा आवश्यक हो, जैसा कि संविदा शर्तों में और मात्रा के विनिर्देशों/अनुसूची में कहीं और प्रदान किया गया है। प्रासंगिक मानकों के अनुसार ऐसे सभी परीक्षणों के लिए आवश्यक सभी नमूनों की लागत को संविदा दरों में शामिल माना जाएगा। इंजीनियर द्वारा निर्देशित सामग्री परीक्षण की लागत, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद और मूल चालान के लिए बैंक द्वारा की जाएगी। कार्यों में किसी भी सामग्री का उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उन्हें पहले इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया हो। संबंधित सामग्री के लिए लागू निर्माता परीक्षण प्रमाण पत्र / बैच परीक्षण रिपोर्ट साइट पर आपूर्ति की गई सामग्री के साथ होगी जिसे बैंक के इंजीनियर द्वारा आवश्यक होने पर परीक्षण के लिए भेजा जा सकता है।

3. परिवहन की लागत: ठेकेदार साइट पर और बैंक के इंजीनियर द्वारा समय-समय पर अनुमोदित स्थानों पर इस काम के लिए माल और सामग्री की आपूर्ति के सभी परिवहन, अनलोडिंग, स्टैकिंग और भंडारण के लिए अपनी लागत की अनुमति देगा। ठेकेदार साइट पर नियंत्रित या अन्यथा सभी सामग्रियों के परिवहन के लिए अपनी कीमत की अनुमति देगा।

4. शामिल करने के लिए दर: उद्धृत दरें सभी ऊंचाइयों और गहराई और पूर्ण कार्य के लिए होंगे।

5. दूसरे व्यापार के लिए ठेकेदारों से पता लगाने के लिए: ठेकेदार बैंक द्वारा निर्देशित के रूप में अपने निष्पादन के क्रम के संबंध में अपने काम से संबंधित सभी विवरणों का पता लगाएगा और काम हाथ में लेने से पहले जिस स्थिति में पीछा करने, छेद और इसी तरह की वस्तुओं की आवश्यकता होगी, क्योंकि इन विवरणों का पहले से पता लगाने के लिए ठेकेदारों द्वारा किसी भी उपेक्षा के परिणामस्वरूप पहले से निष्पादित काम को काटने के लिए अतिरिक्त के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा।

6. सामग्री का परीक्षण: ठेकेदार, सामग्री की आपूर्ति के लिए आदेश देने से पहले, बैंक के इंजीनियर को अपने खर्च पर पेटेंट उत्पादों और विशिष्ट मेक के तहत उपयोग किए जाने वाले सामग्रियों के नमूने प्रस्तुत करेगा, जो ऐसे उत्पादों और निर्माताओं के बैंक के इंजीनियर/नियोक्ता द्वारा पूर्व अनुमोदन के बावजूद, समय पर काम करने के लिए प्रस्तावित हैं; इस तरह के पूर्व अनुमोदन से नमूनों के अनुमोदन के संबंध में नियम की छूट नहीं होगी। सभी मामलों में, निर्माताओं/निर्माताओं

के परीक्षण प्रमाण पत्र ठेकेदार द्वारा उनके माल/वस्तुओं/उत्पादों/प्रक्रियाओं/उपकरणों के नमूनों के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे।

7. साइट और मलबे को साफ करना: ठेकेदार नगरपालिका या अन्य स्थानीय सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अनुमत स्थान पर नियोक्ता की पूरी संतुष्टि के लिए अपने खर्च पर सभी मलबे और बचे हुए सामग्री को साफ करना सुनिश्चित करेगा।

8. कब्ज़ा करने के लिए भवन की तैयारी और पूरा होने पर उपयोग: ठेकेदार द्वारा पूरे कार्य का पूरी तरह से निरीक्षण किया जाएगा और सभी कमियों और दोषों को ठीक किया जाएगा। इस तरह के निरीक्षण के पूरा होने पर, ठेकेदार नियोक्ता को लिखित रूप में सूचित करेगा कि उसने काम पूरा कर लिया है और यह बैंक के इंजीनियरों के निरीक्षण के लिए तैयार है। पूरा होने पर, ठेकेदार सभी खिड़कियों और दरवाजों और सभी कांच के शीशों को साफ करेगा, जिसमें सभी फर्श, सीढ़ियां और सभी हार्डवेयर के तेल लगाने सहित कार्य क्षेत्र के हर हिस्से की सफाई शामिल है। वह पूरे कार्य क्षेत्र को साफ और साफ छोड़ देगा और तत्काल कब्जे के लिए और नियोक्ता की संतुष्टि के लिए तैयार होगा।

9. वाउचर: ठेकेदार नियोक्ता को अनुरोध पर वाउचर के साथ प्रस्तुत करेगा, यह साबित करने के लिए कि सामग्री निर्दिष्ट के रूप में है और उन दरों को इंगित करने के लिए जिन पर सामग्री खरीदी गई थी ताकि निविदा मदों के दर विश्लेषण को काम किया जा सके, जिसे बाद में करने के लिए बुलाया जा सकता है।

10. सुरक्षा: ठेकेदार पूरा होने तक काम की अवधि के दौरान सभी कार्यों को ठीक से कवर करेगा और संरक्षित करेगा, विशेष रूप से चिनाई / खत्म, मोल्डिंग, विशेष मंजिल खत्म, सीढ़ियां और कटघरा, दरवाजे और खिड़की के फ्रेम, प्लास्टर कोण, प्रकाश व्यवस्था और सैनिटरी फिटिंग, कांच, पेंट का काम और सभी खत्म, आदि।

11. सामग्री और कारीगरी

इस संविदा के तहत ठेकेदार प्रथम श्रेणी की सामग्री का उपयोग करने के लिए खुद को बाध्य करता है। कारीगरी की गुणवत्ता परियोजना की प्रकृति के अनुरूप उच्चतम क्रम की होगी। मानक के अनुरूप नहीं होने वाले सभी कार्यों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और ठेकेदार को दोषपूर्ण कार्य को खत्म करने और अपनी लागत और जोखिम पर काम को फिर से करने की आवश्यकता होगी। कारीगरी की गुणवत्ता/मानक के संबंध में बैंक के इंजीनियर का निर्णय अंतिम और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा।

सामग्री:

a) सामग्री सर्वोत्तम अनुमोदित गुणवत्ता की होगी और वे निर्दिष्ट संबंधित नवीनतम आईएस कोड का अनुपालन करेंगे।

b) सभी सामग्री, यदि आवश्यक हो, नियोक्ता द्वारा जारी किए गए परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित किसी भी परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाएगा, जिसे ठेकेदार द्वारा प्रयोगशाला द्वारा जारी किए गए ऐसे परीक्षणों के कार्यालय परिणामों से देखा जा सकता है, बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा

c) नियोक्ता/किसी अन्य विशेषज्ञ फर्म द्वारा आपूर्ति की गई सभी सामग्रियों को ठीक से संग्रहीत किया जाएगा और ठेकेदार इसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा जब तक कि वे कार्यों पर आवश्यक न हों और काम पूरा होने तक।

d) जब तक अन्यथा चित्र पर नहीं दिखाया जाता है या मात्रा या निर्दिष्ट शर्तों की अनुसूची में उल्लिखित नहीं किया जाता है, तब तक सामग्री की गुणवत्ता, कारीगरी, आयाम आदि यहां निर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

12.1 डबल स्कैफोल्डिंग:

a) मजबूत डबल स्टील मचान जिसमें ऊर्ध्वाधर समर्थन के 2 सेट होंगे। समर्थन ध्वनि और मजबूत होना चाहिए, क्षैतिज सदस्यों द्वारा एक साथ बंधा होना चाहिए, जिस पर मचान तख्तों को तय किया जाएगा।

b) मरम्मत/पुन: रंग-विरंगन कार्य की पूरी अवधि के लिए मात्रा की अनुसूची में निर्दिष्ट कार्य की सभी वस्तुओं के लिए मचान सामान्य होगा।

c) इस प्रकार बनाए गए मचान को वास्तविक पेंटिंग/मरम्मत कार्यों का कार्य शुरू करने से पहले इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

d) हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इंजीनियर से अनुमोदन ठेकेदार को उसकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगा और इस संबंध में लापरवाही के कारण संपत्ति को कोई नुकसान या जीवन का कोई नुकसान ठेकेदार के खाते में होगा।

13. खराब/कमजोर कंक्रीट का छिलना:

13.1 सावधानी, तैयारी और प्रक्रिया

गुनिटिंग आदि के खराब काम/कंक्रीट/विघटित परत को छिलकर (झूठे कार्यों के साथ सदस्य को ठीक से समर्थन देने के बाद), नियमित आकार में, सुदृढीकरण की दिशा के समानांतर या सामान्य पक्षों के साथ किया जाएगा। छिलना मंत्र की परिधि से कम से कम 50 मिमी आगे किया जाएगा। एक बार में, मरम्मत क्षेत्र की किसी भी दिशा में न्यूनतम चौड़ाई 100 मिमी होनी चाहिए। यदि कई मंत्र एक-दूसरे के निकट स्थित हैं, तो इन्हें मरम्मत के लिए चिह्नित एक ही क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए। सदस्य की सतह के लिए कट को सामान्य बनाया जाएगा। कट की न्यूनतम गहराई 12 मिमी होनी चाहिए।

सुदृढीकरण स्टील को न काटने के लिए पर्याप्त देखभाल की जानी चाहिए और कवर की गहराई का अनुमान लगाने के लिए एक कवर मीटर का उपयोग किया जा सकता है, जिसके लिए कुछ भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

मरम्मत क्षेत्रों के लिए लगभग समान गहराई तक ध्वनि कंक्रीट की सतह का उत्पादन करने के लिए प्रभारी अभियंता द्वारा निर्धारित अनुसार आवश्यक गहराई तक चिपिंग की जानी चाहिए।

कंक्रीट को हटाने का काम मरम्मत क्षेत्रों के इंटीरियर से शुरू होना चाहिए और सीमाओं की ओर बढ़ना चाहिए। सभी किनारों और गुहाओं को चौकोर कंधे वाले होने चाहिए।

14. प्लासटरिंग

सीमेंट प्लास्टर 12 से 20 मिमी मोटा होना चाहिए जैसा कि आइटम में विनिर्दिष्ट है।

14.1 सतह की तैयारी

जोड़ों को ठीक से बाहर निकाला जाना चाहिए। धूल और ढीले मोर्टार को ब्रश किया जाएगा। पुष्पक्रम यदि कोई हो तो ब्रश और स्क्रैपिंग द्वारा हटा दिया जाएगा। फिर सतह को पानी से अच्छी तरह से धोया जाएगा, साफ किया जाएगा और पलस्तर शुरू करने से पहले गीला रखा जाएगा।

कंक्रीट की सतह के मामले में यदि फॉर्मवर्क पर एक रासायनिक मंदक लगाया गया है, तो सतह को तार ब्रशिंग द्वारा खुरदरा किया जाएगा और सभी परिणामी धूल और ढीले कणों को साफ किया जाएगा और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि सतह पर कोई भी मंदक न बचा हो।

14.2 मोर्टार

आइटम में वर्णित रेत के प्रकार का उपयोग करके निर्दिष्ट मिश्रण के मोर्टार का उपयोग किया जाएगा। बाहरी काम और अंडरकोट के काम के लिए, ठीक समुच्चय ग्रेडिंग IV के अनुरूप होगा। परिष्करण कोट के काम के लिए ग्रेडिंग ज़ोन V के अनुरूप महीन समुच्चय का उपयोग किया जाएगा।

14.3 प्लास्टर का प्रयोग

- दीवार प्लास्टर शुरू होने से पहले छत का प्लास्टर पूरा किया जाएगा।
- प्लास्टेरिंग ऊपर से शुरू किया जाएगा और फर्श की ओर नीचे काम किया जाएगा। पलस्तर से पहले सभी पुटलॉग छेद ठीक से भरे जाएंगे क्योंकि मचान को नीचे ले जाया जा रहा है। समान मोटाई और एक वास्तविक सतह सुनिश्चित करने के लिए, लगभग 15 × 15 सेमी प्लास्टर को पहले क्षैतिज और लंबवत रूप से, गेज के रूप में काम करने के लिए पूरी सतह पर 2 मीटर से अधिक अंतराल पर लागू किया जाएगा। इन गेज्ड क्षेत्रों की सतह वास्तव में तैयार प्लास्टर सतह के तल में होगी। फिर मोर्टार को ट्रॉवेल के साथ गेज के बीच दीवार पर रखा जाएगा। मोर्टार को निर्दिष्ट मोटाई से थोड़ा अधिक एक समान सतह पर लगाया जाएगा। इसे एक वास्तविक सतह पर लाया जाएगा, एक लकड़ी के सीधे किनारे को गेज के पार तक पहुंचकर, एक समय में छोटे ऊपर और बगलों में आंदोलनों के साथ। अंत में, सतह को ट्रॉवेल या लकड़ी के फ्लोट के साथ सच कर दिया जाएगा क्योंकि एक चिकनी या रेतीली दानेदार बनावट की आवश्यकता होती है। अत्यधिक ट्रॉवेलिंग या फ्लोट को अधिक काम करने से बचा जाना चाहिए।
- सभी कोने, अराइसेस, कोण और जंक्शन वास्तव में ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज होंगे जैसा कि मामला हो सकता है और सावधानी से समाप्त किया जाएगा। कोनों को गोलाई या चम्फरिंग करना, जंक्शनों आदि पर खांचे का प्रावधान होता है, जहां आवश्यक हो, बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के किया जाएगा। इस तरह की गोलाई, चम्फरिंग या ग्रूविंग को आवश्यक आकार के लिए उचित टेम्पलेट्स या बैटन के साथ किया जाएगा।
- दिन के अंत में काम को निलंबित करते समय, प्लास्टर को छोड़ दिया जाएगा, क्षैतिज और लंबवत दोनों तरह से लाइन करने के लिए साफ काट दिया जाएगा। पलस्तर को फिर से शुरू करते समय, पुराने काम के किनारे को साफ किया जाएगा और आसन्न क्षेत्रों में प्लास्टर लगाने से पहले सीमेंट के घोल से गीला किया जाएगा, ताकि दोनों को एक साथ ठीक से जुड़ने में सक्षम बनाया जा सके। पलस्तर का काम दिन के अंत में दीवार के शरीर पर बंद कर दिया जाएगा और किसी भी कोने या एराइज के 15 सेमी से अधिक नहीं होगा। यह प्लास्टर, बैंड और कॉर्निस जैसी विशेषताओं के शरीर पर बंद नहीं होना चाहिए, न ही एरिस के कोनों पर। प्लास्टर के काम में क्षैतिज जोड़ पैरापेट टॉप और कॉपिंग पर भी नहीं होंगे क्योंकि ये हमेशा रिसाव की ओर ले जाते हैं। सूखे मोर्टार में पानी डालने के आधे घंटे के भीतर प्लास्टर और फिनिशिंग पूरा हो जाएगा।

सतह के किसी भी हिस्से को शुरू में बाद में पैच करने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। सूखे मोर्टार में पानी डालने के आधे घंटे के भीतर प्लास्टर और फिनिशिंगपूरा हो जाएगा।

14.4 मोटाई

जहां आइटम के विवरण के अनुसार आवश्यक मोटाई 20 मिमी है, प्लास्टर की औसत मोटाई 20 मिमी से कम नहीं होनी चाहिए, चाहे उपचारित दीवार ईंट या पत्थर की हो। ईंटवर्क के मामले में, सतह के किसी भी हिस्से पर न्यूनतम मोटाई 15 मिमी से कम नहीं होनी चाहिए, जबकि पत्थर के काम के मामले में झाड़ियों पर न्यूनतम मोटाई 12 मिमी से कम नहीं होनी चाहिए।

14.5 क्यूरिंग

जैसे ही प्लास्टर पर्याप्त रूप से सख्त हो गया है, इलाज शुरू कर दिया जाएगा ताकि पानी पिलाए जाने पर क्षतिग्रस्त न हो।

प्लास्टर को कम से कम 7 दिनों की अवधि के लिए गीला रखा जाएगा। इस अवधि के दौरान, इसे ठेकेदार के खर्च पर सभी नुकसानों से उपयुक्त रूप से संरक्षित किया जाएगा, जैसा कि बैंक का इंजीनियर अनुमोदित कर सकता है। जिन तिथियों पर पलस्तर किया जाता है, उन्हें प्लास्टर किए गए विभिन्न खंडों पर स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा ताकि उसके बाद निर्दिष्ट अवधि के लिए इलाज देखा जा सके।

14.6 फिनिश

प्लास्टर को एक सच्ची और साहुल सतह पर और आवश्यकतानुसार चिकनाई की उचित डिग्री तक समाप्त किया जाएगा। काम का बार-बार परीक्षण किया जाएगा क्योंकि काम एक सच्चे सीधे किनारे के साथ आगे बढ़ता है जो 2.5 मीटर से कम लंबा नहीं होता है और साहुल बॉब्स के साथ। सभी क्षैतिज रेखाओं और सतहों का परीक्षण एक स्तर के साथ किया जाएगा और सभी जाम और कोनों को एक साहुल बॉब के साथ परीक्षण किया जाएगा क्योंकि काम आगे बढ़ता है।

14.7 सावधानी

(i) कोई भी दरार जो सतह में दिखाई देती है और सभी हिस्से जो टैप करने पर खोखले लगते हैं, या नरम या अन्यथा दोषपूर्ण पाए जाते हैं, उन्हें आयताकार आकार में काट दिया जाएगा और बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

(ii) स्तंभ/बीम और दीवारों के जंक्शनों के बीच सतह की दरारों को रोकने के लिए, जंक्शन को पलस्तर करने से पहले 150 मिमी चौड़े चिकन वायर जाल को 150 मिमी केंद्र से केंद्र तक यू नाखूनों के साथ लगाया जाना चाहिए। एक ऊर्ध्वाधर तल में दीवारों और बीम/स्तंभ का पलस्तर एक बार में किया जाना चाहिए। यू नाखूनों के साथ चिकन वायर मेष प्रदान करने और ठीक करने के लिए भुगतान अलग से किया जाएगा।

14.8 माप

पलस्तर के क्षेत्र को 0.10 वर्गमीटर से अधिक उद्घाटन को घटाकर तैयार कार्य की उजागर सतहों की लंबाई और चौड़ाई/ऊंचाई को निकटतम सेंटीमीटर तक मापकर प्राप्त किया जाएगा।

14.9 दर

ऊपर वर्णित सभी कार्यों में शामिल सभी श्रम और सामग्रियों की लागत दर में शामिल होगी।

पेंटिंग का काम

पेंटिंग का काम प्रासंगिक आईएस कोड के नवीनतम संस्करण के अनुसार किया जाएगा और इंजीनियर की पूरी संतुष्टि के लिए होगा।

कारीगरी: कार्य आईएस 2385 भाग । और चित्रकला प्रणाली के भाग ॥ अनुसूची में निर्दिष्ट के अनुसार किया जाएगा, जो आईएस 2385 भाग ॥ की तालिका के अनुसार होगा।

15. दीवार पर बाहरी पेंटिंग:

a) पेंट सामग्री:

(i) पेंट एक अनुमोदित ब्रांड और निर्माता/मेक का 100% प्रीमियम ऐक्रेलिक बाहरी इमल्शन पेंट होगा ।

(ii) इस पेंट को ठेकेदार द्वारा सीलबंद स्थिति में अपने मूल कंटेनरों में काम की साइट पर लाया जाएगा। सामग्री को पूरे काम या कम से कम एक पखवाड़े के काम के लिए पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त मात्रा में लाया जाएगा। सामग्री को ठेकेदार और बैंक के इंजीनियर की संयुक्त हिरासत में रखा जाएगा। खाली कंटेनरों को कार्य स्थल से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि संबंधित कार्य पूरा नहीं हो जाता है और बैंक के इंजीनियर से अनुमति प्राप्त नहीं हो जाती है।

बी) सतह की तैयारी:

(i) सतह को सभी मोर्टार ड्रॉपिंग, गंदगी, धूल, शैवाल, कवक या कीट, ग्रीस और सभी परतदार, फफोले, फटी सतहों और किसी भी अन्य विदेशी पदार्थ को अच्छी तरह से स्क्रैप करके और ब्रिसल ब्रश और सैंडपेपर से रगड़कर अच्छी तरह से साफ किया जाएगा और फिर उच्च दबाव में साफ पानी के जेट से धोया जाएगा और सूखने दिया जाएगा। धोने के 24 घंटे बाद किसी भी धूल के कणों को हटाने के लिए सतह को नरम ब्रिसल से ब्रश किया जाएगा।

सभी दरारें इस प्रकार सील की जाएंगी:

(ii) कंक्रीट/चिनाई वाले तत्वों की प्लास्टर सतहों पर विकसित सभी गैर-संरचनात्मक दरारों को सावधानीपूर्वक वी खांचे तक खोला जाएगा और अनुमोदित गुणवत्ता से भरा जाएगा और विनिर्माता के विनिर्देशों के अनुसार यथा लागू आवश्यक संगत प्राइमिंग/बॉन्डिंग एजेंट के अनुप्रयोग सहित रेंडरक सीएस या अनुमोदित समकक्ष बनाया जाएगा।

(iii) प्लास्टर में चौड़ी दरारें, जिन्हें उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार नहीं भरा जा सकता है, यदि कोई हो, कंक्रीट या लकड़ी के काम से ईंट के काम को अलग करने के कारण या दो चिनाई पैनलों या विकर्ण दरारों के बीच सावधानी से 'वी' खांचे को खोला जाएगा और अनुमोदित सीलेंट और सतह को ठीक से समाप्त करने के साथ 1: 2 (एक भाग सीमेंट से रेत के चार भागों के लिए) सीमेंट प्लास्टर से भरा जाएगा।

(iv) बैंक के इंजीनियर द्वारा दिए गए अनुदेश के अनुसार उतार-चढ़ाव/असमानता को दूर करने के लिए बाहरी ग्रेड सफेद सीमेंट आधारित दीवार पुट्टी लगाना आवश्यक पाया गया।

(v) पेंटिंग की दर में इस दरार भरने की कार्रवाई शामिल होगी और इसे अलग से भुगतान के लिए नहीं माना जाएगा।

ग) बाहरी ग्रेड के बेस/प्राइमर कोट और प्रीमियम ऐक्रेलिक इमल्शन पेंट का प्रयोग:

(i) प्राइमर/बेस कोट के उत्तरवर्ती कोट को लागू करने से पहले तैयार सतह को बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ii) अनुमोदित मेक और गुणवत्ता वाले बाहरी ग्रेड विशेष प्राइमर/बॉन्डिंग कोट का एक कोट निर्माता के विनिर्देशों के अनुसार और बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित किया जाएगा। प्राइमर कोट पेंट निर्माता द्वारा अनुशंसित मेक और प्रकार का होगा।

(iii) बाहरी इमल्शन पेंट के उत्तरवर्ती कोट को लागू करने से पहले तैयार सतह को बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(iv) उपयोग के लिए छोटे कंटेनरों में डालने से पहले, पेंट को उसके कंटेनर में अच्छी तरह से हिलाया जाना चाहिए; प्रयोग करते समय, पेंट को छोटे कंटेनरों में भी लगातार हिलाया जाना चाहिए ताकि इसकी स्थिरता एक समान रहे। पीने योग्य पानी के साथ पेंट के कमजोर पड़ने के अनुपात को सतह की जलवायु की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और निर्माता द्वारा दिए गए अनुशंसित कमजोर पड़ने के अनुसार बदला जा सकता है। सभी मामलों में, बैंक के इंजीनियर के निर्माता के निर्देशों और निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन किया जाएगा।

(v) पेंट ड्रम के ढक्कन उपयोग में न होने पर कसकर बंद रखे जाएंगे क्योंकि वातावरण के संपर्क में आने से पेंट गाढ़ा हो सकता है और धूल से भी सुरक्षित रखा जा सकता है।

(vi) साफ और चिकनी सतह पर ब्रश से पेंट लगाया जाएगा। क्षैतिज स्ट्रोक दिए जाएंगे, पहले और इसके तुरंत बाद ऊर्ध्वाधर स्ट्रोक लगाए जाएंगे। यह पूरा ऑपरेशन एक कोट का गठन करेगा। सतह को यथासंभव समान रूप से समाप्त किया जाएगा और कोई ब्रश निशान नहीं छोड़ा जाएगा। निर्माता की सिफारिशों के अनुसार दो कोटों के बीच पर्याप्त समय की अनुमति दी जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्रमिक कोट लगाने से पहले पहला कोट पूरी तरह से सूखा है।

(vii) मात्रा की अनुसूची में निर्दिष्ट बाहरी ग्रेड ऐक्रेलिक इमल्शन पेंट के तैयार कोट की संख्या न्यूनतम आवश्यकता है और केवल दिशानिर्देश के लिए है। फिनिश सतह बैंक के इंजीनियर/नियोक्ता की स्वीकृति और अनुमोदन होगी। इसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक कोई भी अतिरिक्त कोट ठेकेदार के खाते में होगा और लागू किए गए किसी भी अतिरिक्त कोट के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।

(viii) भवन की मौजूदा रंग छाया, पैटर्न, डिजाइन के अनुसार और बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित सीमाओं/बैंड को उसी गुणवत्ता वाले पेंट का उपयोग करके निष्पादित किया जाएगा।

16. सिंथेटिक तामचीनी पेंट के साथ पेंटिंग

अनुमोदित ब्रांड और निर्माण के सिंथेटिक इनेमल पेंट (आईएस 2933 के अनुरूप) और आवश्यक रंग का उपयोग टॉपकोट के लिए किया जाएगा और छाया के साधारण पेंट का एक अंडरकोट टॉपकोट से मेल खाने के लिए उसी निर्माता द्वारा अनुशंसित किया जाएगा जहां तक शीर्ष कोट का उपयोग किया जाएगा।

16.1 सतह की तैयारी:

जहां मौजूदा पेंट दृढ़ और मजबूत है, वहां इसे ग्रीस, धुएं आदि से साफ किया जाएगा, और धूल से हटाए गए सभी ढीले कणों को हटाने के लिए सैंडपेपर से रगड़ा जाएगा। फिर सभी पैच और दरारों को निर्दिष्ट पेंट के साथ तैयार किए गए स्टॉपिंग और फिलर के साथ इलाज किया जाएगा। सतह को फिर से रगड़ा जाएगा और चिकना और एक समान बनाया जाएगा।

यदि पुराना पेंट फफोले और फ्लेक हो गया है, तो उसे पूरी तरह से हटाना आवश्यक होगा। इस तरह के हटाने के लिए अलग से भुगतान किया जाएगा और पेंटिंग को नई सतह के रूप में माना जाएगा।

16.2 चित्रकला:

आइटम में निर्धारित कोट की संख्या सिंथेटिक तामचीनी पेंट के साथ लागू की जाएगी। प्रत्येक कोट को सूखने की अनुमति दी जाएगी और एक समान चमकदार सतह प्राप्त करने के लिए बहुत महीन गीले अपघर्षक कागज के साथ चिकनी रगड़ दिया जाएगा। यदि, हालांकि, सतह संतोषजनक नहीं है, तो सही फिनिश प्राप्त करने के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कोट लगाए जाएंगे।

असमान सतह के समतुल्य मैदानी क्षेत्र

क्र सं	कार्य का विवरण	कैसे मापा जाता है	गुणा गुणांक
I. लकड़ी के दरवाजे, खिड़कियां आदि			
1.	पैनल या फ्रेमयुक्त और ब्रेस्ड दरवाजे, खिड़कियां आदि।	मापा फ्लैट (परिधि नहीं, सहित)	1.30 (प्रत्येक पक्ष के लिए)
2.	लेज्ड और बैटन या लेज्ड, बैटेन और ब्रेस्ड दरवाजे, खिड़कियां आदि।	चौखट या फ्रेम, किनारे, चॉक, क्लीट्स आदि को आइटम में शामिल माना जाएगा।	-do-

3.	फ्लश दरवाजे आदि।	-वहीं-	1.20 (प्रत्येक पक्ष के लिए)
4.	भाग पैनल और भाग चमकता हुआ या धुंधला दरवाजे, खिड़कियां, आदि (तार धुंध भाग की पेंटिंग को छोड़कर)	- वहीं -	1.00 (प्रत्येक पक्ष के लिए)
5	पूरी तरह से चमकता हुआ या धुंधला दरवाजे, खिड़कियां आदि (तार धुंध भाग की पेंटिंग को छोड़कर)	- वहीं -	0.80 (प्रत्येक पक्ष के लिए)
6	पूरी तरह से वेनेशन्ड या लौवर वाले दरवाजे, खिड़कियां आदि।	- वहीं -	1.80 (प्रत्येक पक्ष के लिए)
7	ट्रेलिस (या जाफरी) एक या दो तरह से काम करते हैं	समग्र रूप से फ्लैट मापा गया; खुली जगहों के लिए कोई कटौती नहीं की जाएगी; सहायक मेम्बर्सको अलग से नहीं मापा जाएगा	2 (सभी पर पेंटिंग के लिए)
8	कार्व्ड या समृद्ध कार्य	मापा फ्लैट	2 (प्रत्येक पक्ष के लिए)
9	मौसम बोर्डिंग	मापा फ्लैट (परिधि वाला सहायक ढांचा अलग से नहीं मापा जाएगा	1.20 (प्रत्येक पक्ष के लिए)
10	लकड़ी की शिंगल छत	मापा फ्लैट (परिधि नहीं)	1.10 (प्रत्येक पक्ष के लिए)
11	कवर फ़िललेट्स और मैच बोर्डिंग के साथ बोर्डिंग	मापा फ्लैट (परिधि नहीं)	1.05 (प्रत्येक पक्ष के लिए)
12	टाइल और स्लेट बैटनिंग	समग्र रूप से फ्लैट मापा गया; खुली जगहों के लिए कोई कटौती नहीं की जाएगी	0.80 (सभी को पेंट करने के लिए ओवर)
II. स्टील के काम के दरवाजे, खिड़कियां आदि।			
13	सादे शीट वाले स्टील के दरवाजे या खिड़कियां	मापा गया फ्लैट (परिधि नहीं) जिसमें फ्रेम किनारों आदि शामिल हैं।	1.10 (प्रत्येक पक्ष के लिए)
14	पूरी तरह से चमकता हुआ या धुंधला स्टील के दरवाजे और खिड़कियां (तार धुंध भाग की पेंटिंग को छोड़कर)	- वहीं -	0.75 (प्रत्येक पक्ष के लिए)
15	आंशिक रूप से पैनल और आंशिक रूप से चमकता हुआ या धुंधला दरवाजे और खिड़कियां (तार धुंध भाग की पेंटिंग को छोड़कर)	- वहीं -	0.80 (प्रत्येक पक्ष के लिए)
16	नालीदार शीट वाले स्टील के दरवाजे या खिड़कियां	- वहीं -	1.25 (प्रत्येक पक्ष के लिए)

17.	बंधनेवाला द्वार	फ्लैट माप	1.50 (सभी पर पेंटिंग के लिए)
18.	इंटरलॉक किए गए लट्ठों के रोलिंग शटर	सभी पर मापा गया फ्लैट (ओपेनिंग का आकार); जंब गाइड, बॉटम रेल और लॉकिंग अरेंजमेंट आदि को आइटम में शामिल किया जाएगा (शीर्ष कवर को अलग से मापा जाएगा)	1.10 (प्रत्येक पक्ष के लिए)
III. सामान्य			
19	विस्तारित धातु, अनुमोदित गुणवत्ता के कठोर खींचे गए स्टील वायर कपड़े, खिड़की के फ्रेम में गार्ड बार, कटघरा, रेलिंग विभाजन और एमएस बार्स में ग्रिल काम करता है।	समग्र रूप से फ्लैट मापा गया; खुली जगहों के लिए कोई कटौती नहीं की जाएगी; सहायक सदस्यों को अलग से नहीं मापा जाएगा।	1 (सभी पर पेंट के लिए)
20	खुली तख्त बाड़ लगाना और लकड़ी या स्टील में मानक, ब्रेसिज़, रेल स्टे आदि सहित गेट	- वहीं - (नोट संख्या 12 देखें)	1 (सभी पर पेंट के लिए)
21	नालीदार लोहे की चादर में छतें, साइड क्लैडिंग आदि।	- वहीं - फ्लैट माप (परिधि नहीं)	1.14 (प्रत्येक पक्ष के लिए)
22	एसी नालीदार शीटिंग में छतें, साइड क्लैडिंग आदि।	- वहीं -	1.20 (प्रत्येक पक्ष के लिए)
23	छतों में एसी अर्ध-नालीदार शीटिंग, साइड क्लैडिंग आदि या सादे चादरों का उपयोग करके नैनीताल पैटर्न	- वहीं -	1.10 (प्रत्येक पक्ष के लिए)
24	तार गौज़ की पेंटिंग सहित तार गौज़ शटर	- वहीं -	1.00 (प्रत्येक पक्ष के लिए)
25	हैट कट बांस बाड़ लगाना	- वहीं -	1.38 (एवी) (प्रत्येक पक्ष के लिए)

तालिका के संबंध में व्याख्यात्मक नोट्स

(1) दरवाजे, खिड़कियां आदि के लिए माप, चौखट या फ्रेम सहित समग्र रूप से सपाट (और परिधि वाला नहीं) लिया जाएगा, जहां प्रदान किया गया हो। जहां चौकहट या फ्रेम प्रदान नहीं किए जाते हैं, शटर माप लिया जाएगा।

(2) जहां दरवाजे, खिड़कियां आदि तालिका 1 में शामिल लोगों के अलावा अन्य मिश्रित प्रकार के हैं, अलग-अलग हिस्से को उनके उपयुक्त गुणांक के साथ अलग-अलग मापा जाएगा, सामान्य रेल की केंद्र रेखा को दो भागों के बीच विभाजन रेखा के रूप में लिया जाएगा।

(3) दरवाजे और खिड़कियों के लिए गुणांक फ्रेम और शटर सदस्यों के आकार के बावजूद लागू होंगे।

(4) यदि स्टील फ्रेम का उपयोग किया जाता है, तो दरवाजे, खिड़कियों के शटर के क्षेत्र को फ्रेम को छोड़कर फ्लैट मापा जाएगा।

(5) जब एक दरवाजे, खिड़की आदि के दो चेहरों को अलग-अलग निर्दिष्ट फिनिश के साथ इलाज किया जाना है, जो अलग-अलग वस्तुओं के तहत मापने योग्य हैं, तो फ्रेम और शटर के किनारों को बैंक के इंजीनियर द्वारा आदेश के अनुसार एक या दूसरे प्रकार के फिनिश के साथ माना जाएगा और इसके माप को उस फिनिश के साथ इलाज किए गए चेहरे के माप में शामिल माना जाएगा।

(6) ऐसे मामले में जहां फ्रेम के दोनों चेहरों पर शटर लगाए गए हैं, एक चेहरे पर दरवाजे के फ्रेम और शटर के लिए माप पहले से वर्णित तरीके से लिया जाएगा, जबकि दूसरे चेहरे पर अतिरिक्त शटर को फ्रेम को छोड़कर, केवल शटर के लिए मापा जाएगा।

(7) जहां शटर को 15 सेमी से अधिक ऊंचाई के ऊपर या/और नीचे निकासी प्रदान की जाती है, ऐसे उद्घाटन को समग्र माप से काट लिया जाएगा और देय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए संबंधित गुणांक लागू किया जाएगा।

(8) बंधनेवाला फाटकों को गेट के बाहर से बाहर की चौड़ाई के लिए उसकी विस्तारित स्थिति में और चैनल वर्टिकल के नीचे से ऊपर तक की ऊंचाई के लिए मापा जाएगा। ऊपर और नीचे गाइड रेल, रोलर्स, फिटिंग आदि के लिए कोई अलग माप नहीं लिया जाएगा।

(9) स्लाइडिंग दरवाजों के लिए गुणांक टेबल में सामान्य प्रकार के दरवाजों के समान ही होंगे। माप शटर के बाहर से बाहर ले जाया जाएगा, और पेंटिंग गाइड रेल, रोलर्स, फिटिंग आदि के लिए कोई अलग माप नहीं लिया जाएगा।

(10) उपरोक्त के रूप में पेंटिंग के माप में सभी लोहे की फिटिंग को एक ही या अलग-अलग छाया में चित्रित करना शामिल माना जाएगा, जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

(11) गार्ड बार, विस्तारित धातु, अनुमोदित गुणवत्ता के कठोर खींचे गए स्टील वायर कपड़े, ग्रिल वर्क और झंझरी के माप, जब ढांचे में तय किए जाते हैं, जिनमें से पेंटिंग को एक बार कहीं और मापा जाता है, तो फ्रेम को छोड़कर लिया जाएगा। अन्य मामलों में, माप फ्रेम सहित लिया जाएगा।

(12) खुले तख्ते की बाड़ और फाटकों आदि को पेंट करने के लिए, ऊंचाई को सबसे निचली रेल के नीचे से मापा जाएगा, यदि तख्त इसके नीचे नहीं जाते हैं, (या तख्त के निचले छोर से, यदि वे सबसे कम रेल के नीचे प्रोजेक्ट करते हैं), रेल या तख्तों के शीर्ष तक, जो भी अधिक हो, लेकिन मानकों के शीर्ष तक नहीं जब बाद वाले शीर्ष रेल या तख्तों से अधिक होते हैं।

<u>अनुमोदित ब्रांड और निर्माता/मेक की सामग्रियों की सूची</u>

नोट:

1. कार्य में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियां प्रत्येक आइटम के तहत विस्तृत तकनीकी विशिष्टताओं के अनुरूप होंगी।

2. चयनित पेंट कम वीओसी होना चाहिए। ठेकेदार अनुमोदन के लिए नमूने के साथ संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करेगा।

3. यदि अनुमोदित ब्रांड बाजार में उपलब्ध नहीं हैं, तो केवल बैंक के इंजीनियर के लिखित अनुमोदन के साथ समकक्ष सामग्री का उपयोग कार्य में किया जाएगा। जहां भी ठेकेदार समकक्ष मेक (यानी निर्दिष्ट किए गए लोगों के अलावा) का उपयोग करने का प्रस्ताव करता है, वह बैंक के इंजीनियर के पूर्व अनुमोदन के साथ किया जाएगा। ऐसे मामलों में, यह ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि वह बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के लिए, आवश्यक

तकनीकी डेटा/दस्तावेजों/परीक्षण रिपोर्टों के साथ यह साबित करे कि कार्य में उपयोग की जाने वाली समतुल्य सामग्री विनिर्देशों में निर्धारित सभी तकनीकी विनिर्देशों/मापदंडों के अनुरूप है। इसके कारण कोई भी अतिरिक्त व्यय और समय पूरी तरह से ठेकेदार के खाते पर होगा और इस संबंध में नियोक्ता द्वारा किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

Sl. No	**निर्माता का नाम**	**प्रीमियम ऐक्रेलिक इमल्शन पेंट (बाहरी ग्रेड)**	**कृत्रिम इनामेल पेंट**	**बाहरी स्पेशल प्राइमर**	**डिस्टेंपर**	**जिंक क्रोमेट प्राइमर**
	1.	2.	3	4	5	6
पेंटिंग कार्यों के लिए						
1	मेसर्स एशियन पेंट्स	"एपेक्स अल्टिमा" बाहरी इमल्शन	एपकोलाइट प्रीमियम इनामेल(साटिन)	"स्मार्ट केयर डैम्प शीथ"	ट्रैक्टर यूएनओ ऐक्रेलिक डिस्टेंपर	ट्रू केयर येलो मेटल प्राइमर
या						
2	मेसर्स बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड	"प्लेटिना लॉन्ग लाइफ WL300"	बर्जर लक्सोल (साटिन)	एचएस डाम्प स्टॉप SP300	प्लेटिना बाइसन ऐक्रेलिक डिस्टेंपर	बीपी - प्रो जिंक येलो प्राइमर
या						
3	मैसर्स जेएसडब्ल्यू डुलक्स लिमिटेड	"डुलक्स प्रोफेशनल वेदर शील्ड E1000"	डुलक्स सुपर पीयू साटिन इनामेल	डुलक्स अक़्वाटेक डाम्प प्रोटेक्ट बेसकोट	वादा स्मार्ट चॉइस ऐक्रेलिक डिस्टेंपर	डुलक्स जिंक येलो मेटल प्राइमर
या बैंक के अनुमोदन के साथ समकक्ष अनुमोदित						

क्रसं	**सामग्री**	**मेक**
1	सीमेंट	अल्ट्राटेक, एसीसी, या समकक्ष
2	रेडीमेड प्लास्टर	बीएएसएफ, एफओएसआरओसी, अल्ट्राटेक या अनुमोदित समकक्ष
3	दरार फिल्लर	डॉ फिक्सिट, बीएएसएफ, एफओएसआरओसी, अल्ट्राटेक या अनुमोदित समकक्ष

4	पॉलिमर संशोधित मोर्टार (पीएमएम), क्रैक फिलर का उपयोग करने के लिए तैयार	बीएएसएफ - इमाको एस 48 सी टी, एफओएसआरसी - रेंडेरोक एस 2, सिका - सिका टॉप 122.एचएस या अनुमोदित समकक्ष
5	व्हाइट सीमेंट आधारित वॉल पुट्टी	बिड़ला सीमेंट, जे के सीमेंट, एशियन वॉल पुट्टी या अनुमोदित समकक्ष

<u>नोट</u>

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि मैं/हमने उपरोक्त निर्देशों को पढ़ और समझ लिया है और उन्हें स्वीकार करते हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर, नाम और पता

खंड - IX

मात्रा का बिना कीमत वाला बिल
(मूल्य बोली/भाग II की छवि)

आइटम नं	विवरण	मात्रा	इकाई
1	**दीवार पलस्तर के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत:** चिनाई वाली दीवारों, आरसीसी बीम, कॉलम आदि पर इमारत की बाहरी सतहों पर किसी भी मोटाई के मौजूदा क्षतिग्रस्त प्लास्टर को सावधानीपूर्वक नष्ट करना और हटाना, किसी भी स्तर पर छेनी और हथौड़ा या किसी अन्य अनुमोदित तरीकों का उपयोग करके पैच में ईंट के काम / आरसीसी सदस्यों को नुकसान पहुंचाए बिना, ढीले मोर्टार को रेक करके और हटाकर सतह तैयार करना, अच्छी गुणवत्ता वाले पानी से धोना, अनुमोदित गुणवत्ता वाले एम रेत का उपयोग करके तैयार किए गए सीमेंट प्लास्टर 1: 4 (1 सीमेंट: 4 मोटे रेत) का उपयोग करके पैच में प्लास्टर प्रदान करना और प्रस्तुत करना, और पोर्टलैंड सीमेंट को औसत 25 मिमी मोटी परतों के साथ अनुमोदित करना ताकि आस-पास की सतहों आदि के साथ मेल खाने के लिए एक समान और रेत कास्ट फिनिश हो। इस दर में काम शुरू करने के लिए आवश्यक मचान लगाने, बैंक के परिसर से मलबे को दूर ले जाने और निपटाने आदि के लिए शुल्क शामिल होंगे, जो सभी बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित हैं। नोट: 0.10 वर्ग मीटर से अधिक अलग-अलग क्षेत्र वाले पैच को केवल मापा और भुगतान किया जाएगा। कार्य करने/करने के लिए संयुक्त रूप से निर्धारित और मापे जाने वाले क्षेत्र।	15.00	Sqm
2	**भूतल से तीसरी मंजिल तक भवनों की बाहरी सतहों का पुनः पेंटिंग, जिसमें पैरापेट दीवारें, छत के प्रोजेक्शन, पंख, सनशेड आदि शामिल हैं:**		
	कुंवारी सतह को उजागर करने के लिए काई / कवक / शैवाल / धूल / ढीली सामग्री आदि की परत को हटाने के लिए वायर ब्रश और साफ पानी के जेट का उपयोग करके पूरी तरह से सफाई करके सतह की तैयारी, जहां भी आवश्यक हो, बाढ़ / असमानता को बनाने के लिए पोटीन लगाना, शीर्ष पर 5 मिमी की न्यूनतम चौड़ाई के लिए दीवारों/छत आदि की सतह पर दरारों के साथ यांत्रिक हाथ कटर का उपयोग करके सावधानीपूर्वक काटना और 'वी' आकार के खांचे बनाना आवश्यक गहराई, वायर ब्रश और पानी के साफ जेट का उपयोग करके इसे साफ करना, निर्माता विनिर्देशों के अनुसार पेंट किए जाने के लिए मौजूदा सतह के साथ संगत बहुलक संशोधित क्रैक फिलर्स के साथ खांचे को प्रदान करना और भरना, निर्माता विनिर्देशों के अनुसार प्रदान करना और लागू करना, सिलिकॉन एडिटिव्स के साथ 100% प्रीमियम ऐक्रेलिक चिकनी बाहरी पेंट के दो कोट, अनुमोदित मेक और शेड के, **जहां भी आवश्यक हो, अतिरिक्त कोट सहित जहां भी छाया और रंग प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो, बाहरी गुणवत्ता के सीमेंट आधारित प्राइमर के एक कोट पर और** इमारत के भूतल से तीसरी मंजिल तक बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के लिए अनिवार्य / सख्ती से समान छाया और टोन प्राप्त करने के लिए शीर्ष कोट के साथ संगत है। फिन स्लैब आदि पूर्ण हो गए हैं।		

आइटम नं	विवरण	मात्रा	इकाई
	प्राइमर/पेंट के बाद के कोट को लागू करने से पहले सतह को मंजूरी दी जाएगी। इस दर में **पूरे क्षेत्र के लिए पेंटिंग के लिए मजबूत डबल मचान खड़ा करना और हटाना**, आवश्यक सुरक्षा उपाय/सुरक्षा बेल्ट, उच्च घनत्व वाले पॉलीयूरेथेन से बनी आवश्यक चौड़ाई का सुरक्षात्मक जाल प्रदान करना और ठीक करना शामिल होगा। आवश्यकता के अनुसार ऊर्ध्वाधर विस्तार के चारों ओर 100 ग्राम/वर्गमीटर छायांकन गुणांक 75 प्रतिशत मजबूत करना शामिल है, जिसमें ब्रिडी/मचान पाइप या किसी अन्य फिक्स्चर के साथ बन्धन/बांधना, सभी मलबे का निपटान, बैंक के परिसर से बाहर काम की विभिन्न वस्तुओं के तहत उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ आदि शामिल हैं, जो बैंक के इंजीनियर के निर्देश के अनुसार पूरा किया जाएगा।	18500.00	Sq. m.
3	**एनेक्स भवन, आंतरिक दीवारों और पंप रूम की छत आदि में छत/बीम की फिर से रंगाई:**		
	i) सभी परतदार, फफोले, फटी सतहों को अच्छी तरह से स्क्रैप और रेत-पेपरिंग करके सतह तैयार करना और पूरे क्षेत्र को साफ करना। ii) कंक्रीट/चिनाई तत्वों की प्लास्टर सतहों पर विकसित गैर-संरचनात्मक दरारों को सावधानीपूर्वक खोलकर 'वी' खांचे में डालकर और उन्हें अनुमोदित गुणवत्ता से भरकर मौजूदा दरारों को तैयार करना और निर्माता के विनिर्देशों के अनुसार आवश्यक संगत प्राइमिंग/बेस कोट प्रदान करना और लागू करना शामिल है। iii) जिस सतह पर यह क्षतिग्रस्त है उस पर पोटीन प्रदान करना और लागू करना और रेत पेपेरिंग के साथ सतह को ठीक से तैयार करना और इसे उचित स्तर और लाइन पर बनाना और 50 ग्राम/लीटर से कम वीओसी वाली छत की सतह पर अनुमोदित ब्रांड और/या निर्माता के सीमेंट प्राइमर का एक कोट प्रदान करना और लागू करना।		
	iv) 50 ग्राम/लीटर से कम वीओसी (वाष्पशील कार्बनिक यौगिक) वाले प्रथम गुणवत्ता वाले ऐक्रेलिक डिस्टेंपर (रेडी मिक्स्ड) के दो कोट **प्रदान करना और लागू करना, जिसमें बैंक** के इंजीनियर द्वारा निर्देशित मचान प्लेटफार्म आदि सहित समान छाया और रंग प्राप्त करने के लिए जहां भी आवश्यक हो, अतिरिक्त कोट शामिल हैं।		
	प्राइमर/पेंट के बाद के कोट को लागू करने से पहले सतह को मंजूरी दी जाएगी। दर में पेंटिंग के लिए मजबूत मचान खड़ा करना और हटाना, आवश्यक सुरक्षा उपाय/सुरक्षा बेल्ट आदि शामिल होंगे, सभी निविदा में विस्तृत विनिर्देशों के अनुसार, आदि, सभी बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित किए गए हैं।	1100.00	Sq.m.
4	**ग्रिल, सड़क के किनारे की कर्ब दीवारों, धातु की खिड़कियों, वेंटिलेटर आदि की धातु की सतहों को फिर से रंगना**: ढीले पेंट, जंग के तराजू आदि को हटाने के लिए पूरी तरह से स्क्रैपिंग, सैंड पेपरिंग आदि द्वारा सतह तैयार करना, अंतराल को भरने के लिए उपयुक्त प्रकार की धातु पोटीन लगाना, उतार-चढ़ाव आदि को भरना और सैंड पेपरिंग आदि द्वारा सतह को चिकना बनाना, धातु की सतहों के जंग लगे और छिलके पर जिंक क्रोमेट प्राइमर लगाना और जहां भी आवश्यक हो, **खिड़कियों, ग्रिल, वेंटिलेटर, दरवाजे, रेलिंग, सड़क के किनारे की कर्ब दीवारों की ग्रिल आदि की धातु की सतहों पर अनुमोदित मेक और शेड के सिंथेटिक इनेमल पेंट (साटन फिनिश) के दो कोट प्रदान करना और लागू करना**, जिसमें अतिरिक्त कोट शामिल हैं, जहां भी		

आइटम नं	विवरण	मात्रा	इकाई
	आवश्यक हो, एक साफ और एक समान फिनिश प्राप्त करने के लिए निर्माताओं के विनिर्देशों के अनुसार और सभी बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित किया गया है।		
	इस दर में पेंट रिमूवर या किसी अन्य सफाई सामग्री का उपयोग करके पुराने, बिखरे हुए पेंट/दाग/गंदगी आदि सहित इन ज्वाइनरी के कांच के शीशे की पूरी तरह से सफाई भी शामिल होगी। इस दर में बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार आवश्यक डबल मचान खड़ा करने और काम शुरू करने के लिए सभी प्रकार के सुरक्षा उपाय, बैंक के परिसर से मलबे को दूर ले जाने और निपटाने आदि के लिए शुल्क भी शामिल होंगे।	1100.00	Sq.m.

अनुबंध ।

<u>प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए प्रारूप</u>

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

इस करार से सभी पक्षों को यह ज्ञात हो कि, हम..... (बोलीदाता का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय का पता) इसके द्वारा श्री / सुश्री..... को हमारे अटॉनी के रूप में प्राधिकृत, नियुक्त और प्राधिकृत करते हैं (पावर ऑफ अटॉर्नी धारक का नाम और आवासीय पता) जो वर्तमान में हमारे साथ कार्यरत है और के पद पर है और वे हमारे नाम पर और हमारी ओर से ऐसे सभी कार्यों, प्रक्रियाओं और अपेक्षाओं को करने के लिए**" बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर, तिरुवनंतपुरम में भवनों की सामान्य मरम्मत और बाहरी पुनःपेंटिंग"** के संदर्भ में हमारी बोली के संबंध में या आकस्मिकताओं के संबंध में आवश्यक प्रक्रियाओं जिनमें भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए मद दर संविदा के आधार पर, सभी दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करना और सुपुर्द करना और आरबीआई को सूचना / प्रतिक्रिया देना, आरबीआई के समक्ष सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करना, और आम तौर पर उक्त प्रोजेक्ट के लिए हमारे प्रस्ताव के संबंध में सभी मामलों में आरबीआई के साथ कार्य करना शामिल है।

हम इस पावर ऑफ अटॉर्नी के अनुसार हमारे उक्त अटॉर्नी द्वारा कानूनी रूप से किए गए सभी कार्यों, प्रक्रियाओं और अपेक्षाओं की पुष्टि करने के लिए सहमत हैं और यह कि हमारे उपरोक्त अटॉर्नी द्वारा किए गए सभी कार्य और प्रक्रिया हमेशा हमारे द्वारा की गई मानी जाएंगी और हमेशा हमारे द्वारा की गई मानी जाती रहेंगी ।

नोट:

पावर ऑफ अटॉर्नी पर ठीक से मुहर लगाई जानी चाहिए और नोटरीकृत किया जाना चाहिए। प्रस्तुत पावर ऑफ अटॉर्नी अपरिवर्तनीय होगी।

बोलीदाता के नाम पर हस्ताक्षर

बोलीदाता की मुहर

(एनबी: इस गारंटी के लिए राज्य में लागू स्टांप शुल्क की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया जाता है और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और अधिकार सत्यापित किए जाएंगे।

अनुबंध II

ई-निविदा के संबंध में महत्वपूर्ण अनुदेश

यह आरबीआई का एक ई-खरीद इवेंट है। ई-प्रोक्योरमेंट सर्विस प्रोवाइडर/बोलीदाता केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) है।
https://etenders.gov.in/eprocure/app

ई-निविदा की प्रक्रिया: बोलीदाता मैनुअल किट होम पेज पर उपलब्ध है।

A) नए बोलीदाता के लिए पंजीकरण: इस प्रक्रिया में सीपीपी पोर्टल के साथ विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो नि: शुल्क है। https://etenders.gov.in/eprocure/app?page=BiddersManualKit&service=page

किसी भी तकनीकी संबंधी प्रश्न के लिए कृपया 24 x 7 हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल करें

0120-4001 002

0120-4001 005

0120- 4493395

अंतर्राष्ट्रीय बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे देश कोड के रूप में +91 लगा लें

ईमेल समर्थन:
प्रकाशित निविदाओं से संबंधित किसी भी मुद्दे या स्पष्टीकरण के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे संबंधित निविदा आमंत्रित प्राधिकारी से संपर्क करें

तकनीकी - support-eproc@nic.in

पॉलिसी से संबंधित - cppp-doe@nic.in

अनुबंध III

बयाना जमा राशि के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
तिरुवनंतपुरम - 695033

प्रिय महोदय,

काम का नाम - बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर, तिरुवनंतपुरम में भवनों की सामान्य मरम्मत और बाहरी पुनःपेंटिंग

संदर्भ : एनआईटी तारीख

जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय शाहिद भगत सिंह रोड, मुंबई में है (जिसे बाद में 'आरबीआई' कहा जाएगा) ने उक्त निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित नियमों और शर्तों पर शीर्षक वाले कार्य (इसके बाद "उक्त निविदा" कहा जाएगा) के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं। यह निविदाओं के आमंत्रण की शर्तों में से एक है कि बोलीदाता बयाना राशि जमा (ईएमडी) के रूप में (केवल _____ रुपये) की राशि के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा। मैसर्स (बोलीदाता/बोलीदाता का नाम) _____, (इसके बाद "बोलीदाता/बोलीदाता" कहा जाता है), जो हमारे ग्राहक/घटक हैं जो उक्त कार्य के लिए अपनी निविदा/बोली प्रस्तुत करने का इरादा रखते हैं और हमसे अनुरोध किया है कि हम ईएमडी के संबंध में _____ रुपये (केवल _____ रुपये) की उक्त राशि के संबंध में आरबीआई को बैंक गारंटी प्रस्तुत करें। अब यह गारंटी गवाह है

1. हम (बैंक का नाम) एतद्द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक से सहमत हैं और वचन देते हैं, कि भारतीय रिज़र्व बैंक के इस निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में कि बोलीदाता ने निविदा की उक्त शर्तों के तहत अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है या उसका उल्लंघन किया है, जो निष्कर्ष हमारे साथ-साथ उक्त बोलीदाता पर भी बाध्यकारी होगा; हम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मांग किए जाने पर, भारतीय रिज़र्व बैंक को बिना किसी विलंब के ₹_____/- (केवल _____ रुपये) या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मांगी जा सकने वाली किसी भी कम राशि का भुगतान करेंगे। हमारी गारंटी को उक्त शर्तों के तहत बोलीदाता के दायित्वों के उचित प्रदर्शन के लिए बयाना राशि जमा के बराबर माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी राशि के खिलाफ हमारी देयता ₹_____/- (केवल_____रुपये) की राशि से अधिक नहीं होगी।

2. हम यह वचन देने और पुष्टि करने के लिए भी सहमत हैं कि उपरोक्त के रूप में ₹_____ (_____ केवल) रुपये से अधिक की राशि का भुगतान हमारे द्वारा बिना किसी विरोध या विरोध के किया जाएगा, केवल लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त होने पर आरबीआई की मांग पर जिसमें कहा गया है कि राशि उनके लिए देय है और हम कोई और सबूत या सबूत नहीं मांगेंगे और आरबीआई से नोटिस हमारे लिए निर्णायक और बाध्यकारी होगा और हमारे द्वारा किसी भी संबंध या तरीके से पूछताछ नहीं की जाएगी। हम पूर्वोक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर आरबीआई द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

3. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारा दायित्व आरबीआई और बोलीदाता के बीच समझौते या समझौतों या अन्य समझ से स्वतंत्र होगा। यह गारंटी आरबीआई की लिखित पूर्व सहमति के बिना हमारे द्वारा रद्द नहीं की जाएगी। हम इसके द्वारा आगे सहमत हैं कि-

a) उक्त करार की शर्तों को लागू करने में या उक्त निविदा में निर्धारित किसी भी नियम और शर्तों के अनुपालन में या इसके तहत या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बोलीदाता को किसी भी समय प्रदान करने या उसके संबंध में किसी अन्य मामले को दिखाने में भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से कोई भी सहनशीलता या कमीशन हमें किसी भी तरह से और इस गारंटी के तहत हमारे दायित्व का निर्वहन नहीं करेगा। यह गारंटी केवल बोलीदाताओं द्वारा उनके दायित्वों के प्रदर्शन द्वारा और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, हमारे द्वारा केवल रुपये (रुपये) से अधिक की राशि का भुगतान करके किया जाएगा।

b) इन निबंधनों के तहत हमारी देयता ₹ _____ /- (केवल _____ रुपये) की राशि से अधिक नहीं होगी।

c) इस करार के तहत हमारा दायित्व उक्त कार्य के लिए निविदा देने में हमारे उक्त घटकों/ग्राहकों की ओर से किसी भी दुर्बलता या अनियमितता से प्रभावित नहीं होगा या हमारे उक्त घटकों के संविधान में विघटन या परिवर्तन के तहत होगा।

d) यह गारंटी (निविदा प्राप्त होने की अंतिम तारीख से छह माह) तक लागू रहेगी बशर्ते कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसा चाहा जाता है, तो इस गारंटी को एक और अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा जैसा कि उनके द्वारा यहां निहित नियमों और शर्तों पर दर्शाया जा सकता है।

e) इन निबंधनों के तहत हमारी देयता तब तक समाप्त हो जाएगी जब तक कि इन उपहारों को ऊपर दिए गए अनुसार उस दिन या उस दिन नवीनीकृत नहीं किया जाता है जब हमारे उक्त घटक अपने दायित्वों का अनुपालन करते हैं, जिसके लिए अकेले आरबीआई द्वारा लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र निर्णायक प्रमाण है, जो भी तारीख बाद में हो। जब तक हमारे खिलाफ कोई दावा या मुकदमा या कार्रवाई किसी विस्तारित अवधि के भीतर दायर नहीं की जाती है, तब तक इस गारंटी के तहत हमारे खिलाफ आरबीआई के सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे और हमें यहां के तहत हमारे सभी दायित्वों और देनदारियों से मुक्त और मुक्त कर दिया जाएगा।

भवदीय,

बैंक के लिए और उसकी ओर से।

प्राधिकृत अधिकारी (मुहर के साथ)

(एनबी: इस गारंटी के लिए राज्य में लागू स्टांप शुल्क की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया जाता है और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और अधिकार सत्यापित किए जाएंगे)।

अनुबंध IV

<u>तकनीकी-वाणिज्यिक स्थितियों में विचलन (फर्म के लेटर हेड पर)</u>

हम पुष्टि करते हैं कि बैंक की सभी वाणिज्यिक शर्तें / तकनीकी विनिर्देश नीचे दी गई विचलनों को छोड़कर।

क्र सं	**धारा सं.**	**खण्ड सं**	**विचलन प्रस्तावित वाणिज्यिक स्थिति**
क्र सं	**धारा सं.**	**खण्ड सं**	**विचलन प्रस्तावित तकनीकी विनिर्देश**

(यदि कोई विचलन नहीं है तो शून्य प्रस्तुत करें)

स्थान: [बोलीदाता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर]
दिनांक: नाम:
पदनाम:
मुहर:

अनुबंध V

संविदा करार की शर्तों का प्रारूप / संविदा करार
(सफल बोलीदाता के लिए)

(लागू स्टाम्प अधिनियम के अनुसार उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

यह संविदा करार _____ दिनांक _____, 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम, जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत गठित निगम है, जिसका पंजीकृत कार्यालय: केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई – 400 001 (जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा) द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है... जिस अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी और अधिकारी शामिल हैं, एक पक्ष के रूप में और _____ _____, जो _____ के तहत निगमित है और जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ में है (जिसे आगे "ठेकेदार" कहा जाएगा) जिस अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हैं, दूसरे पक्ष के रूप में किया जाता है।

जबकि बैंक ठेकेदार को बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर, तिरुवनंतपुरम में भवनों की सामान्य मरम्मत और बाहरी पुनः पेटिंग के लिए नियुक्त करना चाहता है, और ठेकेदार ने नीचे वर्णित शर्तों और प्रावधानों के अधीन ऐसी नियुक्ति स्वीकार की है।

और जबकि बैंक ने योग्य ठेकेदारों से टेंडर आमंत्रित किए थे जो टेंडर से संबंधित परिधि और अन्य दस्तावेजों में दर्शाए गए अनुसार "....." प्रदान करने के लिए सेवाएं प्रदान करेंगे।

और जबकि ठेकेदार और अन्य ने टेंडर प्रस्तुत किया है और बैंक ने ठेकेदार को निविदा दस्तावेज़ से संलग्न कार्य के दायरे में बताए गए अनुसार प्रदान करने के लिए संविदा प्रदान किया है।

और जबकि ठेकेदार यहां निर्धारित शर्तों के अधीन और निविदा दस्तावेजों (भाग I, भाग II, अनुबंधें और उसके संशोधन) में निर्धारित शर्तों के अधीन सौंपे गए कार्य को निष्पादित करने के लिए सहमत हो गया है, जैसा कि संशोधित और अंत में दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया है (जिनमें से सभी को सामूहिक रूप से इसके बाद "उक्त शर्तें" के रूप में संदर्भित किया गया है) नियम और शर्तों में वर्णित कार्य और निविदा दस्तावेजों (भाग I, भाग II, अनुबंधें और उसमें संशोधित) में बताए गए कार्य के विस्तृत दायरे में शामिल हैं, जिसमें निर्धारित संबंधित दरों पर, राशि के रूप में उसमें प्राप्त राशि या ऐसी अन्य राशि जो उसके तहत देय हो जाएगी (इसके बाद "उक्त संविदा राशि" के रूप में संदर्भित)।

अब इस पर निम्नानुसार सहमति व्यक्त की जाती है:	
1	**संविदा करार:** निम्नलिखित दस्तावेज़ बैंक और ठेकेदार के बीच संविदा का गठन करेंगे, और प्रत्येक को संविदा के अभिन्न अंग के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा: a) **संविदा करार** और इसके परिशिष्ट b) पुरस्कार का पत्र - संदर्भ सं c) बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त d) निविदा प्रक्रिया के दौरान सभी ईमेल और पत्रों का आदान-प्रदान e) भाग-I (तकनीकी वाणिज्यिक बोली) और भाग II (मूल्य बोली) बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली f) किसी भी शुद्धिपत्र/परिशिष्ट के साथ निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी)
2	**संविदा मूल्य:** बैंक इसके द्वारा बोलीदाता द्वारा अपने दायित्वों के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए बोलीदाता को संविदा मूल्य का भुगतान करने के लिए सहमत होता है। संविदा मूल्य ₹...../- (केवल..... रुपये) का कुल योग होगा। या ऐसी अन्य रकम जो संविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार निर्धारित की जा सकती है।

3	**<u>बयाना जमा राशि:</u>** ठेकेदार ने भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम के पक्ष में एनईएफटी के रूप में निविदा दस्तावेज के साथ **₹ 99,500**/- के बराबर बयाना जमा राशि (ईएमडी) खाता संख्या: 8614038 में जमा किया है। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। ठेकेदार द्वारा भुगतान की गई बयाना राशि कार्यनिष्पादन बैंक गारंटीके रूप में सुरक्षा जमा जमा करने के बाद जारी की जाएगी।
4	**<u>निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी):</u>** संविदा प्रदान किए जाने के 14 दिनों के भीतर संविदा राशि का **पीबीजी @ 5** प्रतिशत भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम के पक्ष में जमा करेगा। पीबीजी संविदा की समाप्ति तक वैध रहेगा। इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। ठेकेदार द्वारा जमा किया गया पीबीजी ठेकेदार के असंतोषजनक प्रदर्शन और/या उसके द्वारा तैनात श्रमिकों की विफलता या लापरवाही के कारण बैंक द्वारा किए गए नुकसान/क्षति की स्थिति में या समझौते के नियमों और शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में जब्त या विनियोजित किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा। हालांकि, बैंक द्वारा स्वीकृति पत्र/कार्य आदेश जारी करने को एक बाध्यकारी संविदा के रूप में माना जाएगा, जैसे कि इस तरह के एक करार को निष्पादित किया गया है और सभी नियम और शर्तें इस संविदा पर लागू होंगी। पीबीजी जमा करना निविदा में निर्धारित के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में जमा करने में देरी के मामले में, पीबीजी जमा करने में देरी के लिए शुल्क बैंक दर पर ठेकेदार के बिलों से वसूल किया जाएगा। संविदा बढ़ाए जाने की स्थिति में ठेकेदार कार्यनिष्पादन बैंक गारंटीभी प्रस्तुत करेगा और पीबीजी नवीनीकृत संविदा की समाप्ति तक वैध रहेगा।
5	**भुगतान की शर्तें:** बैंक द्वारा ठेकेदार को भुगतान निविदा के भाग। के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके श्रमिकों को भुगतान किया जाने वाला वेतन और भत्ते सरकारी वेतन नियमों के अनुपालन में हैं। न्यूनतम मजदूरी के भुगतान का प्रमाण ठेकेदार द्वारा बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा। मजदूरी वृद्धि का प्रतिशत सरकार द्वारा मजदूरी के प्रतिशत संशोधन के अनुसार दिया जाएगा। कामगारों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत या किसी अन्य लागू कानून के तहत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि और/या बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 और ईएसआई अधिनियम, 1948 के तहत ईएसआई के अनुसार लाभांश दिया जाना चाहिए। ईएसआई की अनुपस्थिति में, ठेकेदार को कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत कर्मचारी मुआवजा बीमा जैसे बीमा के कवरेज के तहत दायित्व लेना चाहिए। कामगार मुआवजा नीतियां बैंक के साथ संविदा की वैधता तक वैध होंगी। यदि ठेकेदार ये पॉलिसियां प्रदान नहीं करता है, तो बैंक उपरोक्त बीमा पॉलिसियों को स्वयं लेने और ठेकेदार के बिल से उसकी लागत वसूलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कुल प्रीमियम ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा। ठेकेदार के पास अपने कर्मचारियों के लिए ईपीएफ योगदान करने के लिए एक वैध ईपीएफ खाता होगा। किसी भी सांविधिक भुगतान के गैर-अनुपालन के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले में; संविदा को समाप्त करने के बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बिल से कटौती की जाएगी। ठेकेदार श्रम संहिताओं के सभी सांविधिक प्रावधानों का पालन करेगा, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा। ठेकेदार लागू कानूनों की आवश्यकताओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा। संविदाकार इस करार के प्रयोजन के लिए नियोजित व्यक्तियों को (चेक के माध्यम से या बैंक खाते में जमा करके) बाद के महीने के पांच (05) दिनों के भीतर मजदूरी/वेतन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगा और इस आशय का एक प्रमाण पत्र कि वेतन/मजदूरी का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है, हर महीने बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा।
6	**बीमा:** ठेकेदार, अपने स्वयं के खर्च पर, इस संविदा के तहत पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से लेकर एक अनुमोदित बीमा कंपनी के साथ, बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नामों में भूकंप जोखिम सहित संविदा की राशि के बराबर राशि के लिए बीमा के लिए सभी जोखिम पॉलिसी को लागू करेगा और बनाए रखेगा (पूर्व कथित का नाम पॉलिसी में पहले रखा जा रहा है) मानक के अनुसार सभी जोखिमों के खिलाफ ठेकेदारों के लिए सभी जोखिम नीति और ऐसी पॉलिसी या पॉलिसी को काम शुरू करने से पहले बैंक के साथ जमा करें।

	ठेकेदार को व्यक्तियों, जानवरों या चीजों को सभी चोटों के लिए और संपत्ति को सभी संरचनात्मक और सजावटी क्षति के लिए यथोचित रूप से उत्तरदायी माना जाएगा, जो ठेकेदार या उसके श्रमिकों या किसी भी नामित उप-ठेकेदार या किसी भी कर्मचारी के संचालन या उपेक्षा से उत्पन्न हो सकता है या या तो, चाहे ऐसी चोट या क्षति लापरवाही, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से उत्पन्न हो, किसी भी तरह से इस संविदा को पूरा करने से जुड़ा हो। इस खंड के तहत दायित्व को अन्य बातों के साथ-साथ, भवन को कोई भी नुकसान, चाहे वह तुरंत आसन्न हो या अन्यथा, और सड़कों, गलियों, फुटपाथों, पुलों या मार्गों को होने वाले किसी भी नुकसान के साथ-साथ भवन और अन्य संरचनाओं और कार्यों को होने वाले सभी नुकसान को शामिल करने के लिए जिम्मेदार होगा। ठेकेदार भवन और अन्य संरचनाओं और कार्यों को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए भी जिम्मेदार होगा, जो ठंढ, बारिश, हवा या मौसम की अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों से इस संविदा की विषय वस्तु बनाते हैं। ठेकेदार बैंक को क्षतिपूर्ति देगा और उससे किसी भी नुकसान और खर्चों के संबंध में हानिरहित ठहराएगा जैसा कि पूर्वोक्त रूप से व्यक्तियों या संपत्ति को ऐसी किसी भी चोट या क्षति से उत्पन्न होने वाला है और चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के खिलाफ भी, चाहे वह किसी भी क़ानून के तहत हो या अन्यथा और इस तरह के दावे के परिणामस्वरूप मुआवज़े या क्षति के किसी भी स्थिति के संबंध में भी क्षतिपूर्ति करेगा। ठेकेदार इस खंड में उल्लिखित हर प्रकार के सभी नुकसान को ठीक करेगा, ताकि पूरे संविदा कार्यों की डिलीवरी हर तरह से पूर्ण और परिपूर्ण हो सके और ताकि तीसरे पक्ष की संपत्ति को नुकसान के लिए सभी दावों को अच्छा या अन्यथा पूरा किया जा सके। ठेकेदार भी बैंक को उन सभी दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करेगा जो किसी भी व्यक्ति/जनता के सदस्य या अन्य तीसरे पक्ष द्वारा किसी भी चीज के संबंध में बैंक के खिलाफ किए जा सकते हैं जो कार्यों के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकते हैं और अपने स्वयं के खर्च पर लागू होने की तारीख से संविदा के पूरा होने तक, एक अनुमोदित बीमा कंपनी के साथ बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नामों में बीमा की एक पॉलिसी (पूर्व का नाम पॉलिसी में पहले रखा जा रहा है) को ऐसे जोखिमों के खिलाफ बैंक के साथ जमा करेगा और काम शुरू करने से पहले बैंक के साथ ऐसी पॉलिसी या पॉलिसी जमा करेगा। पॉलिसी के तहत कवरेज की न्यूनतम सीमा संविदा की सामान्य शर्त के तहत कहीं और परिभाषित की जाएगी। ठेकेदार इसी तरह बैंक पर किए जा सकने वाले सभी दावों के खिलाफ बैंक को क्षतिपूर्ति भी करेगा, चाहे वह कामगार मुआवजा अधिनियम या इस संविदा की मुद्रा के दौरान लागू किसी अन्य क़ानून के तहत या ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी या किसी उप-ठेकेदार के संबंध में सामान्य कानून में हो सकता है और अपने स्वयं के खर्चों पर संविदा के पूरा होने तक प्रभावी होगा, एक अनुमोदित बीमा कंपनी के साथ बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नामों में बीमा की एक पॉलिसी (पूर्व का नाम पॉलिसी में पहले रखा जा रहा है) और संविदा की मुद्रा के दौरान समय-समय पर बैंक के साथ ऐसी पॉलिसी या पॉलिसी जमा करेगा। जैसा कि ऊपर प्रदान किया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार की चूक में, बैंक यह सुनिश्चित कर सकता है और किसी भी देय धन से भुगतान किए गए प्रीमियम को काट सकता है या जो ठेकेदार के कारण हो सकता है। ठेकेदार किसी भी दायित्व के लिए जिम्मेदार होगा जिसे ऊपर उल्लिखित बीमा पॉलिसियों से बाहर रखा जा सकता है और इस संविदा के लापरवाह या दोषपूर्ण संचालन के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्ति, जानवर या संपत्ति को अन्य सभी नुकसानों के लिए भी जिम्मेदार होगा, चाहे वे कारण हों जिनके कारण नुकसान हुआ हो। वह कार्यों से संबंधित किसी भी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली सभी लागत, प्रभार या व्यय के संबंध में और उससे उत्पन्न होने वाले मुआवजे या क्षति के किसी भी पुरस्कार के संबंध में बैंक को क्षतिपूर्ति और क्षतिपूर्ति भी देगा। इस तरह के चूक के संबंध में ठेकेदार के खिलाफ बैंक के अन्य अधिकारों के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक ठेकेदार को देय किसी भी राशि से बैंक द्वारा भुगतान किए गए किसी भी नुकसान, मुआवजे, लागत, शुल्क और अन्य खर्चों की राशि में कटौती करने का हकदार होगा और जो इस खंड के तहत ठेकेदार द्वारा देय हैं। ठेकेदार इस खंड के तहत ली गई पॉलिसी के अनुसार

	बीमाकर्ता के खिलाफ किए गए किसी भी दावे के बीमाकर्ता द्वारा निपटान करने पर, नष्ट या क्षतिग्रस्त कार्यों के पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिए उचित परिश्रम के साथ आगे बढ़ेगा। इस घटना में, इस तरह के नुकसान के संबंध में बीमाकर्ता से प्राप्त सभी राशि का भुगतान ठेकेदार को किया जाएगा और ठेकेदार नष्ट या क्षतिग्रस्त सामग्री या माल के निर्माण या मरम्मत के लिए किए गए व्यय के संबंध में किसी भी और भुगतान का हकदार नहीं होगा। ठेकेदार, क्षति के बाद पुन: निर्माण या बहाली के मामले में पूरा होने के लिए समय के ऐसे विस्तार का हकदार होगा जैसा कि बैंक उचित समझे, लेकिन हालांकि, बैंक द्वारा किसी भी कमी या कमी की प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा, जैसा कि यहां निर्धारित किया गया है। इस खंड के तहत अपनी देयता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, ठेकेदार सभी नामित उप-ठेकेदारों को इस खंड के प्रावधानों के अनुसार बीमा की समान नीतियों के अपने संबंधित हिस्सों के लिए प्रभावित करेगा और बैंक को ऐसी पॉलिसियों का उत्पादन करेगा या उत्पादन करेगा। ठेकेदार एक नामित उप-ठेकेदार को साइट पर काम शुरू करने की अनुमति नहीं देगा जब तक कि उक्त बीमा पॉलिसियां प्रस्तुत नहीं की जाती हैं। साइट पर काम शुरू करने से पहले बीमा की ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को लेने में उप-ठेकेदार की विफलता की स्थिति में, ठेकेदार उक्त उप-ठेकेदार के कारण किसी भी दावे या क्षति के लिए जिम्मेदार होगा। ऊपर उल्लिखित सभी बीमा संबंधी शर्तों को पूरा करने के लिए, ठेकेदार, कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 14 दिनों के भीतर, अपनी लागत पर कार्यों का बीमा करेगा और बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नाम में एक कार्यालय के साथ आग से नुकसान या क्षति के खिलाफ कार्यों के आभासी समापन तक उनका बीमा करेगा (बैंक का नाम यानी "भारतीय रिज़र्व बैंक" पॉलिसी में पहले स्थान पर रखा जा रहा है। यह निम्नलिखित जोखिमों को कवर करेगा। i. **ठेकेदारों के लिए सभी जोखिम (सीएआर) पॉलिसी बीमा** जिसमें आग के जोखिम सहित पूर्ण संविदा मूल्य के लिए भंडारण, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग पॉलिसी शामिल है और निर्माता के कार्यों से साइट तक परिवहन के लिए पारगमन बीमा (हवा/समुद्र/सड़क आदि द्वारा, जैसा भी लागू हो)। ii. **साइट पर ठेकेदार के कर्मचारियों के लिए** कामगार मुआवजा नीति। iii. **अन्य पार्टी देयता पॉलिसी** जिसमें प्रति दुर्घटना 2 लाख रुपये की सीमा है, अधिकतम 3 दुर्घटनाओं तक।
7	**पूरा होने का समय:** परियोजना के पूरा होने की अवधि की गणना पुरस्कार /कार्य आदेश पत्र जारी करने के 10वें दिन से की जाएगी। समय को इस संविदा का सार माना जाएगा, और ठेकेदार इसके द्वारा उक्त शर्तों में प्रदान किए गए पूरे कार्य को पूरा करने के लिए साइट सौंपने के तुरंत बाद काम शुरू करने के लिए सहमत होता है, फिर भी समय के विस्तार के प्रावधानों के अधीन।
8	**परिशिष्ट:** परिशिष्टों की संलग्न सूची में सूचीबद्ध परिशिष्ट इस संविदा समझौते का एक अभिन्न अंग होंगे। किसी भी परिशिष्ट के संविदा में संदर्भ का अर्थ यहां संलग्न परिशिष्ट होगा, और संविदा को तदनुसार पढ़ा और समझा जाएगा।
9	**क्षेत्राधिकार**: इस करार से उत्पन्न होने वाले या किसी भी तरह से जुड़े सभी विवादों को तिरुवनंतपुरम में उत्पन्न माना जाएगा और केवल तिरुवनंतपुरम के न्यायालयों के पास इसे निर्धारित करने का क्षेत्राधिकार होगा।
10	**भाषा**: निविदा फॉर्म अंग्रेजी में भरा जाएगा। दस्तावेजों के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच किसी भी विसंगति या अस्पष्टता की स्थिति में, व्याख्या के मामलों में अंग्रेजी संस्करण प्रबल होगा। सभी संचार, चित्र, डिजाइन, डेटा, सूचना, कोड, विनिर्देश, और बोली का समर्थन करने वाले अन्य दस्तावेज या अन्यथा संविदा के तहत आदान-प्रदान अंग्रेजी में होंगे।
11	**गैर-प्रकटीकरण:**

	i. ठेकेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो इस समझौते के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करने के दौरान सेवा प्रदाता और/या डीबी डेवलपर के कब्जे या ज्ञान में आ सकता है, किसी तीसरे पक्ष को और हर समय इसे सख्त विश्वास के साथ रखेगा। ठेकेदार संविदा के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके कि इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक। ठेकेदार दूसरे पक्ष की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या कहीं और सेवाओं/कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या खुलासा नहीं करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को ठेकेदार की ओर से संविदा के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा, जैसा भी मामला हो, और दूसरा पक्ष नुकसान का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा। ii.ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं। iii. औपचारिक संविदा करार के पूर्वाग्रह के बिना, इस निविदा के तहत ठेकेदार को बाध्य करने वाले सभी गोपनीयता और गैर-प्रकटीकरण दायित्व किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति, पूर्णता या समाप्ति से बचेंगे।
12	**कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम** i. ठेकेदार "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। बैंक के परिसर के भीतर अपने स्वयं के कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत ठेकेदार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दायर की जाएगी जो शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। ii. बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ ठेकेदार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। iii. ठेकेदार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे ठेकेदार के कर्मचारी के शामिल होने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है। ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
13	**बैंक द्वारा संविदा की समाप्ति** यदि ठेकेदार एक व्यक्ति या फर्म होने के नाते कोई "दिवालियापन का कार्य" करता है, या एक दिवालिया घोषित किया जाएगा या एक निगमित कंपनी होने के नाते उसके खिलाफ अनिवार्य समापन के लिए एक आदेश होगा या स्वेच्छा से समापन के लिए एक प्रभावी संकल्प पारित करेगा या न्यायालय और आधिकारिक समनुदेशिती या परिसमापक के पर्यवेक्षण के अधीन है, दिवालियापन या समापन के ऐसे कृत्यों में, जैसा भी मामला हो, उसे ऐसा करने की आवश्यकता के नोटिस के सात दिनों के भीतर, बैंक की उचित संतुष्टि दिखाने के लिए कि वह संविदा को पूरा करने और पूरा करने में सक्षम है और उसके लिए सुरक्षा देने के लिए, यदि बैंक द्वारा आवश्यक हो। अथवा यदि ठेकेदार (चाहे कोई व्यक्ति, फर्म या निगमित कंपनी) ठेकेदार के खिलाफ जारी की जाने वाली संपत्ति को निष्पादन या न्यायालय कुर्क करने की अन्य प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा, अथवा इस संविदा के तहत ठेकेदार के किसी भी लेनदार द्वारा या उसकी ओर से किसी भी भुगतान को भुगतना होगा,

	अथवा बैंक की लिखित सहमति के बिना इस संविदा को पहले और प्राप्त करने के बिना असाइन या सबलेट करेगा, अथवा इस संविदा या किसी भी भुगतान को प्रभार देगा या भार देगा या जो ठेकेदार के कारण हो सकता है, अथवा यदि बैंक यह निर्धारित करता है कि ठेकेदार संविदा को छोड़ दिया है, अथवा काम शुरू करने में विफल रहा है, अथवा उन शर्तों के तहत बिना किसी वैध बहाने के बैंक से आगे बढ़ने के लिए नोटिस प्राप्त करने के बाद 14 दिनों के लिए कार्यों की प्रगति को निलंबित कर दिया है, अथवा इस तरह के उचित परिश्रम के साथ कार्यों के साथ आगे बढ़ने में विफल रहा है और ऐसी उचित प्रगति करने में विफल रहा है जो कार्यों को सहमत समय के भीतर पूरा करने में सक्षम करेगा, या साइट से सामग्री को हटाने या नीचे खींचने में विफल रहा है, और लिखित सूचना प्राप्त करने के बाद सात दिनों के लिए काम को बदलने में विफल रहा है कि उक्त सामग्री या कार्य की निंदा की गई थी और इन शर्तों के तहत बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था अथवा ठेकेदार द्वारा देखे जाने वाले और निष्पादित किए जाने वाले सभी या किसी भी कार्यों, मामलों या चीजों को ठेकेदार द्वारा सात दिनों तक देखने और निष्पादित करने के लिए लगातार उपेक्षित या विफल रहा है, ठेकेदार को लिखित नोटिस दिया गया होगा कि ठेकेदार को उसी का निरीक्षण करने या प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी। तब और उक्त मामलों में से किसी में, बैंक, किसी भी पूर्व छूट के बावजूद, ठेकेदार को लिखित रूप में सात दिनों का नोटिस देने के बाद, ठेकेदार के संविदा और देनदारियों का निर्धारण कर सकता है, जो पूरी तरह से लागू रहेगा जैसे कि संविदा इस तरह से निर्धारित नहीं किया गया था, और जैसे कि बाद में निष्पादित कार्य ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किए गए थे और इसके अलावा, बैंक अपने एजेंटों या सेवकों द्वारा एस्टेट या आस-पास की भूमि या सड़कों पर पड़े कार्यों और सभी संयंत्रों, उपकरणों, मचानों, मशीनरी और सामग्रियों में प्रवेश कर सकता है और उन्हें अपने कब्जे में ले सकता है, और इसे अपनी संपत्ति के रूप में उपयोग कर सकता है या कार्यों को पूरा करने और पूरा करने के लिए किसी अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को नियोजित करके अपने स्वयं के सेवकों और श्रमिकों के माध्यम से नियोजित कर सकता है, और ठेकेदार किसी भी तरह से ऐसे अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को रोकने या बाधित करने के लिए कोई भी कार्य, मामला या चीज नहीं करेगा। जब कार्य पूरा हो जाएगा या उसके बाद जितनी जल्दी सुविधाजनक हो, बैंक ठेकेदार को अपनी अधिशेष सामग्री और संयंत्र को हटाने के लिए लिखित रूप में एक नोटिस देगा, और यदि ठेकेदार उसके द्वारा प्राप्त होने के बाद चौदह दिनों की अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो बैंक इसे सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेच सकता है, और वसूली की गई शुद्ध राशि के लिए ठेकेदार को क्रेडिट दे सकता है। इसके बाद बैंक अपने हाथ से यह पता लगाएगा और प्रमाणित करेगा कि उक्त संयंत्र और बैंक द्वारा इस प्रकार कब्जा की गई सामग्री के मूल्य के लिए बैंक द्वारा क्या (यदि कुछ हो) देय या देय होगा और बैंक द्वारा इस प्रकार कब्जा किए गए कार्यों और पूरा किए जाने वाले कार्यों की खरीद

	में बैंक को कितना खर्च या हानि होगी, और राशि, यदि कोई हो, ठेकेदार को देय है और इस प्रकार प्रमाणित की जाने वाली राशि के बाद बैंक द्वारा ठेकेदार को या ठेकेदार द्वारा बैंक को भुगतान किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, और बैंक का निर्णय पक्षों के बीच अंतिम और निर्णायक होगा।
14	**ठेकेदार द्वारा संविदा की समाप्ति** यदि बैंक के इंजीनियर के प्रमाण पत्र के तहत बैंक द्वारा देय राशि का भुगतान बकाया होगा और लिखित रूप में नोटिस के बाद तीस दिनों तक भुगतान नहीं किया जाएगा, जैसा कि पूर्वोक्त राशि का भुगतान करना होगा, ठेकेदार द्वारा बैंक को दिया गया होगा या यदि बैंक संविदा को अस्वीकार कर देगा, या यदि बैंक के आदेश के तहत या किसी भी निषेधाज्ञा या कानून के किसी भी आदेश द्वारा तीन महीने के लिए काम बंद कर दिया जाता है, तो और उक्त मामलों में से किसी में, ठेकेदार बैंक को लिखित रूप में नोटिस द्वारा संविदा का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होगा और वह बैंक से वसूली करने का हकदार होगा, निष्पादित सभी कार्यों के लिए भुगतान और किसी भी नुकसान के लिए वह किसी भी संयंत्र या सामग्री की आपूर्ति या खरीद या संविदा के उद्देश्य के लिए तैयार किया जा सकता है। इस तरह के भुगतान की राशि पर पहुंचने पर, ठेकेदार की मूल निविदा में निहित शुद्ध दरों का पालन किया जाएगा, या जहां यह लागू नहीं हो सकता है, मूल्यांकन खंड IV के उपखंड 19 के अनुसार किया जाएगा।
15	**जुर्माना** "परिसमापन क्षति" @ विलंब के प्रति सप्ताह संविदा मूल्य का 0.25% संविदा मूल्य के अधिकतम 10% के अधीन (संविदा मूल्य का अर्थ है कार्य की पूंजीगत लागत का कुल मूल्य) उस अवधि के लिए जिसके दौरान उक्त कार्य अधूरे रहेंगे।

बैंक और बोलीदाता/बोलीदाता ने इस समझौते को अपने विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा ऊपर लिखे गए दिन और वर्ष के अनुसार विधिवत निष्पादित किया है।

बैंक के लिए और उसकी ओर से हस्ताक्षरित
[हस्ताक्षर]
[नाम और शीर्षक]
की उपस्थिति में:

1. [गवाह 1 हस्ताक्षर और विवरण]
2. [गवाह 2 हस्ताक्षर और विवरण]

बोलीदाता के लिए और उसकी ओर से हस्ताक्षर किए
[हस्ताक्षर]
[नाम और शीर्षक]
की उपस्थिति में:

1. [गवाह 1 हस्ताक्षर और विवरण]
2. [गवाह 2 हस्ताक्षर और विवरण]

अनुबंध – VI

प्रदर्शन सुरक्षा जमा/प्रतिधारण धन के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा

(जारीकर्ता बैंक के नाम पर खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

स्थान : _____

तिथि : _____

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
तिरुवनंतपुरम

प्रिय महोदय,

काम का नाम: बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर, तिरुवनंतपुरम में भवनों की सामान्य मरम्मत और बाहरी पुनः पेटिंग - प्रदर्शन सुरक्षा जमा / प्रतिधारण धन के लिए बैंक गारंटी

जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय शाहिद भगत सिंह रोड, मुंबई में है, (इसके बाद "आरबीआई" कहा जाता है) ने मैसर्स _____ (बोलीदाता का नाम) को शीर्षक वाली परियोजना (इसके बाद "संविदा" कहा जाता है) के लिए संविदा प्रदान किया है, जिसमें इसके उत्तराधिकारी और असाइन शामिल होंगे) और जबकि बोलीदाता उक्त संविदा से बाध्य है कि वह संविदा में निहित नियमों और शर्तों की उक्त बोलीदाता द्वारा उचित पूर्ति के लिए ₹._____ (__ _____मात्र रुपए) (आंकड़ों और शब्दों में राशि) की कुल राशि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को एक प्रदर्शन सुरक्षा प्रस्तुत करे। हम, _____ (बैंक का नाम), (इसके बाद "बैंक" कहा जाता है), बोलीदाता मेसर्स _____ के अनुरोध पर, संविदा के नियमों और शर्तों को पूरा करने के लिए प्रदर्शन गारंटी के रूप में ₹_____ से अधिक की राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

अब यह गारंटी गवाह है

1. हम (बैंक का नाम) एतद्द्वारा आरबीआई, उनके उत्तराधिकारियों से सहमत हैं और वचन देते हैं, यह निर्धारित करते हैं कि आरबीआई के इस निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में कि बोलीदाता ने संविदा की उक्त शर्तों के तहत अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है या उसका उल्लंघन किया है, जो निष्कर्ष हमारे साथ-साथ उक्त बोलीदाता पर भी बाध्यकारी होगा; हम आरबीआई द्वारा मांग किए जाने पर, आरबीआई को बिना किसी देरी के भुगतान करेंगे, आरबीआई द्वारा मांगी जा सकने वाली किसी भी राशि (केवल रुपये) या किसी भी कम राशि का भुगतान करेंगे। हमारी गारंटी को उक्त संविदा के तहत बोलीदाता के दायित्वों के उचित प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन गारंटी राशि के बराबर माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी राशि के खिलाफ हमारी देयता ₹_____ (_____मात्र रुपए) की राशि से अधिक नहीं होगी।

2. हम यह वचन देने और पुष्टि करने के लिए भी सहमत हैं कि पूर्वोक्त रूप से ₹_____ (_____मात्र रुपए) से अधिक की राशि का भुगतान हमारे द्वारा बिना किसी विरोध या विरोध के किया जाएगा, केवल लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त होने पर आरबीआई से मांग किए जाने पर कि राशि उनके लिए देय है और हम कोई और सबूत या सबूत नहीं मांगेंगे और आरबीआई से नोटिस हमारे लिए निर्णायक और बाध्यकारी होगा और हमारे द्वारा किसी भी संबंध या तरीके से पूछताछ नहीं की जाएगी। किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या उससे संबंधित मध्यस्थों के समक्ष लंबित किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में बोलीदाता द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद/विवाद के बावजूद बैंक आरबीआई को इस प्रकार की मांग की गई किसी भी राशि का भुगतान करेगा और इस गारंटी के तहत दायित्व पूर्ण और स्पष्ट होगा। हम पूर्वोक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर आरबीआई द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

3. हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारा दायित्व आरबीआई और बोलीदाता के बीच समझौते या समझौतों या अन्य समझ से स्वतंत्र होगा।

4. यह गारंटी हमारे द्वारा आरबीआई की लिखित सहमति के बिना रद्द नहीं की जाएगी। हम इसके द्वारा आगे सहमत हैं कि -

a) उक्त करार की शर्तों को लागू करने में या उक्त संविदा में निर्धारित किसी भी नियम और शर्तों के अनुपालन में आरबीआई की ओर से कोई भी सहनशीलता या कमीशन और/या इसके तहत या आरबीआई द्वारा बोलीदाता को किसी भी समय या किसी अन्य मामले को दिखाने या उसके संबंध में किसी भी अन्य मामले में हमें किसी भी तरह से और इस गारंटी के तहत हमारे दायित्व का निर्वहन नहीं करेगा। यह गारंटी केवल बोलीदाता द्वारा उनके दायित्वों के प्रदर्शन द्वारा और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, हमारे द्वारा केवल रुपये (रुपये) से अधिक की राशि का भुगतान करके किया जाएगा।

b) इन निबंधनों के तहत हमारी देयता केवल रुपये (रुपये) की राशि से अधिक नहीं होगी।

c) इस करार के तहत हमारा दायित्व हमारे उक्त घटकों/ग्राहकों की ओर से किसी भी दुर्बलता या अनियमितता या उसके तहत उनके दायित्वों या हमारे उक्त घटकों के विघटन या परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगा।

d) यह गारंटी (दोष देयता अवधि से 60 दिनों के बाद) तक लागू रहेगी बशर्ते कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसा चाहा जाता है, तो इस गारंटी को एक और अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा जैसा कि उनके द्वारा यहां निहित नियमों और शर्तों पर इंगित किया जा सकता है।

e) इन निबंधनों के तहत हमारी देयता तब तक समाप्त हो जाएगी जब तक कि इन उपहारों को ऊपर दिए गए अनुसार उस दिन या उस दिन नवीनीकृत नहीं किया जाता है जब हमारे उक्त घटक अपने दायित्वों का पालन करते हैं, जिसके लिए अकेले आरबीआई द्वारा लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र निर्णायक प्रमाण है, जो भी तारीख बाद में हो। जब तक हमारे खिलाफ कोई दावा या मुकदमा या कार्रवाई किसी विस्तारित अवधि के भीतर दायर नहीं की जाती है, तब तक इस गारंटी के तहत हमारे खिलाफ आरबीआई के सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे और हमें यहां के तहत हमारे सभी दायित्वों और देनदारियों से मुक्त और मुक्त कर दिया जाएगा।

जिसके साक्ष्य स्वरूप मैंने/हमने बैंक की ओर से इस गारंटी पर हस्ताक्षर किए हैं और मुहर लगाई है, _____ (माह) (वर्ष) को विधिवत प्राधिकृत किया है।

_____ (बैंक का नाम) के लिए और उसकी ओर से

अधिकृत बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर:

बैंक का पदनाम स्टांप/मुहर

बैंक के लिए और उसकी ओर से हस्ताक्षरित, मुहरबंद और वितरित किया गया

उपरोक्त नामित व्यक्ति द्वारा बैक की ओर से और उसकी तरफ़ से इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए, मुहर लगाई गई और निष्पादित किया गया:

साक्षी 1

हस्ताक्षर _____

नाम_____

पता _____

(नोट: इस गारंटी के लिए उस राज्य में लागू स्टांप शुल्क लगेगी, जहां इसे निष्पादित किया गया है और इस पर उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और अधिकार सत्यापित किए जाएंगे)।

अनुबंध VII

भारत के साथ देश की भूमि सीमा साझा करने के संबंध में बोलीदाता द्वारा वचन-पत्र / घोषणा / प्रमाण पत्र के लिए प्रारूप

(बोलीदाताओं द्वारा अपने लेटरहेड पर विधिवत सील और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत किया जाना है)

प्रति, दिनांक:
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
तिरुवनंतपुरम

संदर्भ : बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर, तिरुवनंतपुरम में भवनों की सामान्य मरम्मत और बाहरी पुनः पेटिंग हेतु **आवेदन**

महोदया/ प्रिय महोदय,

मैं/हम (नाम और पता, स्थान के देश _____ सहित ने 23 जुलाई, 2020 को कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ. संख्या 6/18/2019-पीपीडी की सामग्री को पढ़ा और समझा है और सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी इसके बाद के आदेशों/संशोधनों को भारत सरकार के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में पढ़ा और समझा है।

2. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि (बोलीदाता का नाम)

i. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से नहीं है, या
ii. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है और सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत किया गया है, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है, या
iii. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है जहां भारत सरकार ने ऋण सहायता प्रदान की है, या
iv. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है जहां भारत सरकार विकास परियोजनाओं में लगी हुई है।

(उक्त में से जो लागू नहीं है उसे काट दें।)

3. मैं/हम आगे प्रमाणित करते हैं कि (बोलीदाता का नाम) इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन और इसके बाद के आदेशों/संशोधन के प्रावधान के तहत विचार किए जाने के लिए पात्र है। मैं/हम यह भी वचन देते हैं कि मैं/हम..... (बोलीदाता का नाम) ऐसे देश (देशों) के ठेकेदार को किसी भी कार्य का उप-संविदा नहीं करेगा जब तक कि ऐसा ठेकेदार उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन / आदेश के तहत सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

4. मैं/हम जानते हैं और समझते हैं कि, यदि यह वचन-पत्र/घोषणा/प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है, तो बैंक हमारे निविदा/कार्य आदेश को अस्वीकार/समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा और यह कि बैंक कानून के अनुसार किसी भी कानूनी कार्रवाई को शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसमें बयाना जमा राशि / कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी/ सुरक्षा जमा को जब्त करना और/या हमें भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित करना शामिल है।

मुहर सहित बोलीदाता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नाम और हस्ताक्षर
दिनांक:

स्थान:

अनुबंध VIII

बोलीदाता द्वारा कानूनी कार्रवाई/सिविल मुकदम/मुकदमेबाजी/मध्यस्थता पर उपक्रम

[आवेदक के लेटर हेड पर]

तारीख:

सेवा में,
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
तिरुवनंतपुरम

संदर्भ : _____ के लिए आवेदन

महोदया/ प्रिय महोदय ,

मैं/हम (बोलीदाता का नाम) घोषणा करता है कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है किसी भी कानूनी अधिकार क्षेत्र में किसी भी कारण से हमारे खिलाफ लिया जा रहा है।

1. मैं/हम (बोलीदाता का नाम) घोषणा करते हैं कि हमारे खिलाफ निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की गई है/की जा रही है:

..... (कानूनी कार्रवाई का विवरण, विचाराधीन परियोजना, कानूनी प्राधिकरण आदि शामिल हैं)

.....

हालांकि, हम पुष्टि करते हैं कि उपरोक्त कानूनी कार्रवाई पैनल के लिए आवेदन के अनुसार बैंक की आवश्यकताओं को पूरा करने की हमारी क्षमता को प्रभावित नहीं करती है।

(नोट: उपरोक्त दो घोषणाओं में से एक को हटा दें जो लागू नहीं है)

2. इसके अलावा, हम यह भी घोषित करें कि सिविल मुकदमे/मुकदमेबाजी/मध्यस्थता आदि का कोई मामला नहीं है।
हमारी किसी भी निष्पादित परियोजना में से किसी में भी शुरू किया गया है

2. इसके अलावा, हम यह भी घोषणा करें कि निम्नलिखित सिविल मुकदमे/मुकदमेबाजी/मध्यस्थता मामले हमारी निष्पादित परियोजनाओं में शुरू किए गए थे/हैं:
..... (परियोजना का विवरण और कार्रवाई का प्रकार आदि)

.....
(नोट: उपरोक्त दो घोषणाओं में से एक को हटा दें जो लागू नहीं है)

मुहर सहित बोलीदाता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नाम और हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

अनुबंध IX

सार्वजनिक संस्थानों द्वारा प्रतिबंध की घोषणा के संबंध में निविदा में शामिल किए जाने वाले वचन

(निविदाकर्ता द्वारा उनके लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

काम का नाम:.....

1. मैं/हम (बोलीदाता का नाम) घोषणा करता हूँ/करते हैं कि
 a) मैं/हम या हमारी कोई भी संबद्ध फर्म*(बोली जमा करने की अंतिम तिथि) को भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/संस्था द्वारा प्रतिबंधित/निलंबित/काली सूची में नहीं डाला गया है।
 b) मैं/हम या हमारी किसी भी संबद्ध फर्म * ने पिछले तीन वर्षों में भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/संस्था के साथ सत्यनिष्ठा संहिता (जैसा कि निविदा में उल्लिखित है) के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं किया है..... (बोली जमा करने की अंतिम तिथि)।
 c) मैं/हम या हमारी किसी भी सहयोगी फर्म को बोली जमा करने की अंतिम तिथि तक सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया) आदेश, 2017 के उल्लंघन के लिए किसी भी खरीद इकाई द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है।
 d) हम बैंक को लिखित रूप में सूचित करेंगे, यदि मैं/हम या हमारी कोई संबद्ध फर्म * भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/संस्था द्वारा कैप्शन किए गए कार्य के लिए काम देने से पहले या उससे पहले प्रतिबंधित/निलंबित/काली सूची में डाल दिया गया है।
2. मैं/हम (बोलीदाता का नाम) घोषणा करता है कि मैं/हम या हमारी संबद्ध फर्म* (संबद्ध फर्म का नाम) द्वारा प्रतिबंधित/निलंबित/काली सूची में डाल दिया गया है (भारत या किसी अन्य देश में सार्वजनिक संस्थान का नाम और पता) और यह(तारीख) तक प्रभावी है। आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए ऐसे पत्र की एक प्रति संलग्न है।

(बोली लगाने वाले की मुहर और हस्ताक्षर)
तारीख
स्थान
(नोट: उपरोक्त दो घोषणाओं में से एक को हटा दें जो लागू नहीं है)

*एलाइड फर्म: एक फर्म को "एलाइड फर्म" कहा जाएगा यदि प्रबंधन सामान्य है, या पर्याप्त या बहुमत शेयर प्रतिबंधित/निलंबित फर्म के स्वामित्व में हैं और इसके आधार पर इसकी एक नियंत्रित व्यक्ति है। इसके अलावा सभी उत्तराधिकारी फर्मों को भी संबद्ध फर्मों के रूप में माना जाएगा।